Par. S./17. II. 32, 53
285

अंक २

संख्या ३२

बृहस्पतिवार

१४ मई, १९५३

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

——:o:——

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर . . . [पृष्ठ भाग ४४८५—४५४६]

प्रश्नों के लिखित उत्तर . . . [पृष्ठ भाग ४५४६—४५८६]

(मूल्य ४ आने)

लोक सभा

बृहस्पतिवार, १४ मई १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उतर

सोशल गाइड्स

*२१३६. **श्री राधा रमण** : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारतीय रेलों ने सोशल गाइड्स की योजना आरम्भ की है तथा कुछ स्थानों में उसका प्रयोग किया गया था ?

(ख) यदि हां, उक्त योजना कैसी थी और क्या वह अभी जारी है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) हां, भारतीय रेलों ने सोशल गाइड्स की योजना का प्रयोग किया है।

(ख) इस योजना के अनुसार जिन बड़े स्टेशनों पर सोशल गाइड्स की परमावश्यकता होती है वहां तीसरे दर्जे के यात्रियों की मदद करने के लिये सोशल गाइड्स के रूप में सामाजिक कार्यकर्ताओं का उपयोग करने का विचार था। यह योजना अभी भी जारी है किन्तु कुछ परिवर्तित रूप में।

श्री राधा रमण: क्या मैं जान सकता हूं कि इस योजना के अन्तर्गत किन क्षेत्रों में तथा कितने सोशल गाइड्स नियुक्त किये गये थे ?

श्री शाहनवाज़ खां: प्रारम्भ में २७७ गाइड्स भर्ती किये गये थे; और उन्हें प्रायः सारे विभागों में भर्ती किया था।

श्री राधा रमण: उनकी विद्यमान संख्या क्या है ?

श्री शाहनवाज़ खां: आज १५७ गाइड्स नौकरी में हैं।

श्री जे० के० सिन्हा: क्या मैं जान सकता हूं कि सोशल गाइड्स की योग्यता क्या रखी गई थी ?

श्री शाहनवाज़ खां: उनकी खिदमत करने की अहलियत।

उपाध्यक्ष महोदय: वे जानना चाहते हैं कि क्या कोई परीक्षा आदि रखी गई है।

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : उन्हें समाज सेवक संस्थाओं से लिया जाता है क्योंकि इस काम के लिये वे ही सुयोग्यतर होते हैं।

श्री जांगड़े: क्या मैं जान सकता हूं कि सोशल गाइड्स और पैसेंजर गाइड्स के कार्यों में क्या फ़र्क़ है और सोशल गाइड्स के ट्रेनिंग सेंटर विभिन्न ज़ोनों में कहां कहां हैं ?

श्री शाहनवाज़ खां: सोशल गाइड्स और पैसेन्ज़र गाइड्स के जो फ़रायज़ हैं वह तक़रीबन एक से हैं। उन की ट्रेनिंग के कोई खास सेन्टर नहीं हैं।

श्री एम० एल० द्विवेदी: मैं जानना चाहता हूं कि जबसे सोशल गाइड्स मुकर्रर हुए हैं उस वक्त से अब तक क्या उनके काम की जांच की गई है और क्या यह पता लगाया गया कि उन का काम संतोषजनक है ?

श्री शाहनवाज़ खां: यह स्कीम सन् १९४८ में चलाई गई थी। उसके बाद सन् १९५० में इसका रिव्यू किया गया। रिव्यू से यह साबित हुआ कि सोशल गाइड्स का जो तजुर्बा किया गया है वह बहुत कामयाब नहीं हुआ।

श्री बंसल: क्या ये सोशल गाइड्स स्त्रियां हैं अथवा पुरुष ?

श्री शाहनवाज़ खां: वे पुरुष हैं।

श्री वी० पी० नायर: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इन सोशल गाइड्स का उपयोग रेलवे स्टेशनों में अथवा उनके आसपास चेष्टा करने वाले समाज विरोधी गाइड्स के विपरीत प्रभावों को हटाने के लिये किया जाता है ? .....

हम जानते हैं कि रेलवे स्टेशनों में तथा उनके आस पास सामाज विरोधी चेष्टायें चलती हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि इन चेष्टाओं के प्रभावों को हटाने के लिये उक्त सोशल गाइड्स का उपयोग किया जाता है ?

उपाध्यक्ष महोदय: क्या वे कोई राजकीय अथवा अन्य प्रचार करते हैं ?

श्री शाहनवाज़ खां: वे कोई राजकीय प्रचार नहीं करते।

डा० सुरेश चन्द्र: क्या उनकी भर्ती के समय ऐसी कोई शर्त रहती है कि उन्हें वहां के यात्रियों की प्रादेशिक भाषा अवगत होनी चाहिये।

श्री शाहनवाज़ खां: स्वभावत: इसका विचार सबसे पहले करना होगा।

श्री रघुरामय्या: इस बात को देखते हुए कि स्त्रियां भी प्रवास करती हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार स्त्री सोशल गाइड्स नियुक्त करना आवश्यक नहीं समझती ?

श्री शाहनवाज़ खां: योजना अभी विचाराधीन है।

श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन: अभी अभी मंत्री जी ने बताया कि ये सारे सोशल गाइड्स पुरूष हैं। तीसरे दर्जे से प्रवास करने वाली महिलाओं को सहायता की नितान्त आवश्यकता होती है इस बात को देखते हुए क्या स्त्री सोशल गाइड्स की नियुक्ति आवश्यक नहीं है ?

श्री शाहनवाज़ खां: जैसा कि मैं अपने उत्तर में पहले ही कह चुका हूं, यह प्रयोग विशेष यशस्वी नहीं हुआ है और इसलिये स्त्रियों को भर्ती करने के लिये प्रश्न का विचार नहीं किया गया।

अनेक सदस्य खड़े हुए—

उपाध्यक्ष महोदय: प्रयोग यशस्वी नहीं हुआ। अब हम अगला प्रश्न लेंगे।

बड़े बड़े नगरों के लिये अन्तर्भूमि रेलवे

*२१३८. **श्री एम० एल० द्विवेदी:** क्या रेल मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात की जांच करने के लिये कि बड़े बड़े नगरों में अन्तर्भूमि रेलवे बनाया जाना सम्भव है या नहीं कोई समिति नियुक्त कर दी गई या की जानें वाली है; यदि ऐसी समिति बनाई जाने वाली है तो उसके कार्य का क्षेत्र क्या होगा ?

(ख) भारत के किन किन नगरों में जांच किये जाने की सम्भावना है ;

(ग) क्या अब तक इस सम्बन्ध में कोई कार्य हुआ है; तथा

(घ) योजना के कब तक पूरे होने की आशा है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जहां तक आज विदित है, रेल मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई समिति नहीं बनायी गई है या बानाई जाने वाली है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि कलकत्ता के चारों ओर एक वर्तुलाकार रेल पथ बनाया जा रहा है और यदि है तो अन्तर्भूमि रेलवे बनाना क्यों असम्भव है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो विषय की चर्चा हो रही है।

श्री अलगेशन : श्रीमान्, हम इस समय किसी भूमिगत कार्य में भाग लेना नहीं चाहते।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या सरकार के पास कलकत्ते में अर्न्तभूमि रेलवे बनाने की कोई योजना नहीं है।

श्री अलगेशन : रेल मंत्रालय के पास ऐसी योजना नहीं है। पश्चिमी बंगाल की सरकार के पास ऐसी कोई योजना है।

बिहार से पटसन भेजने के लिये माल डिब्बे

*२१३९. **श्री एल० एन० मिश्री** : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि बिहार में पूर्निया, सहर्सा तथा दरभंगा जिलों के पटसन व्यापारियों को पटसन कलकत्ता भेजने के लिये अपनी आवश्यकतानुसार माल डिब्बे नहीं मिलते हैं ?

(ख) क्या यह सच है कि विद्यमान बहुलता को समाप्त करने के लिये मुक्त हस्त से माल डिब्बे देने के बारे में सरकार को कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ?

(ग) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) नहीं।

(ख) हां।

(ग) माल डिब्बों की उपलब्धि के परिमाण में ही इस क्षेत्र से पिछले वर्ष की अपेक्षा अत्यधिक माल उठाया गया है। अतः किसी विशेष कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या मैं जान सकता हूं कि कब तक सारे माल के उठाये जाने की अपेक्षा है ?

श्री शाहनवाज़ खां : यह कहना कुछ कठिन सा है कि सारा माल कब तक उठाया जाएगा क्योंकि माल डिब्बे उपलब्ध करना कठिन नहीं है परन्तु जिस पत्तन में माल भेजने का है वहां की अंश मर्यादाओं का पालन करना कठिन है।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि भारतीय पटसन मीलों की संस्था द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर, भारत सरकार की वाणिज्य व उद्योग तथा कृषि मंत्रालयों ने मुक्त हस्त से माल डिब्बे देने के बारे में रेल मंत्रालय से कोई बातचीत की थी ?

श्री शाहनवाज़ खां : अब तक इन क्षेत्रों से पटसन हटाने में हमें कोई कठिनाई महसूस नहीं हुई। वस्तुतः गत वर्ष इन क्षेत्रों से हटाए गए पटसन की राशि में ११·५ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

श्री एल० एन० मिश्र : विभिन्न व्यापारियों को माल डिब्बे देने की प्रक्रिया के बारे में क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि सरकार के पास प्रचुर भ्रष्टाचार की शिकायतें भेजी गयी हैं ?

श्री शाहनवाज़ खां: माल डिब्बे देने की एक ही सामान्य प्रक्रिया है और जैसा कि मैंने पहले कहा है, कलकत्ते में लगाये गये अंश-प्रतिबन्धों के कारण ही हमारी शक्ति मर्यादित होती है।

श्री एल० एन० मिश्र: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि बिहार सरकार ने पटसन पर सीमा शुल्क लगाने में सहकार्य करने के बारे में रेल मंत्रालय के पास कोई अभ्यावेदन भेजा था?

श्री शाहनवाज़ खां: जानकारी उपलब्ध नहीं है।

लिग्नाइट स्रोतों का विकास

*२१४२. **श्री के० पी० सिन्हा:** (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मद्रास राज्य के दक्षिण अर्काट जिले में लिग्नाइट स्रोतों का विकास करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

(ख) क्या सरकार कोयले की श्रेणियां निश्चित करने तथा कीमतों में हेर फेर करने के उद्देश्य से कोयले की स्थिति की जांच करने के लिये कोई आयोग अथवा कोई विशेष समिति नियुक्त करने का विचार कर रही है?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) लिग्नाइट स्रोतों का विकास-कार्य मद्रास सरकार अपने हाथ में ले रही है। भारत सरकार ने, ऋण के तौर पर, मद्रास सरकार को लिग्नाइट उत्खनन योजना चलाने के लिये कुछ भारी उत्खनन यंत्र सामग्री दी है।

(ख) सम्भवतः माननीय सदस्य रेल इंधन जांच समिति के प्रतिवेदन के चतुर्थ अध्याय की कण्डिका ७४ (झ) में की गई सिफारिश का निर्देश कर रहे हैं। सरकार ने अभी इस सिफारिश पर विचार नहीं किया।

श्री के० पी० सिन्हा: भाग (क) के बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं? क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इसके बारे में प्रारम्भिक कार्यवाही की गई है?

श्री अलगेशन: प्रारम्भिक कार्य मद्रास सरकार के तत्वावधान में हो रहा है और वह कार्य जारी है।

श्री सी० आर० नरसिंहन्: क्या मैं जान सकता हूं कि कार्य की गति बढ़ाने के लिये क्या कोई विदेश प्राविधिक परामर्श लिया जा रहा है?

श्री अलगेशन: हां, इस काय को चलाने के लिये जो समिति नियुक्त की गई है उसमें एक विदेशी विशेषज्ञ है।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह कार्य अभी प्रारम्भिक जांच की अवस्था में है अथवा क्या यह परियोजना कार्यान्वित की जा रही है?

श्री अलगेशन: परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार द्वारा यह परियोजना किसी निजी अभिकरण के मार्फत कार्यान्वित की जा रही है?

श्री अलगेशन: वह सीधे मद्रास सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

श्री सी० आर० नरसिंहन्: क्या मैं जान सकता हूं कि रेल मंत्रालय इस मामले में किस प्रकार दिलचस्पी ले रही है?

श्री अलगेशन: जैसा कि मैंने कहा है कि हम ने लाखों रुपए कीमत की उत्खनन की यंत्र-सामग्री उन्हें ऋण के तौर पर दी है। इस समय हम कोई वित्तीय बोझ नहीं उठा रहे हैं।

श्री एस० वी० रामास्वामी : मद्रास सरकार को कुछ सामान देने के अलावा, क्या उन्हें कोई वित्तीय सहायता दी जा रही है ?

श्री अलगेशन : मैंने अभी इसका उत्तर दिया है । इस समय हम कोई वित्तीय बोझ नहीं उठा रहे हैं ।

श्री वी० पी० नायर : यदि मैंने उपमंत्री जी को ठीक सुना है, तो उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा कुछ सिफारिशों पर विचार नहीं किया जा रहा है । यदि ऐसा है तो क्या मैं जान सकता हूं कि ये सिफारिशें सरकार को कब अर्थात् किस तारीख को प्राप्त हुई थीं ?

श्री अलगेशन : वे अभी अभी मार्च महीने में प्राप्त हुई थीं । प्रतिवेदन का यह भाग उत्पादन मंत्रालय के विचाराधीन है । उन्हें ही इस विषय में कदम उठाने पड़ेंगे ।

श्री के० पी० सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इंधन समिति ने ऐसी राय दी थी कि कोयले की श्रेणियों तथा कीमतों में परिवर्तन करने से रेलवे प्रति वर्ष लगभग १ करोड़ रुपये की बचत कर पायेगी ।

श्री अलगेशन : हां । सिफारिशें की गई हैं किन्तु प्रतिवेदन का यह भाग, जैसा कि मैंने कहा है, उत्पादन मंत्रालय के विचाराधीन है ।

त्रावनकोर-कोचीन के छोटे पत्तनों का विकास

*२१४३. **श्री ए० एम० टामस :** (क) **यातायात** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार से त्रावणकोर-कोचीन में छोटे छोटे पत्तनों के विकास के लिये सहायता देने की प्रार्थना की गई है ?

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने उनकी जांच की है ?

(ग) किन पत्तनों का विकास किया जायेगा और किस दिशा में ?

(घ) क्या आलप्पी पत्तन के विकास के सम्बन्ध में मन्त्री महोदय ने वहां का दौरा किया है ?

(ङ) यदि किया है तो उसके परिणाम स्वरूप क्या पग उठाये गये हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां ।

(ख) तथा (ङ) राष्ट्रीय पत्तन परिषद् इन प्रस्तावों के साथ साथ अन्य समुद्रतटीय राज्य सरकारों के प्रस्तावों पर विचार करेगी ।

(ग) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या १]** ।

(घ) हां, दिसम्बर १९५२ में यातायात मंत्री अलेप्पी पत्तन गये थे यद्यपि उनका यह जाना मुख्यतः उस पत्तन के विकास के सम्बन्ध में न था ।

श्री ए० एम० टामस : दिये गये विवरण से मुझे पता लगा है कि आलप्पी पत्तन पर १४.९ लाख रुपये, त्रिवेन्द्रम पत्तन पर १९ लाख रुपये और क्विलोन पर १६.५ लाख रुपये व्यय होंगे । क्या मैं जान सकता हूं कि ये धन राशियां किसी निश्चित योजनानुसार किसी विशेष काल में व्यय की जायेंगी अथवा ये धन अब भी व्यय होगा ?

श्री अलगेशन : त्रावणकोर-कोचीन की राज्य सरकार ने यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया है और वे योजना-काल में इस कार्यक्रम के एक भाग को कार्यान्वित करने की आशा करते हैं, न पूरे की ।

श्री ए० एम० टामस : क्या मैं पूछ सकता हूं कि इन योजनाओं को केन्द्रीय सरकार किस सीमा तक सहायता देगी ?

श्री अलगेशन : विभिन्न राज्यों को अपने छोटे छोटे पत्तनों को उत्तमतर बनाने

के लिये ऋण देने की योजना है। यह अभी तक अन्तिम रूप से निश्चित नहीं हुई है ?

भूतपूर्व कम्पनी के रेल कर्मचारियों के लिये अवकाश ग्रहण की आयु

*२१४४. **श्री सिंहासन सिंह:** रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व कम्पनी के रेल कर्मचारियों के लिये अवकाश ग्रहण करने की अवस्था सरकारी रेल कर्मचारियों के लिये अवकाश ग्रहण करने की अवस्था से भिन्न है; तथा

(ख) यदि है तो क्यों ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) सरकारी रेल कर्मचारियों की भांति ही भूतपूर्व कम्पनी के रेल कर्मचारियों के लिये अवकाश ग्रहण करने की अवस्था ५५ वर्ष है। क्लर्क आदि जो ३१ मार्च १९३८ को स्थाई सरकारी नौकरी में थे, कुछ स्थितियों के अन्तर्गत ६० वर्ष की आयु तक नोकरी में रखे जाते हैं।

(ख) ३१ मार्च १९३८ तक जिन नियमों के अनुसार क्लर्क आदि को भरती किया गया था, उन में यह सुविधा दी गई है। उस तारीख के पश्चात् सरकारी नौकरी में भरती किये गये समस्त कर्मचारी और भूतपूर्व कम्पनी के कर्मचारी जिन्हें सरकारी नौकरी में लिया गया, उन्हें इस स्पष्ट विचार के आधार पर रखा गया है कि उन्हें ५५ वर्ष की आयु होने पर अवकाश ग्रहण करना पड़ेगा।

श्री वी० पी० नायर: मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार के लिये यह सम्भव नहीं है कि ६० वर्ष की आयु में अवकाश ग्रहण करने की यह रियायत उन समस्त कर्मचारियों को भी दे दी जाये जो १९३८ से पहिले, जबकि कम्पनियां रेलें चलाती थीं, क्लार्क आदि के रूप में काम करते थे ?

श्री अलगेशन: इस पर विचार किया गया था और यह निश्चय किया गया था कि यह रियायत १९३८ के पूर्व सरकार द्वारा रखे गये कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी और को न दी जाये।

श्री वी० पी० नायर: मैं जान सकता हूं कि अधीन कर्मचारी वर्ग के साथ ही यह भेदभाव क्यों किया गया ?

श्री अलगेशन: भेदभाव का प्रश्न ही नहीं है। उन स्थितियों में रखे गये कर्मचारियों को ही रियायत दी जाती है।

श्री वी० पी० नायर: मैं जान सकता हूं कि क्या उन्होंने १९३८ से पहिले भरती होने वालों की तरह ही व्यवहार पाने के लिये कोई अभ्यावेदन किया है ?

श्री अलगेशन: हां, हमें अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं परन्तु निश्चय यही किया गया था।

चन्दामेता की कोयले की खानों में दुर्घटनायें

*२१४५. **सरदार ए० एस० सहगल:** (क) क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सत्य है कि मध्य प्रदेश के चिंदवारा जिले में चन्दामेता की कोयले की खानों में खान का भाग गिर गया ?

(ख) कितने व्यक्ति मरे ?

(ग) मृतक व्यक्तियों के परिवारों को उनकी क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में क्या पग उठाये जायेंगे ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) कदाचित माननीय सदस्य का अभिप्राय उत्तरी चन्दामेता की खानों में १५ अप्रैल १९५३ को छत के गिर जाने की दुर्घटना से है।

(ख) दो ।

(ग) क्षति पूर्ति के भुगतान पर मज़दूर क्षतिपूर्ति अधिनियम लागू होता है जिसका प्रशासन राज्य सरकार का काम है । यहां मैं यह बता दूं कि स्थाई अनुदेशों के अन्तर्गत कोयला खान कल्याण आयोग, धनवाद, को इस दृष्टि से कि मिलने वाली क्षति पूर्ति का भुगतान हो गया है, का विश्वास करने के लिये प्रत्येक दुर्घटना को आगे बढ़ाने का उत्तरदायी बनाया गया है ।

सरदार ए० एस० सहगल: मैं जान सकता हूं कि क्या मृतक के परिवार ने कोई अभ्यावेदन भेजा है ?

श्री वी० वी० गिरि: इस विषय में मेरे पास कोई सूचना नहीं है ।

श्री के० जी० देशमुख: मैं जान सकता हूं कि क्या इस दुर्घटना का कारण इस भाग का गिरना था अथवा कुछ और ?

श्री वी० वी० गिरि: यह इस भाग के गिरने के कारण हुआ था ।

कोचीन पत्तन का विकास

*२१४६. **श्री ए० एम० टामस:** (क) **यातायात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोचीन पत्तन का और अधिक विकास करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

(ख) कितने व्यय का अनुमान है ?

(ग) १९५३–५४ के वर्ष में कितना धन और किस दिशा में व्यय होगा ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) पंच वर्षीय योजना के एक भाग के रूप में पत्तन के सुधार की कुछ योजनाय विचाराधीन ह ।

(ख) लगभग २२८.५ लाख रुपये जिनका विवरण सदन पटल पर रखे हुए विवरण में दिया गया है । [**देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या २**] ।

(ग) लगभग ४.४४ लाख रुपये एक नये गोदाम के निर्माण पर और १०.२७ लाख रुपये तेल टंकी की सुविधाओं की व्यवस्था पर ।

श्री ए० एम० टामस: मैं जान सकता हूं आजकल कोचीन पत्तन को सामान उतारने चढ़ाने की वास्तविक क्षमता क्या है ?

श्री अलगेशन: १९५२–५३ में उतारे व चढ़ाये गये सामान का बोझ १२,९९,६६८ टन है ।

श्री ए० एम० टामस: पंच वर्षीय योजना से मुझे ज्ञात हुआ है कि २९.२६ करोड़ रुपये कोचीन पत्तन सहित पांचों पत्तनों पर व्यय होंगे । क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस धन में से केवल २,२८,००,००० रुपये कोचीन पत्तन पर व्यय होंगे ?

श्री अलगेशन: हो सकता है सम्पूर्ण धन राशि मेरे माननीय मित्र द्वारा बताई गई धन राशि न हो परन्तु यह धन वह है जो कोचीन पत्तन पर व्यय होगा ।

श्री ए० एम० टामस: म जान सकता हूं कि क्या कोचीन पत्तन में जहाज़ ठहरने के घाटों के आधुनिकीकरण पर भी कुछ व्यय हो रहा है ?

श्री अलगेशन विवरण में व्याख्या दी हुई है । मैं नहीं जानता कि यह पद उसमें आता है या नहीं ।

श्री एस० सी० सामन्त: मैं जान सकता हूं कि क्या कोचीन पत्तन का विकास कार्य बड़े पत्तन विकास समिति की सिफ़ारिशों के अनुसार हो रहा है ?

श्री अलगेशन: जब पत्तन अधिकारियों से उस पत्तन के लिये कार्यक्रम बनाने को

कहा गया था तब इस सब पर विचार किया गया था ।

श्री ए० एम० टामस : क्या उप-मन्त्री कृपा करके मुझे यह बता सकते हैं कि अब तक उस पत्तन पर क्या व्यय हो चुका है ?

श्री अलगेशन : माननीय सदस्य को मैं यह बता सकता था परन्तु इस समय मेरे पास यह सूचना नहीं है । मैं यह बता सकने की आशा करता हूं ।

ऐरणाकुलम–क्विलोन रेलवे लाइन

*२१४७. **श्री ए० एम० टामस :** (क) रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३१ मार्च १९५३ तक ऐरणाकुलम-क्विलोन पर कितना धन व्यय हो चुका है ?

(ख) अब तक क्या काम हो चुका है ?

(ग) १९५३–५४ में प्रशासन क्या कार्य करने का विचार रखता है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) ऐरणाकुलम-कोटयम क्षेत्र पर ७.२५ लाख रुपये ।

(ख) लगभग १८ मील तक भूमि-कार्य हो चुका है । कर्मचारियों के लिये कुछ क्वार्टर भी बनने आरम्भ हो गये हैं।

(ग) १९५३–५४ के वैत्तिक वर्ष में ६० प्रतिशत भूमि-कार्य तथा ६० प्रतिशत छोटे पुलों का कार्य होगा।

श्री ए० एम० टामस : मैं जान सकता हूं इस लाइन पर वास्तव में कितना धन व्यय हो चुका है । केवल लम्बाई मीलों में बताई गई है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : अब तक ७.२५ लाख रुपये व्यय हो चुके हैं ।

श्री ए० एम० टामस : मैं जान सकता हूं हूं कि क्या सरकार की योजना किसी विशेष दूरी को पूरा करके और उसे यातायात के योग्य बनाना है अथवा पूरी लाइन बना कर यातायात के लिये खुला छोड़ना है ?

श्री अलगेशन : अभी यह बताना समय के बहुत पूर्व है ।

श्री अच्युतन : क्या मैं उस काम में प्रतिदिन काम करने वाले मज़दूरों की संख्या जान सकता हूं ?

श्री शाहनवाज़ खां : मैं पूर्व सूचना चाहता हूं ।

श्री ए० एम० टामस : मैं जान सकता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में भूमि-प्राप्ति का काम पूरा हो चुका है ?

श्री अलगेशन : श्रीमान्, यह अपेक्षतः धीरे हो रहा है । इसी कारण काम में देरी हो रही है ।

एफ० ए० ओ० विशेषज्ञ

*२१४८. **सरदार ए० एस० सहगल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एफ० ए० ओ० के तीन विशेषज्ञों की सेवायें निकट भविष्य में विज्ञान तथा उद्योग अनुसंधान परिषद् को उपलब्ध होंगी;

(ख) ये विशेषज्ञ कहां नियुक्त किये जायेंगे;

(ग) वे किस प्रकार की सलाह देंगे;

(घ) क्या खाद्यान्न सम्बन्धी उद्योगों में प्रयोग होने वाली मशीनों तथा भारत की स्थिति अनुसार नई किस्म के सस्ते तथा अच्छे डिब्बे बनाने पर भी सलाह दी जायेगी; तथा

(ङ) इन एफ० ए० ओ० के विशेषज्ञों पर सरकार क्या व्यय करेगी ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) विशेषज्ञों की आगामी वर्ष के आरम्भ में भारत आने की आशा है।

(ख) मैसूर स्थित केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगकीय अनुसंधान केन्द्र में।

(ग) तथा (घ). अन्न से खाने की वस्तुएं बनाने, मुख्यकर बिस्किट तथा नाश्ते की चीज़ें बनाने का एक विशेषज्ञ ऐसी वस्तुओं के बनाने के लिये एक मूल संयन्त्र लगाने में सलाह देगा तथा केन्द्र में बेकारी विकास प्रयोगशाला संगठित करने में सहायता देगा। दूध का पाऊडर बनाने, बच्चों का खाना, का अन्य विशेषज्ञ, ऐसी वस्तुओं के बनाने तथा उनके लिये मूल संयन्त्रों को छांटने तथा लगाने में परामर्श देगा। बंडल बनाने के सामान तथा खाना रखने के डिब्बों सम्बन्धी तीसरा विशेषज्ञ बंडल बनाने, परीक्षण तथा विकास करने के लिये तथा खाने की वस्तुओं के बंडलों तथा डिब्बों सम्बन्धी खोज की व्यवस्था करने पर केन्द्र को सलाह देगा।

(ङ) विज्ञान तथा उद्योग अनुसंधान परिषद् विशेषज्ञों का स्थानीय खर्चा उठायेगी नाम्ना प्रथम मास के लिये संयन्त्र लगाने का १,६५० रुपये का व्यय, प्रथम मास के पश्चात बिना किराये की रहने की जगह, कार्य सम्बन्धी यात्रा के दिनों में यातायात का वास्तविक व्यय तथा दस रुपये का प्रति दिन भत्ता सहित बिना किसी मूल्य का खाना तथा रहना, आयकर का भुगतान तथा डाक्टरी सहायता की सुविधा।

सरदार ए० एस० सहगल: क्या मैं जान सकता हूं कि एफ० ए० ओ० एक्सपर्टस जो यहां पर आवेंगे, यदि यह ऐक्सपैरीमेंट आपका सक्सैसफुल हुआ तो क्या उसको सारे भारत में आप प्रोत्साहन देने की कोशिश करेंगे ?

डा० पी० एस० देशमुख: जी हां, उसी ख्याल से तो इन को लाया जा रहा है।

श्री के० जी० देशमुख : विशेषज्ञ भारत में कितने वर्ष रहेंगे ?

डा० पी० एस० देशमुख: प्रायः अवधिकाल ६ मास से ले कर दो से ३ वर्ष तक होता है।

प्रो० डी० सी० शर्मा : मैं जान सकता हूं कि नाश्ते के खाने, जिन पर हमें विशेषज्ञ सलाह देंगे, भारतीय ढंग के होंगे अथवा उस से सर्वथा भिन्न रूप के ?

डा० पी० एस० देशमुख: कुछ भी हो, मुझे कोई सन्देह नहीं है, यद्यपि यह तथ्य है कि हम में बहुत से योरोपीय खाने के भी आदी हो चुके हैं।

कुछ माननीय सदस्य: नहीं, नहीं।

डा० सुरेश चन्द्र: क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने विश्वसनीय रूप से यह पता लगा लिया है कि ये विशेषज्ञ जिस कार्य के लिये यहां लाये जा रहे हैं, वास्तव में, उस के विशेषज्ञ हैं अथवा वे एफ़० ए० ओ० केवल शासकीय पदों पर नियुक्त हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मानवीय दृष्टि से जहां तक सम्भव है, हम वास्तविक विशेषज्ञों को ही छांटते हैं न कि झूटे विशेषज्ञ।

डा० सुरेश चन्द्र: यह सरकार की छांट नहीं है; वे एफ़० ए० ओ० द्वारा भेजे जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: यह समझौता है।

डा० पी० एस० देशमुख: एफ़० ए० ओ० भी जानता है।

प्रो० डी० सी० शर्मा: मैं जान सकता हूं कि अन्त में इस देश की खाद्यान्न बचत में इन पाऊडरों का मूल्य क्या होगा जिन्हें ये विशेषज्ञ बनायेंगे ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह सुझाव देने के लिये कोई बात नहीं है कि वे केवल पाऊडर बनायेंगे। अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं। प्रयोगशालायें स्थापित की जायेंगी।

भारतीय जन उन में काम करेंगे । वे केवल उन ही वस्तुओं को बनायेंगे जो उपयोग करने योग्य होंगी ।

श्री के० सी० सोधिया : ये विशेषज्ञ किस की सलाह से बुलाये गये हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस सरकार तथा एफ़० ए० ओ० के बीच वार्ता के आधार पर उन्हें बुलाया गया है ।

श्री के० सी० सोधिया : मैं जानना चाहता हूं कि उन्हें किस की सलाह से नियुक्त किया गया था ?

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं; मैं नहीं जानता कि उन के लिये अनुमति कैसे दी जा सकती है । यह तो सरकार ही निश्चय करती है, कोई भी सरकार हो, इधर या उधर अन्तिम स्थान की सरकार । वे यह निश्चित करने का दायित्व लेती है कि इस देश को कौन विशेषज्ञ आयेंगे—वास्तव में अच्छे विशेषज्ञ । क्या हम सदन में यह आलोचना करते रह सकते हैं कि विशेषज्ञ सच्चे विशेषज्ञ हैं या नहीं । और हम सच्चे विशेषज्ञ हैं । मैं माननीय सदस्यों से केवल निवेदन करता हूं कि वे विशेष व्याख्या के प्रश्नों में एक किस्म की साधारणता का प्रयोग करेंगे । हमें किसी विशेष अवस्था में रुकना चाहिये ।

श्री वी० पी० नायर : मैं जान सकता हूं कि नाश्ते की वे महत्वपूर्ण वस्तुएं क्या हैं जिन के सम्बन्ध में हम सलाह ले रहे हैं और क्या मैं यह भी जान सकता हूं जैसा कि माननीय मंत्री ने बताया, कि ये विशेषज्ञ यहां आ कर उस खाने पर सलाह देंगे जो आज कल अंग्रेजी खाना खाने वाले व्यक्तियों द्वारा खाया जाता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : बहुत सी वस्तुएं हैं । मैं समझता हूं कि कम से कम मेरे माननीय मित्र यह जानते हैं कि हम मकई आदि, गेहूं तथा चावल से क्या बनाते हैं । हम अब कार्न फ्लेक्स तथा अन्य वस्तुएं बना रहे हैं । ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जो एक सी हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री वी० पी० नायर : क्या वे दोसा और इडली पर भी सलाह देंगे ?

बन विकास योजना

*२१४९. **श्री मादिया गौडा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बनाई गई बन विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये कौन से उपाय किये गये ह ; तथा

(ख) बन नीति के समन्वय के कोई उपाय किये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) योजना की अधिकतम सिफ़ारिशें राज्यों द्वारा कार्य में लाई जाने के लिये हैं तथा राज्य सरकारों से उन्हें कार्यान्वित करने की प्रार्थना की गई है । कुछ सिफ़ारिशें जिन का संबंध केन्द्रीय मंत्रालयों तथा विभागों से है उन पर कार्य आरंभ कर दिया गया है ।

(ख) हां; बनविद्या के केंद्रीय मंडल द्वारा समन्वय प्राप्त किया जाता है तथा जून में होने वाली मण्डल की आगामी बैठक में इस विषय पर वार्ता होगी ।

श्री मादिया गौडा : क्या मैं जान सकता हूं कि राज्य सरकारों ने केंद्रीय सरकार द्वारा प्रतिपादित विभिन्न नीतियों का पालन किया है तथा क्या केन्द्रीय सरकार के पास, विभिन्न राज्यों द्वारा किये जाने वाले विकास कार्य की जांच करने का कोई साधन है ?

डा० पी० एस० देशमुख : ऐसी जांच करने का हमारे पास कोई बड़ा साधन नहीं है । परन्तु हमें विश्वास है कि राज्य सरकारों

की स्वयं इन सिफ़ारिशों में बहुत अभिरुचि है तथा मुझे विश्वास है कि उन्हें भी इन को यथासंभव पूरा करने की चिन्ता होगी। मैं उन के कार्यान्वितीयकरण की स्थिति के सम्बन्ध में नहीं बता सकता हूं, परन्तु मुझे कोई सन्देह नहीं कि नीति तथा सिफ़ारिशें ऐसी हैं कि वे राष्ट्रीय हित में हैं तथा राज्यों के भी हित में हैं।

श्री दामोदर मेनन: क्या मैं जान सकता हूं कि बन विद्या के केन्द्रीय मंडल ने व्यक्तिगत बनों के राष्ट्रीयकरण की किसी योजना पर विचार किया है ?

डा० पी० एस० देशमुख: नहीं, श्रीमान। यह कार्य सब से पहले राज्य सरकारें करेंगी। तब सिफ़ारिशों तथा नीति के अनुसार, जिन का प्रतिपादन किया जा चुका है, हम जहां तक राष्ट्रीय बनों का सम्बन्ध है, अपनी कार्यवाइयों का समन्वय करन का प्रयत्न करेंगे।

श्री मादिया गौडा: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या राज्य सरकारों को उन के अनुसंधान तथा विकास कार्य के लिये केंद्रीय सरकार द्वारा कोई अनुदान दिया जाता है ?

डा० पी० एस० देशमुख: मेरा विचार है कि अनुसन्धान की कुछ ऐसी योजनायें हैं जिन को सरकार की और से सहायता दी जाती है। मैं अधिक विस्तारपूर्ण उत्तर नहीं दे सकता हूं।

बाबू रामनारायण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हर एक देश का जलवायु भिन्न भिन्न होता है। इस देश में भी बहुत तरह का जलवायु है, बहुत तरह की परिस्थितियां हैं। तो यहां के वायुमंडल का ज्ञान हुए बिना यह विशेषज्ञ लोग कैसे काम कर सकेंगे, यह मैं जानना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: वायुमण्डल कैसे ? आनरेबिल मेम्बर को व्याख्यान नहीं देना चाहिये।

बाबू रामनारायण सिंह: इन विशषज्ञों को भारत वर्ष के वायुमण्डल तथा परिस्थिति का ज्ञान है या नहीं और अगर नहीं है तो यह कैसे काम कर सकेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय: बन से सम्बन्धित इस विषय से यह प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है ?

श्री केलप्पन : पंचवर्षीय योजना के अनुसार सरकार भूमिक्षेत्र के ३३ प्रतिशत पर बन रखना चाहती है तथा वर्तमान क्षेत्रफल केवल १८ प्रतिशत है। सरकार इस बड़े अन्तर को दूर करने का कैसे विचार करती है ?

डा० पी० एस० देशमुख: यह सब से बड़ी सिफ़ारिश है जो राज्यों को की गई हैं तथा जिस का केन्द्रीय सरकार उपाय कर रही है। जैसा माननीय सदस्यों को ज्ञात है इन सब कार्यों के लिये ९,९५,००,००० रुपये का प्रावधान किया गया है, जिस का एक भाग, वर्तमान बनों के क्षेत्रफल तथा जितने बन हम चाहते हैं उन के क्षेत्रफल के अन्तर को पूरा करने के लिये रक्खा गया है।

श्री सारंगधर दास: क्या सरकार को ज्ञात है कि, जिमींदारी उन्मूलन के भय से, जिमींदारों के बहुत से बन प्रति दिन काटे जा रहे हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख: हो सकता है यह सत्य हो।

श्री सारंगधर दास : सरकार इस को रोकने के लिये क्या उपाय कर रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख: जो कुछ काटे जा चुके वे फिर से नहीं लगाये जा सकते हैं। हम नये बनविकास को प्रोत्साहन देने का प्रयत्न कर रहे ह।

उपाध्यक्ष महोदय: भविष्य में इस की पुनरावृत्ति को रोकने के कौन से उपाय किये जा रहे हैं ? माननीय सदस्य यही जानना चाहते हैं ।

डा० पी० एस० देशमुख : यह कार्य राज्य सरकारों का है । उन्हीं को इस समस्या का ज्ञान है ।

डा० सुरेश चन्द्र : माननीय मंत्री ने अभी अभी कहा है कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को बनोत्पत्ति के विकास के लिये अनुदान तथा ऋण दे रही है ।

डा० पी० एस० देशमुख : मैं ने यह नहीं कहा । मैं ने तो केवल वह व्यय बताया था जो केंद्रीय सरकार बन विकास पर करने वाली है ।

डा० सुरेश चन्द्र: मुझे खेद है ।

श्री थानू पिल्ले: क्या सरकार मदरास सरकार को बिना किसी सोच विचार के बनों की कटाई बन्द करने का आदेश भेज रही है ? क्या उन्होंने उस का पालन किया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं नहीं समझता हूं कि मदरास की ऐसी सरकार को ऐसे स्पष्ट विषय के सम्बन्ध में केन्द्र के किसी आदेश की आवश्यकता है ।

श्री एस० वी० रामास्वामी : क्या बनोत्पादन की कोई निश्चित योजना है तथा क्या मैं जान सकता हूं कि बनों की कटाई के साथ उन का क्या अनुपात है ?

डा० पी० एस० देशमुख: मैं इस प्रश्न का उत्तर बिना सूचना के नहीं दे सकता ।

श्री केलप्पन : क्या सरकार के पास वैयक्तिक वनों के क्षेत्रफल का कोई अनुमान है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे पास इस के आंकड़े नहीं हैं ।

श्री नानादास : क्या मैं जान सकता हूं ऐसे राज्यों को क्या आदेश भेजे गये हैं जो बन सम्बन्धी विधियों का बड़ी लापरवाही से उलंघन कर रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : हमें राज्यों पर कलंक नहीं लगाना चाहिये । राज्य लापरवाही से वन काटने के उत्तरदायी नहीं हैं ।

श्री गणपति राम: क्या मैं जान सकता हूं कि धर्ती का बहाव तथा मरूभूमि के बढ़ते हुए क्षेत्रफल को रोकने के लिये अब तक कितनी एकड़ भूमि पर बन लगाये गये हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख: इस प्रश्न के लिये मुझे सूचना की आवश्यकता है ।

जलंधर में यात्रियों के जाने का पुल

*२१५१. **श्री ए० एन० विद्यालंकार :** क्या रेलवे मंत्री बताने की कृपा करेंगे :–

(क) क्या सरकार को, भारी परिवहन के भार को सहन करने योग्य, पुल की आवश्यकता जताने वाला, जलंधर के निवासियों, व्यापारियों तथा वाणिज्य समाज का अभिवेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या सरकार को ज्ञात है कि जलंधर तथा पठानकोट के मध्य नये खुलने वाली सड़क के सीधे रास्ते के कारण सैनिक यातायात का एक बहुत बड़ा भाग भी इसी रास्ते से हो कर जाया करेगा; तथा

(ग) यदि है तो सरकार इस के सम्बन्ध में कौन से उपाय करने का विचार करती है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां): (क) हां ।

(ख) जलंधर तथा पठानकोट को मिलाने वाले नये खुलने वाले रास्ते के यातायात की आवश्यकताओं के लिये वर्तमान रेल की पटरी को पार करने वाली सड़क अनुपयुक्त हो इस की कोई शिकायत अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार: क्या मैं जान सकता हूं, श्रीमान्, कि यह सत्य है कि रेल की पटरी को पार करने वाली दो सड़कों के अतिरिक्त, इस महागुंजान बसे हुए नगर के एक ओर से दूसरे ओर जाने के लिये कोई दूसरा मार्ग रेल की पटरी को पार करने वाला नहीं है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : मैं विस्तार में नहीं जा सकता हूं, परन्तु मैं इस विषय का पुनः परीक्षण कराने को तय्यार हूं यदि नगर पालिका अथवा राज्य सरकार यात्रियों के जाने वाले पुल के निर्माण में अपना भाग देने के लिये तय्यार हों ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या यह सत्य है कि माननीय मंत्री ने स्वयं उस स्थान का निरीक्षण किया है तथा उन्होंने स्वयं उस स्थान पर रेल के पटरी को पार करने वाले एक मार्ग की आवश्यकता का अनुभव किया है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : यह सत्य है परन्तु मैं कह चुका हूं कि यात्रियों के जाने वाले उस पुल के निर्माण में राज्य सरकार को भी अपना भाग देना पड़ेगा । तभी रेलवे मंडल इस कार्य को हाथ में ले सकता है ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या इस विषय पर केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के बीच कोई पत्र व्यवहार हो चुका है ?

श्री एल० बी० शास्त्री: राज्य सरकार का कार्य है कि इस के सम्बन्ध में हमें लिखे ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या वह सत्य है कि राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस विषय की ओर दिला चुकी है ?

श्री एल० बी० शास्त्री: मुझे कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

एटा जिले के रेल मार्ग

*२१५२. **श्री बादशाह गुप्त:** क्या रेल मंत्री, ज़िला तथा तहसील के प्रधान कार्यालयों को, रेल मार्ग द्वारा, पड़ोस के रेलवे जंकशन से मिलाने के सम्बन्ध में, एटा ज़िले के अपने हाल के दौरे का परिणाम बताने की कृपा करेंगे ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : इस सम्बन्ध में निम्न-लिखित वैकल्पिक मार्गों का परीक्षण करने का विचार है :—

(१) कासगंज तथा एटा के मध्य छोटी लाइन का मार्ग ;

(२) एटा तथा हाथरस रोड के मध्य जलेसर होते हुए छोटी लाइन का मार्ग ;

(३) एटा तथा जलेसर रोड के मध्य जलेसर होते हुए बड़ी लाइन का मार्ग ;

इस जांच के परिणाम पर आगे की उन्नति निर्भर करती है ।

श्री बादशाह गुप्त : क्या मैं जान सकता हूं, श्रीमान, कि इस जांच के द्वारा अन्तिम निर्णय पर पहुंचने में कितना समय लगेगा ?

श्री शाहनवाज़ खां: कोई निश्चित तारीख बताना कठिन है श्रीमान । हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री बादशाह गुप्त : इस नये मार्ग के कारण, एटा ज़िले के किस तहसील कार्यालय को लाभ होगा ?

श्री शाहनवाज़ खां : श्रीमान, विचार यह है कि एटा के ज़िला प्रधान कार्यालय को मुख्य रेल मार्ग से मिला दिया जाय ।

श्री बादशाह गुप्त: क्या मैं जान सकता हूं, श्रीमान, कि यह अन्तिम रूप से निर्णय

हो चुका है कि एटा बड़ी लाइन नहीं वरन् छोटी लाइन द्वारा मिलाया जाय ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : हमें जांच के परिणाम की राह देखना है ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं, श्रीमान, कि क्या अब सरकार की नीति यह है कि तहसील तथा ज़िला प्रधान कार्यालयों को समस्त भारत के प्रमुख रेलवे जंकशनों से मिला दिया जाय ?

श्री अलगेशन : नहीं, श्रीमान् । ऐसी कोई नीति नहीं है ।

डाक सेवाओं का यंत्रीकरण

*२१५३. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **संचरण मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में डाक सेवाओं के यंत्रीकरण की कोई योजना बनाई है;

(ख) क्या इस मामले में सलाह देने के लिये विदेश से विशेषज्ञ आए हैं; और

(ग) यदि हां तो वे कितनी देर भारत में रहेंगे और उन द्वारा कहां कहां जाने की संभावना है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां, दो बृटिश विशेषज्ञ कोलम्बो योजना की टेकनीकल सहायता योजना के अधीन भारत आए हैं ।

(ग) अभी तो वे नौ महीने रहेंगे, विचार है कि वे लखनऊ, कानपुर, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, अहमदाबाद और ऐसे स्थानों पर जायेंगे जहां जाना आवश्यक समझा जाय ।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या पंचवर्षीय योजना के अधीन इस काम के लिये कोई रकम रखी गई है ?

श्री राज बहादुर : जी हां । यह विचार है कि यंत्रीकरण पर ३० लाख रुपया खर्च किया जाय ।

डा० सुरेश चन्द्र : श्रीमान क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या इन विशेषज्ञों ने इस संबंध में कोई निश्चित प्रस्थापनायें रखी हैं ?

श्री राज बहादुर : वे तो अभी २० मार्च, १९५३ को आये हैं । उन्हें स्थिति का अध्ययन करने में कुछ समय लगेगा और उस के बाद वे सिफ़ारिशें करेंगे ।

श्री रघुरामय्या : श्रीमान क्या मैं यह जान सकता हूं कि वे किस विशेष उद्देश्य के लिये अध्ययन करने तथा रिपोर्ट देने के लिये आये हैं ?

श्री राज बहादुर : जसा कि मैं ने कहा है, उन के अध्ययन का विषय डाक तथा तार विभाग में यंत्रों के प्रयोग की प्रणाली शुरू करना होगा जिस से कि इन विभागों में कार्यकुशलता बढ़े और काम भी तेजी से हो ।

श्री सैय्यद अहमद : वे किन देशों से आये हैं ?

श्री राज बहादुर : बृटेन ।

श्री रघुरामय्या : श्रीमान् मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं । क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि डाक सेवाओं के यंत्रीकरण का ठीक ठीक मतलब क्या है ?

श्री राज बहादुर : उदाहरण के लिये यंत्रों आदि द्वारा चिट्ठियां छांटने वाले कार्यालयों को डाक के थैले भेजना और फिर उन्हें डाक की मोटरगाड़ियों में रखना ।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या ऐसी कोई योजना है कि भारत के बड़े नगरों में चिट्ठियां भेजने की "ट्यूब" प्रणाली चालू की जाय, जैसे कि यह दूसरे देशों में प्रचलित है ?

श्री राज बहादुर : यह तो इन विशेषज्ञों की सिफ़ारिशों पर निर्भर होगा ।

श्री सैय्यद अहमद : इन विशेषज्ञों को पारिश्रमिक के रूप में कितनी राशि दी जाती है ?

श्री राज बहादुर : हमें इस प्रकार पारिश्रमिक नहीं देना पड़ता । परन्तु इन विशेषज्ञों को शर्तों के अनुसार, कुछ भत्ते, रहने का खर्च आदि लेने का अधिकार है ।

श्री सैय्यद अहमद : शर्तें क्या हैं ?

श्री राज बहादुर : उन का वेतन तथा भारत आने का किराया तो बृटेन की सरकार देगी और हमें उन के रहने का खर्चा तथा उन दरों पर भत्ते देने पड़ेंगे जो श्रेणी १ के अधिकारियों को दिये जाते हैं ।

श्री एस० एन० दास : श्रीमान क्या मैं पूछ सकता हूं कि इन सेवाओं के यंत्रीकरण से बेकारी बढ़ेगी, यदि हां, तो कितनी ?

श्री राज बहादुर : श्रीमान, अभी यह बताना कठिन है ।

श्री मुनिस्वामी : श्रीमान क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस यंत्रीकरण से बेकारी बढ़ेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : यही प्रश्न पूछा गया था ।

आंध्र में पटसन की खेती

*२१५६. **श्री मुनिस्वामी :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि केंद्रीय सरकार ने प्रस्तावित आंध्र राज्य के किसानों को यह निर्देश दिया है कि अपने खेतों में मूंगफली के स्थान में पटसन की खेती शुरू कर दें ?

(ख) क्या आंध्र राज्य पटसन व्यापारी समिति ने केन्द्रीय सरकार को कोई स्मरण पत्र भेजा है ?

(ग) उस स्मरण पत्र के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्री (डा० वी० एस० देशमुख) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं ।

डाक व तार कर्मचारियों के अभ्यावेदन

*२१५७. **श्री मुनिस्वामी :** (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का इरादा है कि डाक व तार विभाग के कर्मचारियों के बच्चों को वैसी ही शिक्षा संबंधी रियायतें दी जायें जैसी कि मद्रास सरकार ने अपने कर्मचारियों को दी हैं ?

(ख) क्या सरकार का इरादा है कि मथुराई, तिरुचीरापल्ली और कोयम्बटूर नगर को, उन के औद्योगिक महत्व तथा उन के रहन सहन के बढ़े हुए खर्च को ध्यान में रखते हुए, 'बी' श्रेणी के नगरों की सूची में रखा जाय ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

रेलवे कर्मचारियों को मकान-किराया-भत्ता

*२१५८. **श्री एस० वी० रामास्वामी :** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार की नीति यह है कि म्युनिस्पेलिटियों के पास रहने वाले रेल कर्मचारियों को मकान-किराया-भत्ता दिया जाय ?

(ख) क्या यह नीति सभी म्युनिस्पेलिटियों के पास रहने वाले रेल कर्मचारियों के संबंध में बरती जाती है या कि इस का आधार प्रत्येक म्युनिस्पेलिटी की जनसंख्या होता है या कोई और बात ?

(ग) क्या सलेम जंकशन के रेल कर्मचारियों को इसी नीति के अनुसार मकान-किराया-भत्ता दिया गया है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). सरकार की नीति यह है कि ऐसे कर्मचारियों को मकान-किराया-भत्ता दिया जाय, जिन के काम करने का स्थान ऐसी म्युनिस्पेलिटियों, अधिसूचित क्षेत्रों तथा छावनियों में है जिन की जनसंख्या १ लाख से काफ़ी अधिक है और इन के साथ लगने वाली म्युनिस्पेलिटियों, अधिसूचित क्षेत्रों या छावनियों में चाहे इन की जनसंख्या कितनी भी हो ।

(ग) जी हां, १-१०-१९५२ से विशेष मामला समझ कर ऐसा किया गया है ।

नार्वे का वित्तीय सहायता कार्यक्रम

*२१६०. **श्री जेठालाल जोशी** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि नार्वे का वित्तीय सहायता कार्यक्रम त्रावनकोर-कोचीन में प्रारम्भ हो गया है ?

(ख) इस कार्यक्रम के खर्च का क्या अनुमान है ?

(ग) नार्वे से कितनी वित्तीय सहायता की आशा है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी, हां ।

(ख) १९५३-५४ वर्ष के लिये ३७·६ लाख रुपये ।

(ग) नार्वे की सरकार ने १९५३·५४ में त्रावनकोर-कोचीन राज्य में मछलियों के विकास की सामुदायिक परियोजना के लिये २७ लाख रुपये की राशि निश्चित की है ।

श्री जेठालाल जोशी : इस कार्यक्रम की मदें क्या हैं और इसे पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : जहां तक इस कार्यक्रम के लागू किये जाने का सम्बन्ध है, पहली कार्यवाही यह होगी कि स्थानीय मछली पकड़ने की नावों में, जिन की संख्या ४०० है, अधिकाधिक मोटरें लगाई जायें । उस के बाद मरम्मत की सुविधायें दी जायेंगी । उस के बाद नए ढंग के जाल दिये जायेंगे और मछली पकड़ने के सम्बन्ध में, मछली पकड़ने की नावों तथा तट पर इस सम्बन्ध में उपकरणों की स्थापना की जायगी । यह प्रयत्न भी किये जायेंगे कि मछेरों को कुछ और काम भी दिलाया जाय । अन्य कार्यवाहियों में ये भी शामिल हैं; बर्फ़ तैयार करने का मूल यंत्र लगाना, थोड़े समय के लिये बर्फ़ रखने के शेड बनाना, ताज़ी मछली ले जाने के लिये ऐसी मोटर गाड़ियों का प्रबन्ध करना जिन में गर्मी न पहुंच सकती हो और मछली का तेल निकालने की मशीनें लाना । इस परियोजना के क्षेत्र में मछेरों के स्वास्थ्य तथा सफाई की हालत सुधारने के लिये भी कार्यवाही की जायगी ।

श्री जेठालाल जोशी : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या सरकार इस सहायता में अपनी ओर से भी कुछ रुपया दे रही है; यदि हां, तो कितना ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस सारी परियोजना में भारत सरकार का भाग १०·६ लाख रुपये है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : श्रीमान, क्या मैं यह पूछ सकती हूं कि नार्वे की संसद् ने भारत को सहायता के लिये कुल कितनी राशि की स्वीकृति दी है ?

डा० पी० एस० देशमुख : प्रारम्भिक करार में यह राशि १ करोड़ क्रोनर थी जो ६७ लाख रुपये के बराबर है ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार: क्या यह सहायता नकदी में मिली है या सामान के रूप में, जैसे मोटरें, जाल तथा अन्य वस्तुएं ?

डा० पी० एस० देशमुख: अधिकतर हमें सामान ही मिला है । यह सहायता सामान के रूप में है ।

श्री दाभी: क्या यह सहायता भेंट के रूप में होगी या ऋण के रूप में ?

डा० पी० एस० देशमुख: ये सब भेंटें ही हैं ।

श्री वी० पी० नायर: क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या इस कार्यक्रम में, त्रावन्कोर-कोचीन के तट के पास "वैज-बैंक" से लाभ उठाने के सम्बन्ध में कोई कार्य भी शामिल है ?

डा० पी० एस० देशमुख: मुझे मालूम नहीं कि माननीय सदस्य का तात्पर्य क्या है ?

श्री वी० पी० नायर: क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि "वैज बैंक" में मछलियां बहुत बड़ी संख्या में मिलती हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख: श्रीमान् मैं उन से प्रार्थना करूंगा कि वे यह बात करार से मालूम करें ।

श्री एस० सी० सामन्त: श्रीमान्, क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या यह सहायता कार्यक्रम भारत के किसी अन्य स्थान में भी लागू किया जायगा ?

डा० पी० एस० देशमुख: अभी तो यह त्रावन्कोर-कोचीन के लिये ही है ।

श्री जेठालाल जोशी: क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि हम ने यह सहायता स्वयं मांगी थी या कि नार्वे ने अपनी इच्छा से दी है ?

डा० पी० एस० देशमुख: ऐसी सहायता देने वाले अधिकतर स्वयं अपनी इच्छा से देते हैं । हम उन से मांगते नहीं हैं ।

दियासलाई की लकड़ी के पेड़ उगाने की योजनाएं

*२१६१. **श्री के० सी० सोधिया :** (क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि दियासलाई की लकड़ी के पेड़ों के उद्यान उगाने की योजना की वर्तमान स्थिति क्या है ?

(ख) कितने समय से यह योजना लागू की जा रही है ?

(ग) इस योजना के लागू होने से अब तक, इस पर कितना खर्च हुआ है ?

(घ) इस में कितनी सफलता मिली है ?

(ङ) यह योजना कितने समय तक जारी रहेगी ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) से (ङ) . एक विवरण, जिस में यह सूचना दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ३]

श्री के० सी० सोधिया: पिछले वर्ष कितने एकड़ भूमि पर ये वृक्ष उगे हुए थे और इस वर्ष यह क्षेत्र कितना होगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : विवरण में कुछ ब्यौरा दिया हुआ है । उस के अतिरिक्त मेरे पास कोई सूचना नहीं है ।

श्री दाभी: क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि ये उद्यान कहां स्थित हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : श्रीमान्, मैं यह नहीं बता सकता ।

श्री के० जी० देशमुख : दियासलाई में काम आने वाली लकड़ी के पेड़ भारत के किस भाग में लगाये जा रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : दूसरे माननीय सदस्य ने भी यही बात पूछी थी ।

डा० पी० एस० देशमुख : ये उत्तर प्रदेश, आसाम, त्रावन्कोर-कोचीन और मद्रास में लगाये जा रहे हैं ।

श्री के० सी० सोधिया : इस प्रकार की कितनी लकड़ी बाहर से मंगानी पड़ती है ? क्या हम विदेश से ऐसी लकड़ी मंगाते हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह तो वाणिज्य मंत्री ही बतला सकते हैं ।

पार्लाकिमेदी लाइट रेलवे

*२१६२. **श्री संगण्णा :** रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि अभी हाल में पार्लाकिमेदी छोटी रेलवे पर कई पटरियां बिछाते समय बहुत से पुराने रास्तों को जहां से पटरियां सड़क पर से होती हुई जाती थीं, हटा दिया गया है जिस से जनता को बहुत कठिनाइयां होती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उन को उचित स्थानों पर बिछा देगी ताकि जनता की कठिनाइयां दूर हो जायें ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) तथा (ख). अभी हाल में इस तरह के रास्ते जहां पटरियां सड़क पर से होती हुई जाती हैं, हटाये नहीं गये ह ।

श्री संगण्णा : समतल सड़क पर से होते हुए जाने वाली पटरियों का निर्माण करते समय किन किन बातों पर विचार किया जाता है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : इस में तो एक पुरानी लाइन फिर से बिछाई जा रही है । इस प्रकार की सभी पुरानी पटरियां जो समतल सड़क पर से होते हुए जाती हैं, अपनी अपनी जगहों पर रक्खी जा रही हैं ।

उड़ीसा में तम्बाकू के लिय गोदाम

*२१६४. **श्री संगण्णा :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा राज्य के प्रत्येक ज़िले में तम्बाकू के एकत्रीकरण के लिये खोले गये ग़ैरसरकारी तथा सरकारी गोदामों की संख्या कितनी है ?

(ख) जिन क्षेत्रों में सरकारी तथा ग़ैर-सरकारी गोदाम नहीं हैं वहां सरकार ने किस प्रकार की और कोई व्यवस्था की है ?

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि उन क्षेत्रों में जहां कोई भी गोदाम नहीं हैं, तम्बाकू उगाने वालों पर आवश्यक कर लगाये गये हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) एक विवरण जिस में अपेक्षित सूचना दी गई है सदन पटल पर रखा जाता है ।

(ख) केंद्रीय आबकारी नियमों के अन्तर्गत साफ़ किये गये तम्बाकू को साफ़ करने वालों के क्षेत्रों पर ही निश्चित किये गये बन्धित गोदामों में रखा जाता है ।

(ग) नहीं ।

विवरण

उड़ीसा में तम्बाकू के गोदामों की संख्या

(१) उड़ीसा में सरकारी गोदाम

(२) ग़ैरसरकारी बन्धित गोदाम :—

कट्टक सर्किल (जिस में बालासोर, कट्टक, ढेनकनाल, क्योंझर तथा मयूरभंज ज़िले शामिल हैं) ३१

जेयपुर सर्किल (जिस में कोरापत तथा कालाहांडी ज़िले है) ९१

बरहामपुर सर्किल (जिस में गंजम, पुरी तथा फूलबनी ज़िले हैं) ४१

सम्बलपुर सर्किल (जिस में सम्बलपुर, बोलनगीर, पटना तथा सुन्दरगढ़ ज़िले हैं) ६९

ज़िलेवार आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं।

श्री संगण्णा : : श्रीमान्, क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि गोदामों के खोलने की शर्तें क्या हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं इस प्रश्न के लिये पूर्वसूचना चाहता हूं ।

मलेरिया विरोधक योजना

*२१६५. **श्री विभूति मिश्र :** **स्वास्थ्य** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि बिहार सरकार ने अपनी पंचवर्षीय योजना में मलेरिया को हटाने के लिये कोई व्यवस्था की है; तथा

(ख) यदि हां, तो इसके लिये योजना में कौन कौन से स्थानों को शामिल किया गया है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) तथा (ख) बिहार सरकार से यह सूचना मांगी गई है, और कालान्तर में सदन पटल पर रखी जायगी ।

श्री एस० एन० दास : इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि इस विषय पर मेरे प्रश्न को इसी प्रकार का उत्तर मिला था कि ...

उपाध्यक्ष महोदय : कब ?

श्री एस० एन० दास : आज से कोई १०-१५ दिन पहले, इसी प्रकार का उत्तर दिया गया था कि इस प्रश्न के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है । मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार को यह सूचना एकत्र करने में कितना समय लगेगा ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : हम ने उन्हें कई बार इस बात की याद दिला दी है । जिस समय हमारे पास यह प्रश्न आया था, उस समय भी हम ने उन्हें याद दिलाया, लेकिन अभी हमारे पास कोई भी सूचना नहीं आई है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अतः एव, माननीय सदस्यों को बिहार सभा के सदस्यों से पूछ लेना चाहिये ।

श्री एस० एन० दास : इस सचाई को दृष्टि में रखते हुए कि केन्द्रीय सरकार इस के लिये एक बहुत बड़ी धनराशि दे रही है, हमारे लिये इस सूचना को ज्ञात करना आवश्यक हो जाता है ।

श्रीमती चन्द्रशेखर : यों तो मैं आप को वे आंकड़े बता सकती हूं जो हम ने योजना आयोग से इकट्ठे किये हैं । १९५१-५२ के लिये ६·३ लाख रुपये तथा १·२५ लाख रुपये की राशि, तथा १९५२-५३ के लिये १·६३ लाख रुपये की राशि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस काम के लिये अलग की गई है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न पूछा ही क्यों जाय ? मैं नहीं जानता कि यह प्रश्न पैदा कैसे हुआ । माननीय सदस्य कृपया बिहार की रिपोर्टों से देख लें ।

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि बिहार में मलेरिया से कितने आदमी मरते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : बिहार सरकार से सूचना इकट्ठी की जा रही है । यही तो बताया भी गया ।

टिहरी-गढ़वाल में आपदाग्रस्त स्थिति

*२१६६. **श्रीमती कमलेन्दुमति शाह :** **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि अनावृष्टि के फलस्वरूप फसलें न उगने के कारण टिहरी-गढ़वाल निवासियों पर आपदा छायी है;

(ख) क्या इस मामले में सहायता प्राप्त करने के लिये उत्तर प्रदेश की सरकार ने भारत सरकार से कोई प्रार्थना की है; तथा

(ग) यदि उपरोक्त (क) तथा (ख) भागों का उत्तर हां में हो तो आज तक सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है अथवा वह क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) सरकार के पास कई ऐसी प्रेस-रिपोर्टें हैं जिन से पता चलता है कि टिहरी-गढ़वाल में अभाव की स्थिति छा रही है। वहां की राज्य सरकार पूछताछ कर रही है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न पैदा नहीं होता ।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : चूंकि वहां लोग अनाज नहीं खरीद सकते, अतः क्या यह संभव हो सकता है कि निःशुल्क अथवा ऋण पर अनाज का वितरण हो ?

डा० पी० एस० देशमुख : हो सकता है कि यह संभव हो किन्तु हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई है ।

बम्बई तथा औरंगाबाद के बीच हवाई सर्विस (वायुचर्या)

***२१६७. श्री एच० जी० वैष्णव :** (क) क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पहली अप्रैल, १९५३ से बम्बई तथा औरंगाबाद के बीच हवाई सर्विस के बन्द किये जाने के कारण क्या हैं ?

(ख) क्या निकट भविष्य में इस सर्विस को फिर से चालू किये जाने की संभावना है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) इस मार्ग पर चलने वाले लोग तो मुख्यतः पर्यटक होते हैं और वे किसी विशेष अवधि में यात्रा करते हैं—जो वर्ष में लगभग छः महीने रहती है। जब इन यात्रियों की संख्या घट गई तो सर्विस को बन्द करना पड़ा ।

(ख) यदि इस सर्विस की पर्याप्त मांग होने लगे तो राष्ट्रीय निगम इस को पुनः चालू करने की संभावना पर विचार करेगा ।

श्री एच० जी० वैष्णव : क्या यह सर्विस उतनी देर तक लाभकारी रही जितनी देर तक यह चालू रही ?

श्री राज बहादुर : हमें तो कुल पर केवल २७ % अवसत कार्य सिद्ध होता था। अतः एव, हम यह नहीं कर सकते कि आर्थिक दृष्टिकोण से यह सर्विस संतोषजनक थी ।

श्री एच० जी० वैष्णव : क्या कोई ऐसी प्रस्थापना है कि बम्बई तथा हैदराबाद के बीच चलने वाली वायु सर्विस को औरंगाबाद पर भी रोका जाय ?

श्री राज बहादुर : राष्ट्रीय निगम इस प्रस्थापना पर विचार करेगा ।

श्री हेडा : बम्बई तथा औरंगाबाद के बीच चलने वाले यात्रियों की अवसत संख्या कितनी थी ?

श्री राज बहादुर : मुझे खेद है : मैं आप को इस की कोई भी सूचना नहीं दे सकता। मैं तो इतना बता सकता हूं कि आने जाने वाले लोगों की कितनी प्रतिशत संख्या है ।

लक्ष्मी प्रसाद अभ्रक खानों में दुर्घटना

***२१७०. श्री नानादास :** (क) श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि २३ अप्रैल, १९५३ को गुडूर के निकट लक्ष्मी प्रसार अभ्रक खानों में एक दुर्घटना हुई थी जिस के परिणाम स्वरूप उस खान के तीन कामकर घायल हुए थे ?

(ख) यदि हां तो इस दुर्घटना के क्या कारण हैं ?

(ग) उन घायल कामकरों को क्षतिपूर्ति दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) जी हां; इस दुर्वटना में चार कामकर घायल हुए थे ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और कालान्तर में सदन पटल पर रखी जायेगी ।

(ग) कामकर क्षतिपूर्ति अधिनियम, १९२३ के अनुसार क्षतिपूर्ति दी जाती है, और यह क्षतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा होती है यों तो खानों के निरीक्षक निजी प्रभाव तथा

परामर्श से ठीक समय पर पैसा दिलाने की व्यवस्था करते हैं ।

श्री नानादास: क्या मैं जान सकता हूं कि किस तरह के घाव हुए थे और उन का क्या इलाज हुआ था ?

श्री वी० वी० गिरि: हम आशा करते हैं कि उन लोगों की ओर से एक रिपोर्ट मिलेगी, और वह रिपोर्ट सदन पटल पर रखी जायेगी ।

श्री नानादास: क्या यह सच है कि उक्त खानों का व्यवस्थापक खानकार्य में कोई कोई योग्यता नहीं रखता ?

श्री वी० वी० गिरि: मेरे पास कोई सूचना नहीं है, किन्तु मैं माननीय सदस्य से सूचना प्राप्त करने को तैयार हूं ।

श्री नानादास : श्रीमान्, क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि एक खान में एक साथ गोलियों के कितने धमाके लगाये जा सकते हैं ?

श्री वी० वी० गिरि: मैं यह नहीं बतला सकता ।

श्री रघुरामय्या: क्या हमें इस बात का आश्वासन मिल सकता है कि उक्त रिपोर्ट प्राप्त करने तथा दुर्घटना का कारण जानने के बाद सरकार भविष्य में इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिये प्रत्येक सावधानी बरतेगी ?

श्री वी० वी० गिरि: मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दिलाता हूं कि प्रत्येक सावधानी सदा से बरती गई है, बरती जाती है तथा बरती जायेगी ।

श्री नानादास: श्रीमान्, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इन घटनाओं के समय परिनियत संख्या से अधिक गोलियां खान से लगाई गई थीं ?

श्री वी० वी० गिरि : मैं कुछ भी नहीं जानता क्योंकि मैं एक रिपोर्ट की प्रतीक्षा में हूं और वह रिपोर्ट सदन पटल पर रखी जायेगी, और यदि आवश्यकता पड़ी तो बाद में प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं ।

श्री वी० पी० नायर : श्रीमान्, पहले के एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने बतलाया कि वह सहर्ष माननीय सदस्य से सूचना प्राप्त करेंगे । क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि माननीय मंत्री उस सूचना को ले कर क्या करना चाहते हैं ?

श्री वी० वी० गिरि: सूचना प्राप्त करने के बाद मैं कार्यवाही करूंगा ।

श्री वी० पी० नायर: तब, इस का क्या अभिप्राय है कि वह माननीय सदस्य से सूचना प्राप्त करेंगे ?

श्री वी० वी० गिरि : मैं ने कहा था कि मैं माननीय सदस्य की सूचना प्राप्त करूंगा । यदि मुझे इस बात का पता चले कि वह सूचना ठीक है तो मैं आवश्यक कार्यवाही करूंगा ।

नांदीद्रुग खानों में दुर्घटना

***२१७१. श्री नानादास:** (क) क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या २७ अप्रैल, १९५३ को कोलार सोना क्षेत्र में नांदीद्रुग खानों में कोई दुर्घटना हो गई थी ?

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के कारण क्या हैं ?

(ग) कितने कामकर घायल हुए और कैसी चोटें लगीं ?

(घ) घायल कामकरों की चिकित्सा करने और उनको क्षतिपूर्ति देने के लिये क्या पग उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) हां ।

(ख) तथा (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रखी जाएगी । प्राप्त सूचना बताती है कि एक कामकर मारा गया और कुछ घायल हुए ।

(घ) क्षतिपूर्ति का भुगतान कामकर क्षतिपूर्ति अधिनियम, १९२३ के अनुसार होता है, जिसका प्रशासन राज्य सरकार करती है। घायलों की चिकित्सा के लिये किए गए प्रबन्ध के विषय में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

श्री नाना दास : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या दुर्घटनायें कम होती जा रही हैं, या बढ़ रही हैं ?

श्री वी० वी० गिरि : वे बढ़ नहीं रहीं, बल्कि कम होती जा रही हैं।

विश्व वन सम्मेलन

*२१७२. **श्री रघुनाथ सिंह :** (क) **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने विश्व वन सम्मेलन को भारत में अपने अधिवेशन का आयोजन करने के लिये आमंत्रित किया है ?

(ख) यदि हां तो यह सम्मेलन कब और कहां होगा ?

(ग) इस में कौन कौन से देश भाग लेंगे ?

(घ) उस पर कितना व्यय करने का निश्चय किया गया है ?

(ङ) उसमें किन किन विषयों पर विचार किया जायेगा ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) हां।

(ख) यह १९५४ के अन्त में या १९५५ के प्रारम्भ में देहरादून में होने जा रहा है।

(ग) खाद्य तथा कृषि संघ सभी सदस्य देशों को इस सम्मेलन में भाग लेने के लिये आमन्त्रित करेगा।

(घ) सम्मेलन का आयव्ययक विचाराधीन है।

(ङ) एक विवरण, जिसमें विचारणीय विषय बताए गए हैं, सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ४]** विवरणों का निश्चय करने के लिये खाद्य तथा कृषि संघ का एक पदाधिकारी जून के प्रथम सप्ताह में आ रहा है।

श्री रघुनाथ सिंह : इस कांग्रेस का वर्ल्ड में सेंटर कहां है ?

डा० पी० एस० देशमुख : ऐफ० ए० ओ० के संटर के साथ रोम में है।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या हम जान सकते हैं कि जो कांग्रेस होने वाली है उस में हिन्दुस्तान के वनों की रक्षा के निमित्त भी कोई योजना पेश की जायगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : अवश्य। जब तक जगत् में भारत शुमार किया जाता है उस वक्त तक उसमें भारत के ऊपर भी विचार किया जायगा।

ग्लाइडर

*२१७३. **श्री जोशिम अल्वा :** (क) **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कुछ ऐसे पदार्थ मिले हैं, जिनसे ग्लाइडर को भारत में ही बनाया जा सके ?

(ख) क्या उत्तर कनाडा ज़िले के वनों में पैदा होने वाले बांस की उपयोगिता की भारत में ग्लाइडर तैयार करने के प्रयोजन से जांच की गई है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) हां, श्रीमान्।

(ख) नहीं, श्रीमान्।

श्री जोशिम अल्वा : क्या सरकार को किसी भारतीय व्यापारी से भारत में ग्लाइडर तैयार करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव मिले हैं ?

श्री राज बहादुर : इन प्रस्तावों के अतिरिक्त हम स्वयं भारतीय बांस की एतद्विषयक

उपयोगिता की सम्भावना पर जांच कर रहे हैं

श्री जोशिम अल्वा : क्या पूना के उडुयन क्लब ने सरकार को बताया था कि उत्तर कनाडा जिले के बांस-ग्लाइडर तैयार करने के लिये उपयुक्त हैं ?

श्री राज बहादुर : पूना क्लब भी दिल्ली स्थित प्राविधिक केन्द्र के निकट सम्पर्क और साहचर्य में काम करता है और सदैव पारस्परिक पत्र-व्यवहार भी चलता रहता है।

उत्तर कनाड़ा में रेलवे लाइन

*२१७४. **श्री जोशिम अल्वा :** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने उत्तर कनाड़ा जिले का कुछ ऐसा परिमाप हाथ में लिया है, जिससे इसे हुबली वाले छोर से या मैसूर से आने वाली निकटस्थ रेलवे लाइन से जोड़ा जा सके ?

(ख) यदि हां, तो सरकार यह लाइन कब बनाना चाहती है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) १९१५–२१ वर्षों में हुबली से सिरसी और तेलागुप्पा से भटकल तक रेलवे लाइनें बनाने के विचार से परिमाप किए गए थे।

(ख) ये परियोजनायें अलाभप्रद समझ कर छोड़ दी गई थीं।

श्री जोशिम अल्वा : क्या सरकार द्वारा इसके बाद किसी परियोजना पर विचार किया गया है ?

श्री शाहनवाज खां : युद्धोत्तर पुनर्निर्माण कार्य के अंगस्वरूप अलनवेर से करवार तक एक लाइन बिछाने पर विचार किया गया था।

श्री जोशिम अल्वा : सरकार अलनवेर से करवार तक की लाइन का काम कब शुरू करना चाहती है ?

श्री शाहनवाज खां : उचित विचार-विनिमय के बाद इस प्रस्ताव को छोड़ दिया गया है।

भारतीय भाषाओं में तार-सेवा

*२१७५. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय भाषाओं में तार-सेवा को लोकप्रिय बनाया जा रहा है ; तथा

(ख) यदि सच है, तो क्या सरकार अन्य भारतीय भाषाओं में तार भेजने की अनुमति देकर इस सेवा का विस्तार करना चाहती है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) हां।

(ख) किसी भी ऐसे तार घर में जहां से हिन्दी में तार भेजे जाते हैं, किसी भी भाषा में संदेश भेजे जा सकते हैं। शर्त यही है कि उनको देवनागरी लिपि में लिखा जाए।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : मैं जान सकता हूं कि क्या हिन्दी भाषा में तार-मनीआडर लिये जाते हैं।

श्री राज बहादुर : हां, वे यू० पी० और बिहार में लिए जाते हैं।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : मैं जान सकता हूं कि क्या अन्य भारतीय भाषाओं में इसका विस्तार करने के लिये कोई चेष्टा की गई है ?

श्री राज बहादुर : मैं बता चुका हूं कि केवल यही शर्त है कि संदेश देवनागरी लिपि में लिखे जायें।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : कठिनाई यही होगी कि अनेक व्यक्ति लिपि नहीं जानते और इसलिये इस शर्त के अधीन दी गई यह सुविधा बहुत उपयोगी न होगी।

उपाध्यक्ष महोदय: यह तो तर्क का विषय है।

कलकत्ता बंदरगाह आयोग

*२१७९. **श्री रिशांग किशिंग:** क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) कलकत्ता बन्दरगाह आयोग में व्यापारी संघों की नियुक्ति के अभ्यावेदनों पर निश्चय करते समय सरकार किन बातों पर विशेष महत्व देती है;

(ख) क्या भारत सरकार को बंगाल चीनी व्यापारी संघ, कलकत्ता से कोई अभ्यावेदन मिला है, जिसमें उन्होंने बंदरहगाह आयोग में अपनी नियुक्ति की बात कही है; तथा

(ग) यदि मिला है, तो सरकार ने इस निवेदन पर क्या कार्यवाही की है?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) कलकत्ता बंदरगाह आयोग में प्रतिनिधित्व के लिये व्यापार संस्थाओं के चुनाव में मुख्य बात यही है कि ये संस्थाएं बन्दरगाह-सुबिधाओं की यथासम्भव प्रमुख उपयोग करने वाली हों।

(ख) हां।

(ग) इस निवेदन को मंजूर नहीं किया गया था, क्योंकि बन्दरगाह से होकर होने वाला चीनी का व्यापार नगण्य है।

श्री रिशांग किशिंग: मैं जान सकता हूं कि आयोग में कितने व्यापार संघों को प्रतिनिधित्व मिला हुआ है?

श्री अलगेशन: बंगाल व्यापार-मंडल, बंगाल राष्ट्रीय व्यापार मंडल, भारतीय व्यापार-मंडल और भारतीय राष्ट्रीय स्टीमशिप कम्पनी। केवल व्यापार-मंडलों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है, व्यक्तिगत व्यापार-संघों को नहीं।

धौला कुआं में रेलवे पत्थर-खान

*२१८३. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी:** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या धौला कुआं म उत्तर रेलवे की एक पत्थर-खान है;

(ख) क्या उत्तर रेलवे ने अपने पत्थर लादने वाले ठेकेदार को इस पत्थर-खान में से पत्थर निकालने की आज्ञा दी है;

(ग) क्या यह सच है कि ४०० से अधिक कामकर नित्य लगाए जाते हैं;

(घ) क्या सरकार को विदित है कि इन कामकरों के लिये खान के निकट पीने के पानी की कोई सुविधा नहीं है; तथा

(ङ) क्या सरकार का विचार है कि वहां पीने के पाने का प्रबन्ध किया जाए?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां): (क) हां।

(ख) हां।

(ग) नहीं। ठेकेदार के लगभग ३०० मजदूर पत्थर-खान में काम कर रहे हैं।

(घ) ठेके की इस शर्त के अनुसार कि पीने के पानी का प्रबन्ध ठेकेदार करेगा, ठेकेदार ने मज़दूरों के लिये एक प्याऊ खोल रखी है। विभिन्न स्थानों पर बाल्टियों में भी पानी ले जाया जाता है और मज़दूरों में बांट दिया जाता है।

(ङ) उपर्युक्त उत्तर की दृष्टि में इसका प्रश्न नहीं उठता।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या ठेकेदार पानी पिलाने के अपने कर्तव्य में असफल रहा है और सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): मेरे विचार से ठेकेदार ने काम के

स्थानों पर बाल्टियों में ले जाकर भी पानी बांटा है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं जान सकता हूं कि क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि पानी की कमी इतनी अधिक है कि मजदूरों को पर्याप्त पानी नहीं मिलता, और बहुत सी शिकायतें आ रही हैं ?

श्री अलगेशन : इसी कारण पानी काम के स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। थोड़ी-थोड़ी दूर पर विविध स्थानों में नल हैं। तीन स्थानों पर नल हैं।

प्रजा समाजवादी दल, तिरुचेनगोड से प्राप्त ज्ञापन

*२१८४. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार को प्रजा समाजवादी दल, तिरुचेनगोड से कोई ज्ञापन मिला है, जिसमें तिरुचेनगोड क्षेत्र (मद्रास राज्य) में पीने के पानी की कमी की शिकायत की गई है और केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह बरमा करने वाली मशीनों का प्रबन्ध कर दे, जिससे कुओं को १०० से १५० फीट तक गहरा किया जा सके।

(ख) क्या सरकार को विदित है कि कुओं को गहरा करने के सामान्य तरीकों से इस क्षेत्र में कोई नतीजा न निकलेगा, क्योंकि पानी की सतह बहुत घट गई है ?

(ग) सरकार उक्त ज्ञापन के ऊपर क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : श्रीमान् मैं जान सकता हूं कि प्रजा समाजवादियों द्वारा सरकार के पास भेजे गए अभ्यावेदन का क्या उत्तर दिया गया है और इस क्षेत्र में कुएं गहरे करने के लिये सरकार ने क्या पग उठाए हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : श्रीमान्, जहां तक पूरे ही विषय का सम्बन्ध है, राज्य-सरकार से पूछताछ की जा रही है और जानकारी एकत्र की जा रही है।

श्री सी० आर० नरसिंहन् : भारी जलाभाव की दृष्टि में क्या सरकार कुएं गहरे करने की उपयुक्तता पर विचार कर रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख : श्रीमान् इस पर मूलतः राज्य सरकार को कार्यवाही करनी है। दुर्भाग्य से पूरे भारत में पानी की कमी है।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार के आयव्ययक में ऐसा कोई उपबन्ध है, जिससे अभ्यावेदन मिलने पर इस दिशा में कुछ कार्यवाही की जा सके ?

डा० पी० एस० देशमुख : इनका निर्देश राज्य सरकारों को करना होगा। मैं नहीं समझता कि इसके लिये केन्द्रीय सरकार उत्तरदायी है।

श्री एस० वी० रामास्वामी : श्रीमान्, क्या यह सच नहीं है कि केन्द्रीय सरकार ने रायलसीमा में तुरन्त सहायता भेजी और वहां कुएं गहरे किए गए ?

डा० पी० एस० देशमुख : कुछ मामलों में यह सम्भव है, पर यह हर मामले में सम्भव नहीं है।

श्री थानू पिल्ले मैं इसका कारण जान सकता हूं ?

छपरा और सोनपुर रेलवे स्टेशनों के बीच पानी की कमी

*१२८६. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार को पता है कि उत्तर पूर्व रेलवे के छपरा और सोनपुर स्टेशनों के बीच पानी की कमी है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि दीघवाड़ा और सीतलपुर रेलवे स्टशनों पर पीने के पानी की कमी के कारण यात्रियों के बेहोश हो जाने की कई घटनाएं हुई हैं ; तथा

(ग) क्या सरकार का ध्यान २४ अप्रैल, १९५३ के इंडियन नेशन, पटना के अंक में निकलने वाले इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि छपरा और सोनपुर रेलवे-स्टेशनों के बीच पानी की कमी है ;

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) उत्तर पूर्व रेलवे की छपरा और सोनपुर रेलवे स्टेशनों के बीच यात्रियों के लिए पीने के पानी की कमी का सरकार को कुछ पता नहीं है ।

(ख) नहीं ।

(ग) हां, पर उत्तर पूर्व रेलवे द्वारा जांच होने पर समाचार में किए गए आरोप निराधार सिद्ध हुए हैं ।

चीनी के मूल्य में वद्धि

*२१८७. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान चीनी के फुटकर विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ताओं को दी जाने वाली चीनी का मूल्य इस कारण धीरे धीरे क्रमशः बढाए जाने की ओर आकर्षित किया गया है कि निर्माताओं द्वारा थोक भाव बढ़ा दिए गए हैं ;

(ख) क्या सरकार चीनी-बाजार के इस पहलू पर ध्यान दे रही है और विशेषतः इस सरकारी घोषणा की दृष्टि से कि उसने चीनी का मूल्य निश्चित करना निर्माताओं के ऊपर ही छोड़ दिया है ; तथा

(ग) इस विषय में अब तक क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) (क) तथा (ख). हां ।

(ग) सरकार ने खुली चीनी की १ लाख टन प्रति मास की सामान्य मात्रा के स्थान पर ढाई लाख टन चीनी छोड़ दी है। कारखानों से चीनी का निर्गमन और तेज कर दिया गया है । सरकार स्थिति का पूरा पूरा ध्यान रख रही है । भारतीय चीनी मिल संघ से भी चीनी के दाम घटाकर उचित स्तर पर लाने के लिए उचित पग उठाने को कहा गया है ।

श्री झूलन सिन्हा : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि अधिक चीनी निकाल देने के कारण क्या चीनी का मूल्य कम हो गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे विश्वास है वे कम हो गए हैं ।

श्री झूलन सिन्हा : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को पता है कि वे बाजार में अभी उसी स्तर को रखे चले जा रहे हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : जहां तक मुझे जानकारी है, जैसे ही हमने व्यापार-संघों को चेतावनी दी, वैसे ही आठ आने की कमी हो गई और हमें विश्वास है और निर्णय होने पर मूल्य और भी गिर जाएंगे ।

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर

मद्रास राज्य में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत परियोजनाएं

श्री एन० एम० लिंगम : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं पर व्यय इसलिए कम किया गया है कि वहां अभाव की स्थिति के कारण राजकोष पर दबाव आ पड़ा है ;

(ख) क्या वित्तीय संकट ने मद्रास राज्य को अपने समस्त विभागों में मित-व्ययिता जिस में अधिकारियों के वेतनों में दस प्रतिशत कटौती भी शामिल है करने पर विवश किया है ;

(ग) क्या भारत सरकार वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री को इन परिस्थितियों की मौके पर की जांच के लिए वहां भेज रही है; तथा

(घ) क्या भारत सरकार ने राज्य सरकार को यह बता दिया है कि वह उस से कितनी सहायता प्राप्त करने की आशा कर सकती ह ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) सरकार को इस सम्बन्ध में कोई निश्चित सूचना नहीं, सिवाय इसके कि मद्रास राज्य के अधिकारियों के वेतन में दस प्रतिशत कटौती की गई है । इस कटौती से काफी बचत होने की कोई आशा नहीं ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् । वाणिज्य मंत्री जी अपनी इच्छा पर वहां जा रहे हैं ।

(घ) केन्द्रीय सरकार ने अन्य राज्य सरकारों की तरह मद्रास सरकार को भी यह बता दिया है कि चालू वित्तीय वर्ष में वह विकास परियोजनाओं के लिए उन्हें कितना धन उधार के रूप में दे सकती है ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या सरकार का ध्यान मद्रास के मुख्य मंत्री के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि यदि केन्द्र उस राज्य की सहायता पर नहीं आयेगा तो उस राज्य में पंचवर्षीय योजना से सम्बन्धित काम पूर्ण रूप से रुक जायेंगे ?

श्री सी० डी० देशमुख : श्रीमान्, मद्रास के मुख्य मंत्री कई अवसरों पर वकतव्य देते रहते हैं । मुझे वास्तव में यह मालूम नहीं कि माननीय सदस्य किस वक्तव्य का जिक्र कर रहे हैं ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या सरकार का इस सम्बन्ध में कोई निश्चित विचार है कि गत छः वर्षों में निरन्तर अनावृष्टि के कारण मद्रास के कितने क्षेत्र पर बुरा प्रभाव पड़ा है तथा कितने लोगों ने पीड़ा उठाई है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है ? इस प्रश्न का सम्बन्ध पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं से है । इस समय हम अकाल की स्थितियों पर चर्चा कर रहे हैं ?

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इन परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए क्या सहायता देने का विचार रखती है ?

श्री सी० डी० देशमुख : श्रीमान् । मैं पहिले ही निवेदन कर चुका हूं कि जहां तक विकास व्यय का सम्बन्ध है हमने अन्य राज्यों की तरह उन्हें भी इस बात की ओर संकेत किया है कि उन्हें कितनी सहायता दी जा सकती है । हम ने मार्गोपाय के रूप में भी उन्हें काफी सहायता दी है ।

जहां तक अन्य प्रकार की सहायता का सम्बन्ध है – जैसे कि • निर्माण कार्यों

को जारी रखना आदि—यद्यपि वह योजना में शामिल नहीं, फिर भी उन पर विचार हो रहा है । उस राज्य के होने वाले विभाजन के परिणामस्वरूप यह प्रश्न अब जटिल बन गया है ।

श्री एस० वी० रामास्वामी : श्रीमान्, क्या यह सत्य नहीं कि मद्रास राज्य की वित्तीय स्थिति इस कारण से बिगड़ गई है कि केन्द्र ने उन्हें अकाल स्थिति का मुकाबला करने के लिए सहायता देने का वचन दिया था तथा इस के आधार पर उन्हों ने दस करोड़ रुपया खर्च किया

श्री सी० डी० देशमुख : इस कथन में कोई भी सच्चाई नहीं । केन्द्रीय सरकार ने मद्रास सरकार को किसी असाधारण सहायता का वचन नहीं दिया है । सामान्य सहायता जो राज्यों को दी जाती है यह है कि सहायता-दान से सम्बन्धित व्यय का आधा भाग केन्द्र सहन करता है तथा सहायता कार्यों के लिए अपेक्षित धन का आधा भाग भी वह आगाऊ के रूप में दे देता है ।

श्री एस० वी० रामास्वामी : क्या यह सत्य नहीं कि उन्हों ने वास्तव में दस करोड़ रुपया खर्च किया है तथा मद्रास सरकार ने अपने लेखे महालेखा परीक्षक के सामने पेश करने के लिए कहा है जिस से कि वह इस बात की जांच करे कि क्या अकाल से सम्बन्धित सहायता कार्य पर दस करोड़ खर्च नहीं किया गया है ?

श्री सी० डी० देशमुख : हमारा यह काम नहीं है कि हम इस बात का खंडन करें कि मद्रास सरकार ने अकाल सहायता पर कितना व्यय किया है अथवा नहीं किया है । हमारा सम्बन्ध केवल केन्द्रीय निदेश से है । केन्द्र केवल अकाल सहायता के कुछ भागों से सम्बन्ध रखता है । यह भी ठीक नहीं है कि केवल अकाल सहायता व्यय पर ही ध्यान दिया जाये । मद्रास सरकार का प्रशासकीय व्यय बहुत बढ़ गया है तथा उन्हों ने ऐसी योजनाओं पर भी धन खर्च किया है जो कि योजना में शामिल नहीं थीं ।

श्री थानू पिल्लै : माननीय मंत्री ने कहा कि अकाल से सम्बन्धित सहायता-कार्य के लिये आधा अनुदान तथा आधा कर्जा दिया जाता है । मद्रास सरकार न रायलसीमा अकाल पर दस करोड़ रुपये खर्च किये हैं । क्या सरकार ने उन्हें पांच करोड़ रुपया सहायता के रूप में तथा पांच करोड़ रूपया ऋण के रूप में दिया है ?

श्री सी० डी० देशमुख : दस करोड़ रुपया ग्राह्य व्यय नहीं है

श्री एन० एम० लिंगम : इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि मद्रास सरकार की रक्षित निधि समाप्त हो चुकी है, क्या सरकार उन्हें तत्कालिक अनुदान देने की वांछनीयता पर विचार करेगी जिस से कि मद्रास राज्य अपने निर्माण कार्यों को जारी रख सके ताकि लोगों को काम मिल सके और अभाव की स्थिति में नर्मी आ जाये ?

श्री सी० डी० देशमुख : यह सारे कर्तव्य केन्द्र पर ही नहीं आ जाते हैं । जैसे कि मैंने निवेदन किया, केन्द्र का सम्बन्ध या तो सहायता दान का आधा भाग देने से है या आवश्यक सहायता कार्यों के लिए अपेक्षित धन का आधा भाग अगाऊ के रूप में देने से है । जहां तक दूसरी बातों का सम्बन्ध है जैसे कि बेकारों के लिए काम आदि ढूंढना, इनकी जिम्मेदारी केन्द्र पर नहीं आ जाती है ।

नई दिल्ली में एयर इंडिया डकौता से सम्बन्धित दुर्घटना

श्री एल० एन० मिश्र : क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सत्य है कि शनिवार, ९ मई, १९५३ के प्रात: को बम्बई जाने वाला एक डकौता दिल्ली के आस पास गिर पड़ा ;

(ख) यदि सत्य है, तो इस दुर्घटना के कारण क्या हैं ; तथा

(ग) क्या यह सत्य है कि उड़ान शुरू करने से पहले इस वायुयान का टेस्ट नहीं किया गया था तथा इसी वायुयान में कुछ सप्ताह पहले ईजन की कुछ गम्भीर खराबी हुई थी ?

संचरण उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) इस दुर्घटना के कारणों की तहकीकात हो रही है ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् । इस वायुयान का निरीक्षण हुआ था तथा उपयुक्त लाइसेंसदार इंजीनियरों ने ९ मई, १९५३ के ००३० बजे इसे बम्बई तक उड़ान करने की उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र दिया था । बताया जाता है कि ३ मई १९५३ की यही वायुयान ईजन की खराबी के कारण वापस बम्बई के हवाई अड्डे पर उतरा था, परन्तु इसका ईजन बाद में बदल दिया गया था ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या इस वायुयान पर ठीक तरह से भार लादा गया था ?

श्री राज बहादुर : जी हां, श्रीमान् ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या मैं जान सकता हूं कि इस वायुयान म कितनी बार ईजन की खराबी हुई थी : क्या इसे परीक्षण के लिए कभी हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्टरी में भेज दिया गया था ?

श्री राज बहादुर : उड़ान से पहले इसका पूर्णतय: परीक्षण किया गया था । जहां तक ईजन में खराबी होने का सम्बन्ध है, मैं ने वह प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में कहा है

श्री एल० एन० मिश्र : क्या मैं जान सकता हूं कि पिछले कुछ दिनों से हमारी वायुसेवाओं में यात्रा की सुरक्षितता तथा सक्षमता का स्तर क्यों गिर गया है ?

श्री राज बहादुर : दुर्घटनाएं दुर्भाग्यवश हुआ करती हैं, परन्तु मेरा ऐसा विचार नहीं कि हम सक्षमता का स्तर बनाये रखने के लिए किसी प्रकार की सुस्ती करते हैं ।

श्री जोशिम अल्वा : श्रीमान्, संचरण मंत्री ने दूसरे सदन में श्रीमती वाइलेट अल्वा के एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि सरकार ने १९४७ से १७२ डकौता वायुयान बेच डाले हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने ऐसी कोई शर्त रखी है कि हवाई कम्पनियां कोऐसी अवस्था में उड्डयन केन्द्रों पर कुछ डकौते रखने चाहियें जब कि काम में लाने वाले अनुसूचित डकौतों में कुछ गड़बड़ हो जाती हो ?

श्री राज बाहदुर : मैं हैरान हूं कि यह प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है । मुझे सरकार द्वारा डकौते बेचने के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं । हो सकता है कि प्राइवेट व्यक्तियों ने यह डिस्पोजल्स विभाग से खरीदे हों

श्री नामधारी : माननीय मंत्री ने कहा कि मशीन के बारेमें यह प्रमाण-पत्र दिया गया था कि यह ठीक है । क्या चालक ने मदिरापान तो नहीं किया था ?

श्री राज बहादुर : इस मामले की अभी जांच हो रही है तथा मेरे लिए इस सम्बन्ध में पहिले ही कुछ कहना उचित नहीं होगा । जहां तक हमारी सूचना का सम्बन्ध है, मेरे विचार में उस ने मदिरापान नहीं किया था ।

श्री बंसल क्या यह बात मंत्री जी के ध्यान म लाई गई है कि चालक जब बम्बई की ओर उड़ान करते हैं तो वह बहुत ज्यादा मदिरापान करते हैं ?

श्री राज बहादुर : कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। परन्तु किसी विशेष मामले की ओर ध्यान नहीं दिलाया गया है ; अन्यथा हम उनका तत्काल ही परीक्षण कर सकते हैं। हम आकस्मिक परीक्षण भी करते ह। हवाई अड्डे का अधिकारी इस सम्बन्ध में सावधान रहता है ।

श्री बंसल : श्रीमान्, क्या यह सत्य है कि एक वायुयान में, जिस में कि एक मंत्री जी यात्रा कर रहे थे, एक चालक ऐसा पाया गया कि उस ने मदिरा पी थी, तथा उसे वापस केबिन में भेज दिया गया ?

श्री राज बहादुर : मुझे इस विशेष घटना की कोई जानकारी नहीं ।

श्री आर० एन० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि वाययानों के कल पुर्जों की ऐक्स-रे द्वारा भी जांच की जाती है या नहीं और वह कल पुर्जे ठीक पाये जाते हैं या नहीं ?

श्री राज बहादुर : ऐक्स-रे द्वारा जांच नहीं की जाती लेकिन मगनटिक एवं प्रेसिशन इस्ट्रूमेंटस द्वारा जांच की जाती है और यदि उन में तनिक सी भी कोई दरार होती ह या कोई भी खोट होती है तो उसका फौरन ही इन इंस्ट्रूमेंट द्वारा पता लग जाता है और उन पुरजों को तुरन्त बदल दिया जाता है ।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या यह सत्य है कि इस वायुयान ने अनुसूचित समय के आठ मिनट बाद उड़ान शुरू की थी तथा, यदि की थी, तो इसके कारण क्या थे ?

श्री राज बहादुर : यह १ बज कर २५ मिनट पर रवाना आ । यह नियत समय के आठ मिनट बाद रवाना हुआ था अथवा नहीं, यह मुझे मालूम नहीं ।

श्री गिडवानी : ६ तारीख को जो डकौता कराची के लिए रवाना हुआ क्या उसके सम्बन्ध में सरकार को मालूम है कि जब यह जयपुर के हवाई अड्डे पर उतरा तो इसमें से पैट्रोल रिस २ के बाहर निकल रहा था तथा इसे वहां एक घंटे से अधिक समय के लिए रोका गया ?

उपाध्यक्ष महोदय : हम ९ मई की दुर्घटना के सम्बन्ध में बात कर रहे हैं । हम अन्य दुर्घटनाओं पर चर्चा नहीं कर सकते हैं ।

श्री पी० टी० चाको : जनता में यह ख्याल पाया जाता है कि वायु निगम विधेयक के पास होने के समय से इन कम्पनियों के प्रबन्ध कार्य में लापरवाही की जा रही है। तथा यह दुर्घटना उसी दिन हुई जब कि यह विधेयक पास किया गया । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को इस विषय पर कुछ कहना है ।

श्री राज बहादुर : हमारा विश्वास है कि वह लापरवाही से काम नहीं ले रहे हैं । यह प्रबन्धकों द्वारा सुस्ती दिखाने का कोई प्रश्न नहीं । इसका सम्बन्ध इंजीनियरों तथा चालकों से है जिन्हें कि उड़ान करनी होती है तथा जिन्हें न केवल यात्रियों का सोचना होता है अपितु अपनी जानें भी बचानी होती हैं वह लापरवाही कैसे कर सकते हैं ?

डकौता के बारे में जो गलतफहमी है उसे भी दूर किया जाना चाहिये । बताया गया है कि इनके निर्माताओं ने हिदायत दी है कि इन्हें १९५३ के बाद प्रयोग में नहीं लाया जाना चाहिये । हम ने 'डगलस एयरक्राफ्ट कम्पनी' केलिफोर्निया से पूछ गछ की तथा उनका कहना है कि उन्हों ने

कभी भी ऐसा वक्तव्य नहीं दिया है। इन डकौतों का सामान्य कार्यकाल ४०,००० घंटे है तथा हमारे पास इस समय जो भी है उन में से किसी ने भी १४,००० घंटे से अधिक उड़ान नहीं की है। उन्हें अभी २६,००० घंटों की उड़ान करनी है। अमेरिका में डकौतों ने ५० से ६० हजार घंटों तक की उडान की है तथा आस्ट्रलिया में ४०,००० घंटों तक की उड़ान की है। और इस पर भी वह मजबूत होते चले जा रहे हैं। वायु यातायात जांच समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि डकौते वायुयान कम सफर के लिए अत्यन्त ही विश्वस्त वायुयान हैं।

श्रीमती मायदेव : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या यह सभी वायुयान नये खरीदे गए थे अथवा क्या उन में से कुछ पुरानी मशीनों वाले भी हैं ?

श्री राज बहादुर : बाह्य मार्गों पर जो चलाये जा रहे हैं वह नय खरीदे गए हैं। जो भीतरी मार्गों पर चलाये जा रहे हैं वह डिसपोजल्स विभाग से खरीदे गए हैं तथा उनकी मरम्मत करके उन्हें उड़ान के योग्य बनाया गया है।

श्री मेघनाद साहा : इस बात को दृष्टि में रखते हुये कि गत वर्षों में बहुत सी दुर्घटनायें हुई हैं क्या सरकार एक ऐसी समिति नियुक्त करने की आवश्यकता पर विचार करेगी जो कि इन दुर्घटनाओं के सभी पहलुओं पर विचार करेगी तथा कारणों की जांच करेगी ?

श्री राज बहादुर : हम इस प्रस्थापना पर विचार करेंगे। परन्तु जब कभी ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो हम इंजीनियरों का एक सम्मेलन बुलाते हैं जो कि सारे मामले पर चर्चा करके कारणों का पता लगाने का प्रयत्न करते हैं तथा उन्हें दूर करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय अब हम अगले कार्यक्रम पर जायेंगे।

श्री जोशिम अल्वा : एक प्रश्न। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं ने भी इस अल्प-सूचना के प्रश्न की सूचना दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ने पहले ही आप को अनुमति दी है।

श्री जोशिम अल्वा : आपने केवल एक प्रश्न की अनुमति दी है। मैं ने इस प्रश्न की भी सूचना दी है। मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अस्तु, मुझे सूचना दी गई है कि सामान्यतः ऐसे मामलों में जहां कि एक से अधिक सदस्यों ने एक ही विषय के सम्बन्ध में सूचना दी हो, उन सदस्यों को अन्य सदस्यों की अपेक्षा अधिक अवसर दिया जाता है। यह बात मेरे ध्यान में पहले नहीं लाई गई थी। आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री जोशिम अल्वा : क्या सरकार किसी वायुयान दुर्घटना से पहले अथवा बाद में अपना कोई कड़ा नियंत्रण रखती है अथवा नहीं ? तथा क्या यह सत्य है कि बम्बई में एक जर्मन यात्री का मृतक शरीर सम्बन्धित व्यक्तियों को सौंपने के पश्चात्, कबर से पुनः निकाला गया था।

श्री राज बहादुर : किसी दुर्घटना की जांच के लिये ऐसे ही नियम हैं तथा इनका कड़ाई से पालन किया जाता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

विस्तार विकास योजना

***२१३७. श्री चिनारिया** : (क) क्या **कृषि तथा खाद्य** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र में विस्तार आयुक्त की नियुक्ति कब हुई थी ?

(ख) क्या हर राज्य के अपने विस्तार आयुक्त हैं ?

(ग) कितनी विस्तार विकास परियोजनायें आरम्भ की जा चुकी हैं तथा कितने शिक्षण केन्द्र चलाये जा रहें हैं ?

(घ) शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की संख्या कितनी है तथा उन की संख्या कितनी है जो शिक्षा पा रहे हैं ?

(ङ) विस्तार कार्य में कितनी प्रगति हुई हैं विशेषकर पेप्सू में ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) १ नवम्बर, १९५१ ।

(ख) अभी तक १९ राज्यों मे विकास के सहकारी तथा उपसंचालक नियुक्त किये गये हैं ।

(ग) १५ प्रारम्भिक विकास परियोजनाओं में से हर एक, तथा ३४ विकास शिक्षण केन्द्रों में से ३३ पूरी शक्ति से कार्य कर रहे हैं । यह १५ प्रारम्भिक विकास परियोजनायें, सामुदायिक परियोजना प्रशासन के अन्तर्गत आरम्भ किये जाने वाली ५५ सामुदायिक परियोजनाओं के अतिरिक्त हैं ।

(घ) १,१२६ शिक्षक शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा १,३३८ शिक्षा पा रहे हैं ।

(ङ) सदन पटल पर एक विवरण रक्खा है। **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ५]**

नल कूप निर्माण

*२१४०. **श्री शिवमूर्ति स्वामी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पंच वर्षीय योजना में कोई ऐसा प्रावधान बनाया गया है जिसके द्वारा किसी राज्य में, जहां लोगों को अभिरुचि हो, तथा वे क़िस्तों में रुपया लौटा देने को तैयार हो, नल कूप निर्माण में रुपया विनियोजन किया जा सकता है ;

(ख) यदि किया जा सकता है तो कितने नलकूपों का निर्माण हो रहा है तथा किन शर्तों पर—ऋण के रूप में अथवा लघु परिमाप सिंचाई योजना के अन्तर्गत अनुदान के रूप में ;

(ग) यदि जनता द्वारा सहकारी सिंचाई समाज बनाये जायं तो सामान्य रूप से समाजों को योजना अधिकारियों द्वारा क्या सहायता दी जायगी ; तथा

(घ) अब तक ऐसे कितने समाजों को सहायता दी गई है तथा उन को दी जाने वाली कुल धनराशि कितनी है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) हां ।

(ख) से (घ). निर्माण किये जाने वाले नलकूपों को संख्या के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है । सहकारी समितियों द्वारा बनाये जाने वाले नलकूप लागत के २५ प्रतिशत तक सहायता पाने के अधिकारी हैं। इस सहायता का भार केन्द्र तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों के बीच बराबर बांट दिया जाता है । शेष व्यय के लिये, ऐसे समाजों को ऋण प्राप्त करने का अधिकार है । अब तक सहकारी नलकूपों के निर्माण के लिये ३० लाख रुपये का समग्र ऋण दिया गया है ?

इन्दौर से दौहद तक की रेलवे लाइन का परिमापन

*२१४१. **श्री बलवन्त सिन्हा मेहता:** (क) रेल मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इन्दौर से दौहद तक की रेलवे लाइन का प्रारम्भिक परिमापन कार्य पूरा हो चुका है ?

(ख) यदि हां, तो उक्त रेलवे लाइन पर कौन कौन से बड़े स्टेशन होंगे और इससे कितनी भील आबादी को लाभ होगा ?

(ग) इस रेलवे लाइन के बनाने के क्या विशेष फ़ायदे हैं और इसका अनुमानित व्यय कितना है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) प्रारम्भिक परिमापन कार्य अभी तक चल रहा है ।

(ख) और (ग). यदि यह लाइन बना दी जाती है तो यह इन्दौर को सीधे बम्बई-दिल्ली लाइन से जोड़ देगी और भील प्रदेश को भी विकसित करेगी । मांगे गये ब्यौरे परिमापन कार्य के पूरा होने के बाद उपलब्ध होंगे ।

जापानी विशेषज्ञ

*२१५०. **श्री तेलकीकर**: क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ के समझौते के अधीन भारत में एक जापानी विशेषज्ञ आ गया है ;

(ख) क्या उसने भारत के रोपण-श्रमिकों के हेतु कोई व्यवसायिक प्रशिक्षण योजना संगठित की और सामने रखी है ; और

(ग) यदि उसने ऐसा किया है तो उसकी सिफ़ारिशें क्या हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) जी हां । अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ के विशेषज्ञ, श्री टेरू सासाकी, जो एक जापानी हैं, भारत में १५ फ़रवरी, १९५३ को पहुंचे थे ।

(ख) और (ग). उस विशेषज्ञ ने अभी तक रोपण-श्रमिकों के लिये कोई योजना संगठित नहीं की है । निचले और ऊपरी आसाम में चाय-बागीचों के प्रारम्भिक निरीक्षण के उपरान्त उस विशेषज्ञ ने अभी हाल ही में केन्द्रीय सरकार तथा आसाम की सरकार के सम्मुख अपनी "अन्तर्कालीन सिफ़ारिशें" रखी हैं । ये सिफ़ारिशें कार्य-वाही के हेतु तीन वैकल्पिक योजनाओं के रूप में हैं और विचाराधीन हैं ।

संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल संकट-निधि से प्राप्त सहायता

*२१५४. **श्रीमती शकुन्तला** : (क) क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या सरकार को उत्तर प्रदेश राज्य में मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिये संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल संकट-निधि से सहायता की कोई भेंट प्राप्त हुई है ?

(ख) यदि प्राप्त हुई है तो उस सहायता का रूप और मूल्य क्या होगा ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ६]**

सहायक लेखापाल

*२१५५. **श्री विट्टल राव** : क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह तथ्य है कि सरकार ने १९४८ में किसी प्रधान डाकघर अथवा प्रधान लेख्यालय में लगे हुये प्रत्येक २५० पदाधिकारियों के लिये एक सहायक लेखापाल का पद बनाने का निश्चय किया था ;

(ख) क्या वह प्रस्ताव आर्थिक तंगी के कारण त्याग दिया गया था ;

(ग) क्या सरकार १९४८ में सहायक लेखापालों के पदों को मंजूरी देने के लिये बनाये गये सूत्र की अभिपूर्ति का विचार करती है ; और

(घ) यदि नहीं करती है तो उसके कारण ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ). सहायक लेखापालों के पदों को मंजूरी देने के लिये एक आदर्श निर्धारित करने का प्रश्न विचाराधीन है।

खादों और उर्वरकों पर समिति

*२१५९. **श्री बुच्चिकोटैय्या**: (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या खादों और उर्वरकों पर सरकार ने कोई विशेषज्ञों की समिति नियुक्त की है ?

(ख) यदि की है तो वह कब बनाई गई थी ?

(ग) उस समिति के मुख्य कार्य क्या हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) से (ग). जी हां । समिति सरकार द्वारा स्वीकृत अधिक अन्न उपजाओ जांच समिति की एक सिफ़ारिश के फलस्वरूप २८ अप्रैल, १९५३ को स्थापित की गई थी। समिति के कार्य एक विवरण में दिये गये हैं जो सदन पटल पर रखा है।

विवरण

खादों और उर्वरकों पर विशेषज्ञों की स्थायी समिति के कार्य

(१) विद्यमान वांछनीय प्रकारों की खादों और उर्वरकों के उपभोग को बढ़ाने के लिये जो कार्यवाहियां की जानी चाहियें उनके सम्बन्ध में सलाह देना ;

(२) भारत और विदेशों में होने वाले खाद सम्बन्धी अनुसन्धान के परिणामों को ध्यान में रखना और विभिन्न राज्यों में खादों और उर्वरकों के अच्छे उपयोग के विकास के लिये सुझाव देना ;

(३) भारत में देशी खादों और उर्वरकों के उत्पादन और उपभोग के सम्बन्ध में हुई प्रगति को समय समय पर पुनर्विलोकित करना ; और

(४) ऐसी अन्य कार्यवाहियों की सिफ़ारिश करना जो उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के हेतु आवश्यक हों ।

विशेष पास (प्रिविलेज पासेज)

*२१६३. **श्री वाघमारे**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कर्मचारियों के मूल-वेतन के साथ ५० प्रतिशत महंगाई भत्ते के विलीनीकरण का रेलवे कर्मचारियों के विशेष पासों के सम्बन्ध में कोई लाभदायक प्रभाव पड़ेगा ;

(ख) यदि पड़ेगा तो वह तिथि जब से यह लागू होगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां): (क) और (ख) यह विषय सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मध्य भारत की दुर्लभता की दशाओं का अध्ययन

*२१६८. **श्री बुच्चिकोटैय्या**: (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि केन्द्रीय सरकार ने मध्य भारत में वहां के खाद्यान्नों की दुर्लभता से प्रभावित क्षेत्रों की दशाओं का अध्ययन करने के लिये एक समिति भेजने का निश्चय किया है ?

(ख) यदि किया है तो उस समिति के सदस्यगण कौन हैं ?

(ग) क्या समिति को अपना प्रतिवेदन देने के लिये समय-सीमा निश्चित की गई है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) और (ख). भारत सरकार उस राज्य के दुर्लभता से प्रभावित क्षेत्रों में वनरोपण, भूमि-संरक्षण, जल-उपभोग और चारे के संसाधनों के सुधार के विषय में सुझाव देने के लिये मध्य भारत को एक प्रविधिक दल भेजने के लिये तैयार हो गई है । दल का निर्माण अभी नहीं तय हुआ है ।

(ग) जी नहीं ।

खादों का संभरण

*२१७६. **श्री बुच्चिकोटैय्या** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि केन्द्रीय सरकार मद्रास राज्य को साधारण दर से ७५ रुपया प्रति टन कम मूल्य पर रासायनिक खादों को बेचने के लिये राज़ी हो गई है ;

(ख) यदि ऐसा है तो क्या ऐसी रियायत अन्य राज्यों को दी जायेगी; और

(ग) किस तिथि से यह चालू होगा ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) से (ग). १९५२ में मद्रास के लिये रेल भाड़ा सहित अमोनियम सल्फ़ेट का संकोष मूल्य ३७० रुपये था। यह मूल्य पहली जनवरी, १९५३ के बाद किए गये संभरणों के लिये घटा कर ३१० रुपये कर दिया गया है । इसी प्रकार की रियायत अन्य स्थानों को किये गये संभरणों के सम्बन्ध में भी दी गई है।

डेरा गोपीपुर में पुल का निर्माण

*२१७७. **श्री हेम राज** : (क) क्या यातायात मंत्री वर्ष १९५२-५३ में विभिन्न राज्य सरकारों को स्वीकृत किये गये तथा केन्द्रीय सड़क निधि में से दिये गए अनुदानों की राशि बताने की कृपा करेंगे ?

(ख) क्या पंजाब सरकार ने ब्यास नदी पर डेरागोपीपुर में एक पुल के निर्माण के लिये केन्द्रीय सरकार से ऐसे अनुदान के लिये कोशिश की है ?

(ग) यदि की है तो कितने के लिये ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) मांगी गई सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा है । **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ७]**

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

नांगल-मंडी रेलवे लाइन

*२१७८. **श्री हेमराज** : (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रेलवे बोर्ड के विचाराधीन नांगल बस्ती से हिमाचल प्रदेश में मंडी नगर तक एक रेलवे लाइन बनाने की कोई योजना है ?

(ख) यदि है, तो उसके निर्माण का कार्य कब प्रारम्भ किया जायेगा ?

(ग) उसका अनुमानित मूल्य क्या है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) उत्तर नकारात्मक है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

अभ्रक मजदूर संघ, झुमरीतेलैया का अभ्यावेदन

*२१८०. **श्री बी० डी० शास्त्री** : (क) क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार को अभ्रक मज़दूर संघ, झुमरीतेलैया, हज़ारीबाग़ ज़िला (बिहार) से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें उसने हज़ारीबाग़ ज़िले की अभ्रक

की खानों से सम्बन्धित मज़दूर संघों के संचालन में बिहार के राजस्व मंत्री के हस्तक्षेप के विरुद्ध विरोध प्रदर्शित किया है ?

(ख) इस मामले में भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भूतपूर्व सिंधिया राज्य रेलवे के कर्मचारियों की थोड़े समय के लिए अपने देश जाने की छुट्टी

*२१८१. **श्री बी० एस० मूर्ति**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि भूतपूर्व सिंधिया राज्य रेलवे के कर्मचारियों द्वारा अर्जित स्वदेश जाने के लिये थोड़े समय की छुट्टी केन्द्रीय रेलवे द्वारा उनके अगले खाते में जमा नहीं की गई है ;

(ख) क्या यह तथ्य है कि भूतपूर्व ग्वालियर राज्य के उन कर्मचारियों के मामलों में, जो अन्य केन्द्रीय सरकार के विभागों को स्थानान्तरित कर दिये गये हैं, ऐसी स्वदेश जाने के लिये अल्पकालीन छुट्टी उनके अगले खाते में जमा कर ली गई है ; और

(ग) यदि ऐसा है तो सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज़ खां): (क) से (ग). भूतपूर्व सिंधिया राज्य रेलवे के कर्मचारियों तथा भूतपूर्व ग्वालियर राज्य के उन कर्मचारियों के सम्बन्ध जो अन्य केन्द्रीय सरकार के विभागों को स्थानान्तरित कर दिये गये हैं निदेश जारी कर दिये गये हैं कि पुराने नियमों के आधीन बाकी छुट्टी, केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित नये छुट्टी सम्बन्धी नियमों द्वारा निर्धारित सीमाओं के आधीन, अगले खाते में जमा कर ली जानी चाहिये । केन्द्रीय रेलवे ने अभी तक स्वदेश जाने के लिये अल्पकालीन छुट्टी को अगले खाते में जमा किये जाने की स्वीकृति नहीं दी है । भूतपूर्व ग्वालियर राज्य के उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में, जो अन्य विभागों को स्थानान्तरित कर दिये गये हैं, ऐसे अगले खाते में जमा किये जाने के विषय में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है और इस मामले में छानबीन हो रही है इस विचार से ताकि यदि कोई असमानता हो तो उसे दूर कर दिया जाये ।

भारतीय नाविक संघ, बम्बई का ज्ञापन

*२१८२. **श्री बी० एस० मूर्ति**: (क) क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार को भारतीय नाविक संघ, बम्बई के पास से ऐसा कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें उसने कुछ लाभों की मांग की है और व्यापारी नौपरिवहन अधिनियम तथा बढ़ी हुई मज़दूरियों आदि के पुनर्विलोकन के लिये प्रार्थना की है ?

(ख) उस ज्ञापन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार रखती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) जी हां ।

(ख) कुछ मांगों को छोड़ कर उन नाविकों की अधिकतर मांगें नौकरी सम्बन्धी शर्तें जैसे निवृत्ति वेतन, उपदान, वेतन, छुट्टियां, काम करने के घंटे आदि आदि ही थे । यह मांगें तो नाविकों तथा उनके मालिकों में आपसी बातचीत द्वारा तै हो सकती हैं ।

दूसरी मांगों के सम्बन्ध में जिनका कि सरकार से सीधा सम्बन्ध है, भारत सरकार इन नाविकों के लिये नौकरी दिलाने वाले कार्यालय खोलने का विचार कर रही है ।

और नाविकों के लिये नौकरी पाने के लिये डाक्टरी जांच वाली शर्त कुछ ढीली कर दी है । भारतीय व्यापारी नौपरिवहन अधिनियम, १९२३ पर पुनर्विचार करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

उत्तरी गुजरात में नलकूपों का निर्माण

*२१८५. **डा० अमीन:** (क) क्या **कृषि तथा खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरी गुजरात में ४००' नलकूपों के निर्माण के लिये केन्द्रीय सरकार ने बम्बई सरकार को कुल कितना रुपया पेशगी दिया था ?

(ख) 'मैसर्स ट्यूब वैल्स' ने अब तक कितने नलकूपों का निर्माण किया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) ४० लाख रुपया ।

(ख) २५ ।

किच्छा तथा बिहारी स्टेशनों के बीच दुर्घटना

*२१८८. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी:** (क) क्या **रेल** मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ३०७ डाउन नैनीताल एक्सप्रेस बुधवार, ३० अप्रैल, १९५३ को रात्रि को ९ बज कर ४१ मिनट पर किच्छा तथा बिहारी स्टेशनों के बीच पटरी पर से उतर गई थी ;

(ख) इस दुर्घटना का क्या कारण था ;

(ग) चोट के कारण कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ; और

(घ) रेलवे सम्पत्ति की कितनी हानि हुई ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां): (क) किच्छा तथा बिहारी रेलवे स्टेशनों के बीच २९ अप्रैल, १९५३ को ९ बज कर ४० मिनट पर रेलगाड़ी पटरी से उतर गई थी ।

(ख) रेलों के सरकारी निरीक्षक जिसने इस दुर्घटना की जांच की थी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस दुर्घटना का कारण अन्तर्ध्वंस है ।

(ग) चोट के कारण तो एक व्यक्ति की ही मृत्यु हुई किन्तु दो व्यक्तियों की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई थी ।

(घ) लगभग ३९ हज़ार रुपया ।

कारंवा नगर में टेलीफून व्यवस्था

१४६१. **डा० अमीन:** (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि बड़ौदा ज़िले के कारंवा नगर में टेलीफून की व्यवस्था करने के सिलसिले में डाक तथा तार विभाग के एक पदाधिकारी मार्च, १९५३ से वहां निरीक्षण के लिये गये थे ?

(ख) क्या इस पदाधिकारी ने कारंवा निवासियों के सम्मुख कोई प्रस्ताव ऐसा रखा था कि सरकार टेलीफ़ून की व्यवस्था करेगी बशर्ते कि यहां के निवासी व्यवस्था किये जाने पर प्रति वर्ष सरकार को होने वाली हानि को, यदि होती है तो, सहन कर लेते हैं ।

(ग) यदि यह ठीक है तो उसके क्या कारण थे ?

(घ) कारंवा नगर में टेलीफ़ून की व्यवस्था कब तक होगी ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): बड़ौदा स्थित डाकघरों के निरीक्षक ने २७ फ़रवरी, १९५३ को कारंवा नगर का इस विचार से निरीक्षण किया कि कारवा के शाखा डाकघर को, डाकघर में, सार्वजनिक टेलीफ़ोन व्यवस्था के साथ परिवर्तित कर दिया जाय ।

(ख) नहीं, श्रीमन् । यद्यपि टेलीफ़ोन निरीक्षक ने निवासियों से पूछा था कि यदि यहां टेलीफोन की व्यवस्था की जाती है तो क्या वे इस बात के लिये तत्पर हैं कि यदि कोई हानि हुई तो वे उसे सहन कर सकेंगे ?

(ग) यह प्रश्न तो उठता ही नहीं है ।

(घ) जैसा कि (क) के उत्तर से स्पष्ट है कि यह प्रश्न अभी विभाग के विचाराधीन है ; और जैसे ही कारंवा के शाखा डाकघर को अतिरिक्त विभागीय डाकघर बताया जायगा तो तुरन्त ही यहां टेलीफ़ून की व्यवस्था की जायगी ।

खदानों में शुष्क व्येधन के लिए श्रमिकों का नियोजन

*१४६२. **श्री बलवन्त सिंह मेहता :** (क) क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि शुष्क व्येधन के कार्य पर जो श्रमिक कार्य करते हैं उन्हें क्षयरोग हो जाता है ?

(ख) क्या सरकार विधान द्वारा इस व्येधन कार्य को रोकना चाहती है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) शुष्क व्येधन के कारण जो धूल उड़ती है वह सांस लेने पर श्रमिकों के सांस के साथ साथ अन्दर चली जाती है जिससे सिलिकोसिस तथा न्यूमोकोनिओसिस आदि रोग हो जाते हैं इन रोगों के बीमारों को यक्ष्मा का साधारण शिकार समझा जाता है ।

(ख) खदान अधिनियम, १९५२ की धारा २२ के अनुसार मुख्य निरीक्षक अथवा निरीक्षक, यदि वह किसी मामले को, किसी प्रचलित नियम को, खदान के सम्बन्ध में मनुष्य जीवन के लिये भयंकर समझता है तो वह खदान के मालिक अथवा उसके प्रबन्धक को इससे बचाने के लिये लिखित आज्ञा देता है कि इतने समय तक इसको दूर कर देना चाहिये । इस धारा के अनुसार समय समय पर तर व्येधन अथवा धूल से बचने के लिये उचित उपाय करने के लिये प्रबन्ध करने के लिये बार बार आदेश जारी किये जाते हैं ।

अनुसूचित जातियों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र

१४६३. **श्री भीखा भाई :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतवर्ष में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जातियों के क्षेत्र में प्रशिक्षण केन्द्र (दोनों औद्योगिक तथा व्यवसायिक) खोलने की आवश्यकता पर सरकार ने क्या कोई विचार किया है ?

(ख) यदि नहीं तो सरकार ने इन क्षेत्रों में नौकरी सम्बन्धी आंकड़े जानने के लिये क्या कभी कोई जांच की है ?

(ग) यदि नहीं, तो इस बेकारी को सरकार किस प्रकार दूर करेगी ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) अभी नहीं ।

(ख) नहीं ।

(ग) बेकारी की समस्या केवल अनुसूचित जातियों के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है । बेकारी को दूर करने का प्रश्न पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है ।

उदयपुर और दिल्ली के बीच चलने वाली रेलगाड़ी

१४६४. **श्री बलवन्त सिंह मेहता :** रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि उदयपुर और दिल्ली के बीच जो कि ५०० मील का फ़ासला है, चलने वाली रेलगाड़ी में चार दर्जों वाला केवल एक ही डिब्बा लगाया जाता है ;

(ख) मालवा सेक्शन में उदयपुर से अजमेर के बीच के स्टेशनों से दिल्ली के लिये चलने वाले यात्रियों की प्रति दिन की औसत संख्या कितनी है ; तथा

(ग) क्या सरकार यात्रियों की सुविधा के लिये और डिब्बे लगाने का विचार करती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) दिल्ली तथा उदयपुर के बीच चलने वाली रेलगाड़ी में द्वितीय, मध्यम तथा तृतीय श्रेणी का एक सवारी डिब्बा चलता है ।

(ख) उदयपुर और अजमेर के बीच के स्टेशनों से दिल्ली को चलने वाले यात्रियों की संख्या का दैनिक औसत निम्न है :—

द्वितीय श्रेणी	५·३
मध्यम श्रेणी	९
तृतीय श्रेणी	२८

(ग) नहीं । आजकल चलने वाले यात्रियों की संख्या के विचार से एक सवारी का डिब्बा ही काफ़ी है ।

झांसी मानिकपुर भाग (भीड़)

१४६५. श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि केन्द्रीय रेलवे के झांसी मानिकपुर भाग में महीने में प्राय: दो बार यात्रियों की बहुत भीड़ होती है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि उन दिनों बहुत से यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं ?

(ग) क्या यह सत्य है कि कई बार इस प्रकार के यात्रियों ने रेलवे सम्पत्ति को हानि पहुंचाई है ?

(घ) इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) आपका प्रश्न चित्रकूट में होने वाले मेले से है जो प्राय: प्रत्येक महीने में होता है । उन दिनों कुछ भीड़ हो जाती है किन्तु स्थिति को ध्यान में रखते हुये उन दिनों रेलों की संख्या बढ़ा कर स्थिति को वश में कर लिया जाता है ।

(ख) भीड़ का लाभ उठा कर काफी संख्या में यात्री लोग बिना टिकिट यात्रा करते हैं ।

(ग) जान पूछ कर इन यात्रियों द्वारा रेलवे सम्पत्ति को हानि पहुंचाने की सूचना सरकार को नहीं मिली है । किन्तु इतना सत्य है कि यात्रियों में यह आम प्रथा सी है कि जब वे मेलों में जाते हैं तो अपने साथ लाठियां ले जाते हैं और उन लाठियों से बहुत सम्भव है कि खिड़की आदि को खोलने का प्रयत्न किया हो ।

(घ) इन मेलों के अवसर पर अच्छा प्रबन्ध करने का उचित प्रबन्ध किया गया है । बिना टिकिट चलने वालों की जांच करने के लिये अतिरिक्त टिकिट निरीक्षकों को नियुक्त किया गया है ताकि वह स्थिति का भली प्रकार से मुक़ाबला कर सकें और बिना टिकिट यात्रा करने वालों को रोक सकें ।

दियासलाई की लकड़ी के बाग

१४६६. श्री के० सी० सोधिया : क्या **कृषि तथा खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि दियासलाई की लकड़ी के बाग़ कौन से राज्य में लगाये जायेंगे ?

(ख) कितने समय के उपरान्त ये बढ़ जायेंगे ?

(ग) एक एकड़ में लगभग कितने पौदे लगाये जाते हैं ?

(घ) इन पौदों के बढ़ जाने के उपरान्त उस एकड़ भूमि का लगभग क्या मूल्य होगा ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) उत्तर प्रदेश, आसाम, त्रावणकोर-कोचीन, मद्रास, मध्य प्रदेश और बम्बई में दियासलाई की लकड़ी के बाग़ लगाये जा रहे हैं ।

(ख) लगभग ३० से ४० वर्ष लगेंगे—पौदों की क़िस्म व स्थानीय वातावरण पर निर्भर है ।

(ग) काफ़ी संख्या में पौदे निकल आये हैं ; अन्त में बढ़ने पर ३० पौदे प्रति एकड़ के रहते हैं ।

(घ) प्रचलित भाव के आधार पर २ हज़ार रुपया प्रति एकड़ इसका मूल्य होगा । ४० वर्ष आगे भविष्य में मूल्य क्या होगा यह निश्चित करना बड़ा कठिन है ।

सिरकाकुलम रोड़ स्टेशन पर यात्रियों के जाने का पुल

१४६७. श्री राजगोपाल राव : (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सिरका कुलम रोड स्टेशन पर यात्रियों के लिये जाने के लिये पुल बनाने के लिये कोई अभ्यावेदन सरकार को किया गया है ?

(ख) यदि किया गया है तो सरकार इस विषय में क्या करने का विचार रखती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) यह प्रस्ताव दक्षिण रेलवे की यात्री सुविधा समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जायगा ।

जूट की खेती

१४६८. डा० राम सुभग सिंह : क्या कृषि तथा खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैरकपुर में जूट खेती अनुसन्धान-शाला की भूमि के आसपास किसानों की भूमि में जूट उत्पादन के लिये क्या सरकार सुधरे हुये तरीक़ों का प्रयोग करेगी ?

(ख) क्या वहां कोई विस्तार केन्द्र खोला जायगा ?

(ग) यदि यह ठीक है तो कितने, और कब ?

(घ) इन विस्तार केन्द्रों के खोलने में कितना लाभ होगा ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) वर्ष १९५३-५४ में तीन विस्तार केन्द्र खोले जायेंगे ।

(घ)

वर्ष	रुपया
(१) १९५३-५४	८,८३५
(२) १९५४-५५	७,०७३
(३) १९५५-५६	७,१९१

उत्तरपूर्वी रेलवे के इंजीनियरी विभाग को क्षतिपूर्ति भत्ता

१४६९. श्री रामानन्द दास : (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि उत्तर पूर्वी रेलवे के बादशाह नगर स्टेशन के इंजीनियरी विभाग के कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति भत्ता नहीं दिया गया है, जब कि वहां के अन्य विभाग के कर्मचारियों को यह भत्ता दिया गया है ?

(ख) यदि यह ठीक है तो इस विभेद को दूर करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) इस विभेद को दूर करने के लिये रेलवे प्रशासन ने कार्यवाही की है ।

क्लोरीन की टंकी वाले डिब्बे

१४७०. श्री राजगोपाल राव : (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि रेल मण्डल ने संयुक्त राज्य को द्रव क्लोरीन की टंकी वाले माल के डिब्बों के लिये आर्डर भेजा है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो आर्डर कब भेजा गया था और कितने डिब्बों के लिये ?

(ग) डिब्बे छुड़ाने की तिथि कौन सी है ?

(ख) अब तक कितने डिब्बे आ चुके हैं ?

(ङ) सब डिब्बे कब तक प्राप्त होंगे ?

(च) ये डिब्बे किसके नाम नियत किये गये हैं ?

(छ) क्या डिब्बों को छुड़वाने में कुछ विलम्ब हुआ है ?

(ज) यदि ऐसा है, तो विलम्ब का उत्तरदायित्व किस पर है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख) भारतीय भण्डार-विभाग, लन्दन, के महासंचालक को १० बड़ी बड़ी लाइन के क्लोरीन की टंकी वाले डिब्बों के लिये आर्डर देने के निदेश जारी किये जा चुके हैं । इस आर्डर को देने के सम्बन्ध में अभी तक कोई सम्मति प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग), (घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते ।

(च) इन विशेष टंकी वाले डिब्बों को निम्न प्रकार से नियत करने का विचार है :

मध्य रेलवे	३
दक्षिण रेलवे	५
पश्चिम रेलवे	२

(छ) और (ज) प्रश्न नहीं उठता ।

विशाखापटनम् बन्दरगाह पर जहाज द्वारा आयात किये जाने वाले माल को उतारने चढ़ाने का ठेका

१४७१. श्री के० सुब्रहमनण्यम् : (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या विशाखापटनम् बन्दरगाह पर जहाज़ द्वारा आयात किये जाने वाले माल को उतारने चढ़ाने के लिये इस वर्ष टेण्डर मांगे गये थे ?

(ख) यदि ऐसा है तो कितने टेण्डर प्राप्त हुये थे तथा उनके क्रमानुसार मूल्य कथन क्या थे ?

(ग) ठेका किसे दिया गया था ?

(घ) क्या वह न्यूनतम टेण्डर वाला व्यक्ति था ?

(ङ) यदि नहीं तो उसे ठेका क्यों दिया गया ?

(च) क्या यह तथ्य है कि उसी व्यक्ति को गत वर्ष भी इसी प्रकार की परिस्थितियों में ठेका मिला था ?

(छ) पिछले कितने वर्षों से उसे ठेका मिल रहा है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां ।

(ख) तीन टेण्डर वर्ष में अनुमान किये गये टन भार के आधार पर प्राप्त हुये थे

ठेके के कुल मूल्य दिये गये मूल्य कथनों के अनुसार निम्नलिखित थे :

	रु०
(१) पहला टेण्डर	१,१४,५१५
(२) दूसरा टेण्डर	१,१३,३१२
(३) तीसरा टेण्डर	१,१२,४३७

(ग) सर्वश्री राम, ब्राह्म ऐण्ड सन्स का टेंडर न्यूनतम से अधिक वाला था, और ठेका उन्हीं को दिया गया था क्योंकि न्यूनतम ठेके वाला पदाधिकारियों को अपने अनुभव एवं वित्तीय स्थिरता के सम्बन्ध में सन्तुष्ट करने में असफल रहा ।

(च) पिछले वर्ष यथा १९५२-५३ के लिये उसी कम्पनी को ठेका दिया गया था, किन्तु पूर्ण समान स्थितियों के अधीन नहीं ।

(छ) १९३४ से केवल १९४७-४८ में रोक कर ।

हैदराबाद में सड़क योजनाएं

१४७२. श्री तेलकीकर : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) ३१ मार्च, १९५३ तक अनुमोदित ४८·५८ लाख रुपये की लागत पर हैदराबाद राज्य में सड़क योजनायें ;

(ख) क्या इस राशि में किसी पुल पर या उसके निर्माण पर किया जाने वाला व्यय भी सम्मिलित है ; और

(ग) यदि ऐसा है, तो उन नदियों के नाम जिनके ऊपर तथा उन स्थानों के नाम जहां पर ये पुल बनवाये जायेंगे ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ऐसा एक विवरण जिसमें मांगी गई सूचना दी हुई है सदन पटल पर रखा है।

हैदराबाद में सड़क तथा पुल योजनाएं नदियों और चौराहों के नामसहित

(१) उतनूर–असीफाबाद सड़क का निर्माण (३५ मील), जिला अदीलाबाद

(२) जिला गुलबर्गा के गुलबर्गा-सुरापुर सड़क पर भीमा नदी के बीच से होकर एक देहरी का निर्माण ।

(३) जिला गुलबर्गा में गुलबर्गा-कोंडगल सड़क पर मालखेद में कन्ना नदी के बीच से होकर एक देहरी का निर्माण ।

(४) पेनगंगा नदी के बीच से होकर वासिम-हिंगोली सड़क पर मध्यप्रदेश में राजगांव और हैदराबाद में कनहरगांव के बीच एक पुल का निर्माण ?

रेल की कोयले की खानों का वाणिज्य-करण

१४७३. श्री एन० पी० सिन्हा: क्या रेल मंत्री ५ जून, १९५२ को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या ८९ के उत्तर का निर्देश करने की कृपा करेंगे और यह बतायेंगे कि क्या रेल की सरकारी कोयले की खानों का वाणिज्य-करण करने और उनको एक संयुक्त भण्डार-कम्पनी बना देने के संबंध में सरकार द्वारा कुछ निर्णय किया गया है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : यह प्रश्न अभी उत्पादन मंत्रालय के विचाराधीन है ।

रेल की भूमियां

१४७४. श्री के० पी० सिन्हा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि लगभग २०० एकड़ रेल की भूमि जो पूसा सड़क स्टेशन के निकट है हाल ही में कृषि कार्यों के लिये ले ली गई है ;

(ख) इस प्रबंध के अन्तर्गत सरकार द्वारा अनुभव किये जाने वारा पूर्ण विचार;

(ग) ये भूमियां कृषि योग्य थीं अथवा बजर ; और

(घ) क्षेत्र के अन्य इसी प्रकार की भूमियों का बाजार मूल्य प्रबन्ध के समय इसी प्रकार की सुविधाओं सहित ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नहीं । केवल लगभग ३१ एकड़ भूमि पट्टियों में समस्तीपुर और ढोली में रेल के किनारे की एक वर्ष के लिए बिहार सरकार द्वारा कृषि कार्यों के लिये आम नीलाम द्वारा दी गई है ।

(ख) उपयुक्त भूमियों के लिये ९०० रुपये ।

(ग) भूमि बेकार पड़ी हुई थी किन्तु कृषि योग्य है ।

(घ) मांगी गई सूचना बिहार सरकार द्वारा प्राप्त की जायगी और सदन पटल पर रखी जायगी ।

परिचारिका परियोजना

१४७५. श्री एस० सी० सामन्त: क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) वर्ष १९५२-५३ में विश्व-स्वास्थ्य संघ द्वारा कितनी परिचारिका शिक्षक भारत में परिचारिका परियोजना में सहायता करने के लिये भेजी गई हैं ;

(ख) वर्तमान में वे किस स्थान पर कार्य कर रही हैं ; और

(ग) इसी समय में विश्व-स्वास्थ्य-संघ द्वारा कितने उपकरण तथा पूर्तियां की गई हैं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) चार ।

(ख) एक मद्रास के और तीन कलकत्ता में ।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथोचित समय में सदन पटल पर रखी जायेगी ।

ग्रामसड़क विकास सहकारी योजना

१४७६. श्री एस० सी० सामन्त: क्या **यातायात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उन राज्यों के नाम जिन्होंने ग्राम सड़क विकास सहकारिता योजना के अन्तर्गत सहकारिता के आधार पर चलाई जाने वाली विशिष्ट सड़क योजना के विरुद्ध प्रस्ताव रखे हैं ;

(ख) कितने प्रस्तावों का अनुमोदन किया जा चुका है ; और

(ग) प्रत्येक प्रस्ताव के लिये कितना धन स्वीकृत किया गया है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) पंजाब, विन्ध्यप्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश ।

(ख) पंजाब तथा विन्ध्य प्रदेश द्वारा रखे गए प्रस्तावों का अनुमोदन हो चुका है ।

(ग) क्रमश: ९१,६०० रु० तथा २५,००० रु० ।

शिशुशालायें

१४७७. श्री तेलकीकर: क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत के औद्योगिक शहरों में, मुख्यत: हैदराबाद राज्य में, जहां शिशु-शालायें या शिशु कक्षायें बच्चों के लिये मजदूरों के हित में प्रारम्भ की गई हैं ;

(ख) एक मध्यम आकार शिशुशाला जिसमें लगभग १०० बच्चे आ सकते हैं

इस पर होने वाले चालू और प्रतिष्ठापन वार्षिक व्यय ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) और (ख) राज्य सरकारों द्वारा सूचना एकत्रित की जा रही है और यथोचित समय में सदन पटल पर रखी जायगी। हैदराबाद राज्य में शिशुशालायें औरंगाबाद, नानडेड, धान, वारंगल, सीरपुर, गुलबर्गा, सिकन्दराबाद और हैदराबाद में हैं। अस्सी बच्चों पर वार्षिक व्यय अनुमानतः सोलह हजार रुपया होता है।

चलते डाक घर

१४७८. श्री बादशाह गुप्त : क्या यातायात मंत्री सरकार द्वारा वर्ष १९५२-५३ में देहली में चलते डाकघरों से होने वाली आय बताने की कृपा करेंगे ?

यातायात उपमंत्री (श्री राज बहादुर): एक विवरण जिसमें वर्ष १९५२-५३ में दिल्ली तथा नई दिल्ली के चलते डाकघरों से होने वाली आय-व्यय दी गई है, सदन पटल पर रखा है। [**देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ८**]

आय तथा व्यय का अन्तर आय नहीं समझा जा सकता क्योंकि कार्य का कुछ अंश जो चलते डाकघर द्वारा किया जाता है वह स्थित डाकघरों के कार्य का परिवर्तन प्रदर्शित करता है।

अर्द्ध-रेल संस्थायें

१४७९. श्री गिडवानी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या रेल मंडल ने सहकारी भाण्डारों, रेल शिक्षा संस्थाओं तथा प्रचीन उत्तर पूर्वी और बंगाल आसाम रेल की सहकारी-ऋण समितियों को अर्द्ध रेल संस्थायें मान लिया है और इन संस्थाओं के भूतपूर्व कर्मचारियों को उनकी पूर्व सेवाओं का लाभ दिया है ;

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या पश्चिमी पाकिस्तान को अर्द्ध-सरकारी संस्थाओं के कर्मचारियों के साथ भी वही व्यवहार किया जाता है ; और

(ग) यदि ऐसा नहीं है तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) रेलवे बोर्ड ने पुरानी उत्तर पश्चिमी और बंगाल आसाम रेलों के सहकारी भंडार, रेलवे इंस्टीट्यूट और सहकारी ऋण समितियों को उनके भूतपूर्व कर्मचारियों की पिछली सेवाओं के लिये लाभ देने की दृष्टि से अर्द्ध रेलवे सम्पत्ति नहीं माना है। उत्तरी पश्चिमी रेलवे कर्मचारी सहकारी ऋण संस्था लिमिटेड के विषय में—पाकिस्तान से आने वाले अतिरिक्त रेलवे कर्मचारियों की व्यवस्था के पश्चात जिन्हें भारतीय रेलों में ले लिया गया था—जनरल मैनेजरों को यह अनुदेश दिये गये थे कि निर्धारित स्तरों में उपयुक्त श्रेणियों पर वेतन निश्चित करते समय उनकी सहकारी ऋण संस्था सम्बंधी सेवाओं की गणना भी कर ली जाय। योग्यता और अनुभव पर उचित उम्मीदवारों की ध्यान देने के पश्चात सीधी भरती के विषय में रेलवे प्रशासन के जनरल मैनेजरों को साधारणतया यह अधिकार है।

(ख) जहां तक रेल मंत्रालय का सम्बंध है ऐसा नहीं किया गया है।

(ग) इन संस्थाओं के कर्मचारी रेलों के कर्मचारी नहीं हैं और वे उन्हें उपलब्ध होने वाली रियायतों और सुविधाओं के अधिकारी नहीं हैं। न यह संस्थाएँ अर्द्ध रेलवे निकाय हैं और न उसके साथ इस

प्रकार व्यवहार करने का कोई आधार है।

त्रिपुरा में सड़कों का निर्माण

१४८०. श्री बीरेन दत्त: क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सन् १९५२-५३ में सड़कों के कोई अनुभवी इंजीनियर त्रिपुरा गये थे ; और

(ख) क्या त्रिपुरा के पहाड़ी क्षेत्रों की विभिन्न सड़कों के निर्माण के सम्बंध में विशेषज्ञों की राय ली गई थी ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) जी हां, जनवरी १९५२ में।

(ख) यातायात मंत्रालय के सड़क निर्माण संगठन ने समूचे त्रिपुरा राज्य में सड़कों के निर्माण के सम्बंध में विशेषज्ञों की राय ली है।

विमान के ईधन के सीमा शुल्क पर छूट

१४८१. श्री ए० एन० विद्यालंकार: क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रथम मार्च, १९४९ से आजतक विमान के इँधन के सीमाशुल्क में प्रत्येक वर्ष कितनी छूट की गई है।

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): कदाचित माननीय सदस्य विमान कम्पनियों को पेट्रोल उपभोग के आधार पर स्वीकृत की गई सहायता की ओर निर्देश कर रहे हैं। प्रथम मार्च, १९४९ से ३१ मार्च १९५३ की अवधि तक देश की भीतरी उड़ान के लिये प्रयुक्त पेट्रोल की मात्रा के आधार पर दी गई कुल सहायता बतलाने वाला एक विवरण सदन पटल पर प्रस्तुत कर दिया गया है।

विवरण

देश की भीतरी उड़ान के लिये भारतीय वायुयान चालकों को उनके द्वारा उपयुक्त पेट्रोल के आधार पर प्रथम मार्च १९४९ से ३१ मार्च १९५३ तक दी गई सहायता की कुल निधि।

वर्ष	सहायता की निधि
	रु०
१९४९–५०	२८,६७,२३४
१९५०–५१	६७,३१,१२१
१९५१–५२	४२,९९,३७९
१९५२–५३	३५,६९,०७२
कुल योग	१,७४,६६,८०६

वायुयान द्वारा भेजी जाने वाली डाक

१४८२. श्री ए० एन० विद्यालंकार: क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९४५ से १९५२ तक प्रति वर्ष विमान कम्पनियों को डाक ले जाने के लिये दी गई निधि ;

(ख) उक्त अवधि में डाक ले जाने के लिए दी गई रकम की गणना किन दरों पर की गई थी ;

(ग) दरों का निष्कर्ष किस प्रकार स्थापित किया गया था ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) से (ग) आवश्यक जानकारी सदन पटल पर प्रस्तुत कर दी गई है। [**देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ९**]

मधु मक्खी पालन उद्योग

१४८३. श्री बुच्चिकोटैय्या: क्या **खाद्य तथा कृषि** मत्री दिनांक १६ अप्रैल, १९५३ को पूछे गये मधुमक्खी पालन उद्योग से सम्बन्धित तुष्पांकित प्रश्न संख्या १३५५

के उत्तर की ओर निर्देश करने की कृपा करेंगे और बतलायेंगे :

(क) मधुमक्खी पालन की भारतीय परिषद की शासी निकाय ने इस विषय में कौन से प्रस्ताव उपस्थित किये हैं;

(ख) सरकार किस तरह इन प्रस्तावों को क्रियान्वित कर रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) यह विदित है कि मधुमक्खी पालन की भारतीय परिषद की शासी निकाय (अशासकीय निकाय) ने अपनी मार्च १९५३ की बैठक में निम्न प्रस्ताव उपस्थित किये थे :—

१. छः महीने के लिये एक प्रबन्धकर्ता की नियुक्ति जिस का वेतन २०० रु० मासिक से अधिक न हो और जो मधुमक्खी पालन के सम्बन्ध में विशेषतः परिषद के सदस्यों को अनुदेश एवं मार्गप्रदर्शन करेगा ।

२. विभिन्न मंत्रालय—श्रम, शिक्षा और कृषि मंत्रालय से अपने क्षेत्र में मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के संबंध में सामीप्य स्थापित करना ।

(ख) भारत सरकार को परिषद से अभी तक कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रकृष्ट कृषि कार्य योजनाएं

१४८४. श्री के० सी० सोधिया : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्र-प्रशासित क्षेत्रों की वर्तमान धनी कृषिकार्य योजनाओं का क्या स्वरूप है ?

(ख) ये योजनायें मुख्यतः किन क्षेत्रों में संचालित की जा रही हैं ?

(ग) चालू वर्ष में प्रत्येक पर कितना विस्तृत व्यय किया गया है ?

(घ) चालू वर्ष के बजट पत्रों में इन योजनाओं के सम्बन्ध में विस्तृत ब्यौरा क्यों नहीं दिया गया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) अन्य क्षेत्रों की भांति केन्द्र-प्रशासित क्षेत्रों की धनी कृषि योजनायें प्रायः निम्न वर्गों के अन्तर्गत आती हैं :—

(१) कृषि योजनायें ।

(२) भूमि सुधार योजनायें ।

(३) उर्वरक, खाद और बीजों का वितरण ।

(४) फसल संरक्षण, फसल प्रतियोगिता, मीन, कृषि और प्रकाशन आदि विविध योजनायें ।

(ख) ये योजनायें उन चुने हुए क्षेत्रों में चलाई जा रही हैं जहां निश्चित वर्षा अथवा सिंचाई आदि प्राकृतिक सुविधायें हैं ।

(ग) 'स' श्रेणी के राज्यों के सम्बन्ध में 'अधिक अन्न उपजाओ' योजनाओं के चालू वर्ष के कार्यक्रम को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(घ) 'स' श्रेणी तथा 'अ' और 'ब' श्रेणी के राज्यों की 'अधिक अन्न उपजाओ' योजनाओं के सम्बन्ध में एक राशि रकम के आधार पर और अनुदानों के लिये केन्द्रीय मांग में सम्मिलित वार्षिक केन्द्रीय नियतन किया जाता है। प्रत्येक राज्य की व्यक्तिगत योजनाओं की जांच की जाती है और इस बन्धान में से पूर्व वित्तीय वर्ष की समाप्ति के लगभग से आगे तक के लिये वार्षिक स्वीकृति दी जाती है ।

पश्चिम रेलवे के रेल के डिब्बों में पंखे और बिजलियां

१४८५. श्री सी० भट्ट : (क) क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पश्चिम रेलवे के तीसरी श्रेणी के डिब्बों

में पंखों और बिजली की व्यवस्था के लिये कुल कितनी रकम निर्धारित की गई है ?

(ख) अभी तक इस में से कितनी रकम व्यय की जा चुकी है ?

(ग) कितनी गाड़ियों में और किन विभागों पर पंखे और बिजलियां लगा दी गई हैं ?

(घ) क्या अंकलेश्वर-राजपीपला मार्ग पर चलने वाले तृतीय श्रेणी के डिब्बों में पंखे और बिजलियां लगाये गये हैं ?

(ङ) यदि नहीं तो उन के कब तक लगाये जाने की व्यवस्था है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). तीसरी श्रेणी के डिब्बों में पंखों के लिये अलग निधि की व्यवस्था नहीं की गई है । बजट में यात्री सुविधाओं के लिये निर्धारित की गई रकम से ही इस कार्य की पूर्ति की जाती है । तृतीय श्रेणी के डिब्बों में पंखे लगाने के लिये व्यय की गई निधि के पृथक आंकड़े नहीं हैं ।

(ग) पश्चिमी रेलवे के तृतीय श्रेणी के ५५५ डिब्बों में पंखे लगा दिये गये हैं । प्रत्येक विभाग की पृथक सूचना प्राप्य नहीं है ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) सन् १९५३-५४ के चल स्कंध आयव्ययक में इस विभाग में बिजली और पंखे लगाने की व्यवस्था की गई है ।

हिन्दी तार

१४८६. श्री एच० जी० वैष्णव : (क) क्या **संचरण** मंत्री हैदराबाद राज्य के उन तारघरों के नाम बतलाने की कृपा करेंगे जहां पर हिन्दी में तार भेजने और प्राप्त करने की नवीनतम व्यवस्था की गई है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) हैदराबाद और सिकंदराबाद में ।

(ख) २६ । केन्द्रों के नाम सदन पटल पर प्रस्तुत विवरण पत्र में दिये गये हैं । **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या १०]**

हैदराबाद से जुआर का निर्यात

१४८७. श्री एच० जी० वैष्णव : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) आगामी दो महीनों में हैदराबाद राज्य से बाहर भेजने के लिये स्वीकृत की गई जुआर की मात्रा; तथा

(ख) यह जुआर किन राज्यों को और किस भाव पर भेजी जायगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) पुरानी और नई जुआर मिलाकर लगभग ४०,००० टन जुआर ।

(ख) जुआर बम्बई, मद्रास और मैसूर भेजी जायगी । कीमत ९ रु० १२ आ० ६ पा० से ११ रु० ८ आ० ९ पा० के बीच में अनाज की किस्म पर निर्भर है ।

देहरादून में हवाई आड्डे का निर्माण

१४८८. श्री रघुनाथ सिंह : (क) **संचरण** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार देहरादून में हवाई अड्डा बनाने का विचार करती है ?

(ख) यदि हां, तो वह योजना कब तक कार्यान्वित की जायेगी ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं; श्रीमान् ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता है ।

राष्ट्रीय राजपथ

१४८९. श्री जोशिम अल्वा) : (क) क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या राष्ट्रीय राजपथों की योजना में उत्तर कनारा जिले का भी उल्लेख है ?

(ख) सरकार के पास उत्तर कनारा जिले को राष्ट्रीय राजपथ से कब मिलाने की योजना है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं ।

(ख) इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

पूर्वोत्तर रेलवे पर दुर्घटनायें

१४९०. श्री रघुनाथ सिंह : क्या रेल मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी १९५३ से अप्रैल १९५३ तक पूर्वोत्तर रेलवे पर रेल के पटरी से उतर जाने के कारण कितनी दुर्घटनायें हुई हैं ;

(ख) इन में से कितनी दुर्घटनायें पटरी की खराबी से और कितनी रेलवे कर्मचारियों की असावधानी के कारण हुईं; तथा

(ग) क्या सरकार ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिये कुछ विशेष प्रबन्ध करना सोच रही है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : विशेष जानकारी संग्रहीत की जा रही है और तैयार होने पर प्रस्तुत कर दी जायगी ।

उर्वरक

१४९१. श्री पी० सी० बोस : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९५०, १९५१ और १९५२ में उर्वरक की भांति कितना अमोनियम सलफेट (तिक्तातु शुल्बीय) प्रयुक्त किया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि इस उर्वरक की मांग कुछ राज्यों में विशेष रूप से कम हो रही है; और

(ग) यदि ऐसा है तो उस के क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : प्राप्य जानकारी के अनुसार गत तीन वर्षों में निम्न मात्रा में अमोनियम सलफेट उर्वरक की भांति काम में लिया गया :—

वर्ष	मात्रा (टनों में)
१९५०	२,८५,११४,०८
१९५१	२,५९,२१७,०१
१९५२	२,२७,२०७,८०

(ख) और (ग) विभिन्न राज्यों तथा वाणिज्यकीय हितों द्वारा गत तीन वर्षों में काम में लिये गये अमोनियम सलफेट की मात्रा का विवरण सदन पटल पर प्रस्तुत कर दिया गया है । यह उल्लेखनीय है कि राज्यों में सन् १९५१ में इसकी मांग में वृद्धि हुई थी किन्तु सन् १९५२ में कुछ राज्यों में इस की मांग कम हो गई । मांग की न्यूनता के मुख्य कारण वर्षा की कमी और उर्वरक के मूल्य में वृद्धि होना है ।

कृष्णा नदी पर नियंत्रक-एवं सड़क का पुल

१४९२. श्री बुच्चिकोटैय्या : यातायात मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) कि क्या मद्रास की राज्य सरकार से कृष्णा अनीकट नदी के ऊपर नियंत्रक एवं सड़क का पुल बनाने के प्रस्ताव अचिर काल में ही केन्द्र के पास पहुंच गये हैं ?

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या उसकी प्रति सदन पटल पर रखी जायगी ?

(ग) क्या सरकार योजना को शीघ्र ही करने का विचार रखती है ?

(घ) यदि ऐसा है, तो काम कब प्रारम्भ हो जायगा ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) इन शिल्पिक प्रस्तावों को सदन पटल पर रखना आवश्यक नहीं समझा जाता ।

(ग) क्योंकि जो प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, वे पीछे सड़कों के परामर्शदाता इंजीनियर द्वारा की गई सिल्पिक आलोचनाओं को ध्यान में रख कर नहीं बनाये गये थे, और अधूरे थे, अतः मद्रास सरकार को कहा गया है कि वे इन आलोचनाओं के प्रकाश में उन की संशोधित योजनायें और प्राक्कलन और पूर्ण विस्तार के साथ पेश करें।

(घ) योजना और प्राक्कलनों के पूर्ण हो जाने के पश्चात्।

मत्स्य-पालन-अनुसंधान केन्द्र

१४९३. **श्री मुनिस्वामी** : (क) **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में कितने मत्स्य-पालन-अनुसन्धान केन्द्र हैं और उन के क्या मुख्य कार्य हैं ?

(ख) इन केन्द्रों के प्रादुर्भाव से ले कर इन पर कुल कितनी रकम खर्च हुई ?

(ग) क्या इन अनुसन्धान-केन्द्रों में कोई विदेशी विशेषज्ञ काम करते हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : राज्य सरकारों सम्बन्धी जानकारी मांगी गई है, और जब प्राप्त हो गई, तो सदन पटल पर रखी जायगी। केन्द्रीय सरकार सम्बन्धी आवश्यक जानकारी निम्न प्रकार से है।

(क) दो, अर्थात् (१) सैंट्रल इनलैंड फ़िशरीज़ रिसर्च स्टेशन, बैरकपुर (कलकत्ता) और (२) सैंट्रल मैरीन फ़िशरीज़ रिसर्च स्टशन, मण्डपप कैम्प (दक्षिण भारत)।

इनलैंड फ़िशरीज़ रिसर्च स्टेशन अपने उप स्टेशन कटक के साथ तालाबी वेला संगमीय, दरियाई, झील वाली मछलियों के पालन सम्बन्धी अनुसन्धान में लगा हुआ है, विशेषतया हिलसा, मलटस और मेजर कार्पस, अर्थात् रोह, कटला और मृगाल। मत्स्य-पालन के लिये आंगुलिक और तली हुई मेजर कार्पस के यातायात, पालन और अण्डजनन के संग्रह की कार्य विधि का भी अध्ययन किया जाता है और राज्य सरकारों के नामनिर्देशित और गैर सरकारी विद्यार्थी अन्तर्देशीय मत्स्यपालन के विकास और शासन में प्रशिक्षित किये जाते हैं।

मैरीन फ़िशरीज़ रिसर्च स्टेशन और इस के उपकेन्द्र कालीकट कारवार, कोचीन और मद्रास केन्द्र- वाणिज्यिक महत्व की सामुद्रिक मछलियों के पालन और उनके स्वभाव का अध्ययन करने के अनुसन्धान में और मछलियों की उत्पत्ति और विकास को प्रभावित करने वाले जल और जन्तु के तत्वों का अनुसन्धान करने में लगे हुए हैं।

अनुसन्धानाधीन मुख्य मछलियां ये हैं:— सिल्वर बैलीज़, परचिज़, शार्क्स रेज़, मिल्क-फ़िश, परान्ज़, सारडीन, मैकेरील, ओआए-सटरज़ और क्लैमज़ आदि।

(ख) ३१-३-१९५३ तक ३६,४७,७७२ रुपये।

(ग) जी, नहीं।

संविधान की धारा ३९ (ङ)

१४९४. **श्री बलवन्त सिंहा मेहता**: **श्रम** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि संविधान की धारा ३९ (ङ) के अधीन सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं, अथवा किये जाने का विचार है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): मजदूरों, की शक्ति और स्वास्थ्य की रक्षा के लिये, जिन में फ़ैक्ट्रियां, बाग़ात, और खानों में काम में लगे हुए बच्चे भी सम्मिलित हैं, सरकार ने विधान बनाये हैं, जैसे बच्चों की नौकरी का अधिनियम १९३८, फैक्ट्री एक्ट १९४८, कर्मचारी सरकारी बीमा का अधिनियम १९४८, बागात में श्रम का अधिनियम १९५१ और खान-अधिनियम १९५२। इन अधिनियमों के प्रभावपूर्ण लागू होने के

लिये सिपारिशें पंचवर्षीय योजना में भी हैं। नागरिकों के स्वास्थ्य के रक्षण की भी योजनायें हैं। इन के ठीक ठीक लागू होने से संविधान की धारा ३९ (ङ) के प्रथम भाग के उद्देश्य को पूरा करने में पूरी सहायता मिलेगी।

आर्थिक तत्वों को दूर करना, जो नागरिकों को अपनी आयु और शक्ति के अनुपयुक्त उपव्यवसायों में लगने को बाध्य करते हैं, और जो संविधान की धारा ३९ (क) के दूसरे भाग का उद्देश्य है, बेकारी कम होने से धीरे धीरे आ सकता है, और साधारण जनता के जीवन स्तर को उठा कर, जीवन की विभिन्न कठिनाइयों के विरुद्ध सुरक्षा का उपबन्ध कर सकता है। पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और बेकारी को कम करना है। कर्मचारी-सरकारी-बीमा अधिनियम १९४८, और कर्मचारी प्रावीडेंट फंड एक्ट १९५२ के लागू हो जाने से औद्योगिक मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिये कुछ सीमित प्रयत्न प्रारम्भ हो चुके हैं। इस प्रकार राज्य संविधान की धारा के दूसरे भाग के उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में अग्रसर हो रहा है।

गन्नवरम विमान-क्षेत्र

१४९४-क. श्री नानादास: क्या **संचारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) गन्नवरम (विजयवाड़ा) में विमान-क्षेत्र की भूमि कितनी है ;

(ख) उस में से कितनी भूमि कृषि-योग्य है ;

(ग) क्या सरकार का विचार कृषि के लिये कोई भूमि खाली करने का है; और

(घ) यदि ऐसा है तो किस हद तक और किस रूप में ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) ४९७ एकड़।

(ख) लगभग २०० एकड़।

(ग) तथा (घ). ५० एकड़ का क्षेत्र तो कृषि के लिये पट्टे पर दिया जा चुका है और १० एकड़ का क्षेत्र और भी देने का विचार है। शेष भूमि विमान-संचालन के प्रयोजनों के लिये अपेक्षित है और उसे पट्टे पर देने का कोई विचार नहीं है।

मलनाद का परिमाप

१४९४-ख. श्री जोशिम अल्वा: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण तथा उत्तर कन्नड़ जिलों, मैसूर और केरल के क्षेत्र का, जिसे मलनाद क्षेत्र कहा जाता है, कोई परिमाप आरम्भ किया है ;

(ख) यदि ऐसा है तो क्या सरकार ने मलनाद क्षेत्र के विषय में कोई विवरण तैयार किया है; और

(ग) इस क्षेत्र के सम्पत्ति-स्रोत क्या हैं और सरकार का उन से उस क्षेत्र के लोगों के हितों में कैसे लाभ उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) तथा (ख). भारत सरकार ने मलनाद क्षेत्र का कोई परिमाप नहीं किया है। १९५० में सरकार ने एक केन्द्रीय मलनाद योजना समिति मद्रास, बम्बई, मैसूर तथा कोड़गू राज्यों में स्थित मलनाद क्षेत्रों के सर्वतोमुखी विकास की योजना बनाने के लिये नियुक्त की थी। उक्त समिति की एक सिपारिश यह थी कि मलनाद की पहाड़ियों तथा गहन बनों का वैमानिक परिमाप किया जाये। भारी व्यय के कारण भारत सरकार ने समिति की सिपारिशों को पूरा करने का कार्य राज्य सरकारों पर छोड़ दिया। अब तो सभी साधन

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विविध योजनाओं पर ही लगा दिये गये हैं ।

(ग) केन्द्रीय मलनाद योजना समिति के अनुसार इस क्षेत्र में, खनिज, भूमि, जल, विद्युत तथा वन सम्पत्ति-स्रोत हैं जिन से अभी तक लाभ नहीं उठाया गया है । अभी तक इन स्रोतों के दोहन की व्यावहारिक संभावना का पता नहीं लगाया गया है । चारों राज्यों की, विशेषत: मैसूर राज्य की, पंचवर्षीय योजना में इस क्षेत्र के विकास के लिये व्यवस्था की गई है, चाहे थोड़ी मात्रा में ही ऐसा किया गया है ।

मैसूर में खाद्यान्नों का विनियंत्रण

१४९४-ग. **श्री शिवननजप्पा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि मैसूर सरकार ने मैसूर राज्य में १ मई १९५३ से खाद्य नियंत्रण हटा दिया है;

(ख) क्या मैसूर सरकार के पास आपात की परिस्थितियों के लिये पर्याप्त खाद्यान्न है ;

(ग) क्या यह तथ्य है कि हाल ही में चावल के भाव सरकारी विक्रय के भावों से कम हो गये हैं ;

(घ) खाद्यान्न भावों का रुख हाल में कैसा है ; और

(ङ) क्या खाद्य नियंत्रण हटाने को दृष्टि में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार ने चालू अंग्रेज़ी वर्ष में अपने वंटन के अनुसार खाद्यान्नों का वितरण कर दिया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) तथा (ख) हां ।

(ग) नवीनतम जानकारी मांगी गई है ।

(घ) जनवरी, फरवरी तथा मार्च १९५३ में जुवार तथा रागी के भाव गत वर्ष के नवम्बर तथा दिसम्बर के भावों से कम थे किन्तु अप्रैल में वे कुछ बढ़ गये क्योंकि जुवार तथा रागी की निकासी का यही समय है ।

(ङ) अंग्रेज़ी वर्ष के अभी चार ही मास व्यतीत हुए हैं । जितने माल का वचन दिया गया है वह वर्ष भर में दे दिया जायेगा ।

बृहस्पतिवार,
१४ मई, १९५३

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
13·3·92
Fumigated On
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

बृहस्पतिवार, १४ मई, १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे प्रातः समवेत हुई ।

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

९.२७ म० पू०

राज्य परिषद् से प्राप्त संदेश

सचिव : मुझे राज्य-परिषद् के सचिव से प्राप्त निम्न संदेश प्रतिवेदित करना है :—

"राज्य परिषद् में प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम ९७ के उपबन्धों के अनुसार मुझे इस बात का निदेश किया जाता है कि मैं दिल्ली सड़क यातायात प्राधिकार (संशोधन) विधेयक, १९५३, जो राज्य-परिषद् द्वारा १३ मई, १९५३ की बैठक में पारित किया गया है, की एक प्रति संलग्न करूं।"

दिल्ली सड़क यातायात प्राधिकार (संशोधन) विधेयक

सचिव : मैं दिल्ली सड़क यातायात प्राधिकार (संशोधन) विधेयक, १९५३, राज्य-परिषद् द्वारा पारित रूप में, सदन पटल पर रख देता हूं।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

चैम्पियन रीफ सोने की कानों, आदि में हुई दुर्घटनाओं से सम्बन्धित अधिसूचना

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : मैं ४ अगस्त, १९५२ को दी गई लिखित के अनुसार दिनांक ५ मई, १९५३ की श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एम—४५ (७)।५२, जिस में उस जांच न्यायालय की रिपोर्ट दी गई है जो १९ अप्रैल, तथा ३० जून, १९५२ को चैम्पियन रीफ़ गोल्ड माइन्ज़ तथा १९ अगस्त, १९५२ को ऊरीगाम गोल्ड माइन में हुई दुर्घटनाओं के कारणों की जांच करने के लिये नियुक्त किया गया था रिपोर्ट दी गई है, सदन पटल पर रख देता हूं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये परिशिष्ट ४, आर ५५ क (१)]**

अभाव-स्थिति जताने वाला विवरण

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): मैं १८ फरवरी, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३८ के अनुपूरकों के उत्तर में दी गई लिखतों के अनुसार उन पाक्षिक विवरणों की प्रतियों को जिन में देश के विभिन्न भागों में अभाव की स्थिति तथा उस से पैदा हुई विपत्तियों को दूर करने के उपाय दिये गये हैं सदन पटल पर रख देता हूं। **[देखिये परिशिष्ट १४, अनुबन्ध संख्या ६]**

सम्पदा शुल्क —जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन निम्नांकित प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगा :

"कि प्रवर-समिति की रिपोर्ट के अनुसार सम्पदा शुल्क के आरोपण तथा संचय को उपबन्धित करन वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

श्री वेंकटारमन् (तंजोर) : इस विधेयक में चूंकि निर्वाचक-मण्डल के उन भिन्न-भिन्न विचारधारा के सदस्यों का प्रतिनिधित्व हुआ है अतः मैं प्रवर-समिति की रिपोर्ट का पूरा समर्थन करता हूं।

इस विधेयक से सर्वप्रथम यह अभिप्रेत है कि धन के वितरण में समानता से काम लिया जायगा, और देश में प्रचलित पैतृक सम्पत्ति के विभाजन से सम्बन्धित विविध प्रणालियों द्वारा पैदा होने वाली असमानताओं को दूर किया जायेगा। इस विधेयक को इस बात पर आधारित किया गया है कि सम्पत्ति को अनन्त-काल तक एक ही जगह नहीं रहने देना चाहिये, और इसी प्रयोजन से किसी भी व्यक्ति के पास इकट्ठी हुई संपत्ति पर उसकी मृत्यु के बाद शुल्क आरोपित किया जायगा।

श्री गिडवानी (थाना) :श्रीमान्, बहुत शोर हो रहा है, हम सुन नहीं पाते।

उपाध्यक्ष महोदय : वे माननीय सदस्य जो सदन की कार्यवाही नहीं सुनना चाहते हों, कृपया शोर किये बिना बाहर चले जायें।

एक माननीय सदस्य : तब तो गणपूर्ति नहीं होगी।

श्री वेंकटारमन : संसार के सभी अर्थ-शास्त्रियों ने करारोपण की इस प्रणाली की बहुत ही प्रशंसा की है। इस में यह एक अच्छी बात है कि मनुष्य मर जाता है, और उसके जीते जी उस पर कोई बोझ नहीं पड़ता, और जिसे वह सम्पत्ति प्राप्त होती है, उसे कोई भी घाटा नहीं होता, क्योंकि उसे उस राशि पर शुल्क देना पड़ता है जो उसके पास पहले कभी नहीं थी। इसीलिये यह एक आदर्श प्रणाली है। (**डा० पी० एस० देशमुख** : ठीक मन की स्थिति जानते ही यह बात हुई है) मेरे मान्य मित्र डा० देशमुख का कहना है कि मनोवैज्ञानिक क्षण में यह बात होती है, यानी उस समय जब दायभाग की आशा हो।

सम्पदा-शुल्क आरोपण पर की जाने वाली सब से पहली आलोचना यह है कि इसमें उन अनेक उत्तराधिकारियों को शुमार नहीं किया जाता जिन्हें सम्पत्ति मिलने वाली हो, यानी उत्तराधिकारियों की आपस की दूरी और नज़दीकी पर ध्यान नहीं दिया जाता, और किसी भी व्यक्ति द्वारा दाय में प्राप्त की गई सम्पत्ति की राशि पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। सारे संसार में दाय कर के तीन भाग माने जाते हैं : पहला, मृत व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति पर सम्पदा शुल्क; दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा दायभाग में प्राप्त की जाने वाली सम्पत्ति पर लगने वाला उत्तराधिकार शुल्क; और तीसरा, वह उत्तरदान शुल्क जो उत्तराधिकारियों की नज़दीकी तथा उत्तरदान प्राप्त होने की आशा पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी दूर के सम्बन्धी को किसी का बहुत बड़ा उत्तरदान प्राप्त होगा तो वह कर के रूप में अधिक शुल्क दे सकेगा, किन्तु ये तीनों सम्पदा, उत्तराधिकार तथा उत्तरदान शुल्क अन्य देशों में एक साथ लिये जाते हैं। हम देखते हैं कि इस विधेयक में निर्धारित विमुक्ति सीमा का विरोध हो रहा है, और सदन के बहुत से सदस्य यही चाहते हैं कि विमुक्ति की सीमा को बढ़ा दिया जाय। इस सदन को इस बात का आश्वासन देना कठिन

है कि एक ही समय इन तीनों करों का आरोपण करने के लिये यही एक स्थिति ठीक है। और अब तीनों सम्पदा, उत्तराधिकार तथा उत्तरदान शुल्क एक ही साथ नहीं लिये जा सकते। देश इसके लिये तैयार नहीं है, अतः इन तीनों में से सब से आसान तरीके से लगाया जाने वाला सम्पदा शुल्क हमारे देश में करारोपण के आधार के रूप में माना गया है। और जो लोग यह कहा करते हैं कि सरकार दायभाग की राशि पर कोई भी विचार नहीं करती, वे सम्पदा शुल्क के अतिरिक्त अन्य दो यानी उत्तराधिकार तथा उत्तरदान शुल्कों को भी बुलावा देते हैं।

प्रवर-समिति के सदस्यों ने विमति-टिप्पण में जो भी आलोचना की है वह सचमुच बेतुकी है, क्योंकि वे यह सिद्ध करना चाहते हैं कि चूंकि इस देश में उत्तराधिकार शुल्क नहीं लगाया जाता अतः सम्पदा शुल्क भी नहीं लगाया जाना चाहिये। दुनिया भर के सम्पदा शुल्कों के इतिहास से यही पता चलता है कि उत्तराधिकार शुल्क तथा उत्तरदान शुल्क तो सम्पदा शुल्क के अतिरिक्त लिये जाते हैं, उसके बदले में नहीं लिये जाते।

मैं सदन से यह भी पूछना चाहता हूं कि कहां तक यह बात न्यायसंगत है कि कोई व्यक्ति बिना कर दिये ऐसी सम्पत्ति लुटाये जिसके लिये उसने कभी भी कोई श्रम नहीं किया हो। आप सभी जानते होंगे कि प्रसिद्ध इटालवी अर्थशास्त्री रिग्रानो ने कहा था कि कोई भी संपत्ति तीन पीढ़ियों से अधिक समय तक नहीं चलती रहनी चाहिये। उस ने कहा था कि पहली पीढ़ी के अन्त पर उसका एक तिहाई कर के रूप में जाये, और दूसरी पीढ़ी के समाप्त होते ही एक और तिहाई जाये तथा तीसरी की समाप्ति पर सभी सम्पत्ति राज्य के पास चली जाय। यह बात हमारे हिन्दू दर्शनों जैसी बात पर ही आधारित है। हिन्दू विधि-शास्त्र में उसी को सम्पत्ति का अधिकार प्राप्त है जो अपने पितरों का श्राद्ध-तर्पण किया करता हो, और वह श्राद्ध-तर्पण भी तीन पीढ़ियों तक चलता है। अतः परिवारों के पास निरन्तर रूप से सम्पत्ति रहने की परम्परा पर रोक लगाने के लिये सम्पदा शुल्क ही एक न्यायसंगत करारोपण-विधि है।

श्री वैलायुधन (क्विलोन व मावेलिक्करा रक्षित-अनुसूचित जातियां) : सदन में शोर हो रहा है : हम सुन नहीं पाते।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया शान्तिपूर्वक बैठ जायें।

श्री वेंकटारमन् : अगला प्रश्न यह है कि विमुक्ति सीमा क्या होनी चाहिये ? कई लोग इंग्लैण्ड के २००० पौंड के मुकाबले में २५,०००) रुपये की सीमा बांधते हैं, और कई लोग अमरीकी कानून का हवाला देते हुए यह कहते हैं कि १००,००० डालर के मुक़ाबले में लगभग ५ लाख रुपये की विमुक्ति सीमा होनी चाहिये। अन्य देशों की विमुक्ति सीमा का निर्देश करना बिल्कुल बेकार है। यह सब जीवन के आर्थिक स्तर पर निर्भर करता है। अतः प्रवर समिति ने ५०,०००) रुपये की जो विमुक्ति सीमा बांध रखी है, यह उचित एवं न्यायसंगत है। कई ऐसे भी हैं जो १ लाख की सीमा बताते हैं और कहते हैं कि इस करारोपण से मध्य वर्ग बर्बाद हो जायेगा। मैं सदन से इस मध्य वर्ग की परिभाषा मांगना चाहता हूं। यह शब्द सभी देशों में एक ही अर्थ नहीं रखता। वास्तव में यह एक सापेक्ष शब्द है, जो भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न प्रकार का अर्थ रख सकता है; इस सारे का दारोमदार अर्थस्थिति पर है। भारत में उसी को मध्य-वर्गीय माना जायेगा जिस के पास एक लाख

[श्री वेंकटारमन्]

की रक़म नहीं हो। भारत में १ लाख की सम्पत्ति वाला व्यक्ति धनी समझा जायेगा अतः देश की आर्थिक स्थिति को दृष्टि में रखते हुये प्रवर समिति ने उचित काम किया कि ५०,०००) रुपये की विमुक्ति-सीमा निर्धारित की। जो व्यक्ति इस सीमा को १ लाख तक पहुंचाना चाहते हैं, वह धनियों को इस कर से विमुक्ति दिलाना चाहते हैं।

इसके बाद यह प्रश्न प्रस्तुत होता है कि इस विमुक्ति सीमा को निर्धारित करने के बाद इस देश में हिन्दू संयुक्त परिवारों में दायभाग के बटवारे की मिताक्षर तथा दायभाग प्रणालियां क्या हैं। कई लोगों ने इस बात पर ज़ोर दिया था कि दायभाग परिवारों में कर का बहुत भार पड़ेगा और मिताक्षर परिवारों पर इसका इतना बोझ नहीं पड़ेगा। अब आप इस स्थिति को देख लीजिये। मान लीजिये कि किसी मिताक्षर हिन्दू संयुक्त परिवार में एक पिता के तीन लड़के हैं, और एक समय आता है जब एक कनिष्ठ सदस्य मर जाता है। तो, यदि वह आयु में १८ वर्ष से अधिक हो, तो उस संयुक्त हिन्दू परिवार को कर देना पड़ेगा। अब ऐसे ही एक दायभाग परिवार को लीजिये। यदि इनके वहां कोई कनिष्ठ सदस्य मर जाय, तो उन्हें इस कानून के अधीन कर नहीं देना पड़ेगा। अब दायभाग प्रणाली के परिवार इस घाटे पर बहुत विचार करेंगे कि मिताक्षर परिवार में यदि कोई कनिष्ठ सदस्य मरा तो कर लगा और यदि दायभाग परिवार में कोई कनिष्ठ सदस्य मरा भी तो कर नहीं लगा। यह भी बतलाया जा सकता है कि परिवार के सब से बड़े सदस्य के ही पहले मर जाने की सम्भावना है। तो यह कहना कठिन है कि कौन पहले मरेगा। किन्तु यदि आप ३० वर्ष की पीढ़ी में दायभाग परिवारों तथा मिताक्षर परिवारों में हुई मृत्युओं को लें तो आप को समान अनुपात मिलेगा, क्योंकि ये दोनों न्यूनाधिक रूप में एक ही वर्ग के लोगों में हैं।

श्री सी० डी० पांडे (ज़िला नैनीताल व ज़िला अलमोड़ा—दक्षिण पश्चिम व ज़िला बरेली—उत्तर) : क्या मैं यह स्पष्ट कर दूं कि एक मिताक्षर परिवार में भी १८ वर्ष से कम की मृत्युओं पर कोई दायकर नहीं लगेगा ?

श्री वेंकटारमन् : यही तो मैंने प्रारम्भ में भी कहा।

श्री हेडा (निज़ामाबाद) : आपने कनिष्ठ सदस्य का कहा है।

श्री वेंकटारमन : कर्ता के बिना अन्य सभी सदस्य कनिष्ठ सदस्य हैं। मैंने कानूनी भाषा में कहा था, और मुझे इस बात का संदेह है कि मुझे अच्छी तरह से समझा नहीं गया है। कनिष्ठ सदस्य से छोटे यानी नाबालिग़ सदस्य का अभिप्राय नहीं है।

श्री हेडा : आप समांशी कह सकते थे।

श्री वेंकटारमन् : कनिष्ठ सदस्य वह है जो परिवार का मुखिया नहीं है, न तो कर्ता है। मेरा यह कहने का अभिप्राय है कि दायभाग परिवार तथा मिताक्षर पर एक-सा प्रभाव पड़ता है।

डा० एम० एम० दास (बर्दवान-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : नहीं।

श्री वेंकटारमन् : केवल 'नहीं' कहने से यह बात सिद्ध नहीं होती। पुष्ट प्रमाण दीजिये। अवश्य ऐसा समय आयेगा जब मेरे मित्र डा० एम० एम० दास इस बात के अधिक अच्छे तर्क दे सकेंगे कि दायभाग परिवार पर इसका और भी अधिक बोझ है।

अब मैं विमुक्ति के प्रश्न पर बोलूंगा। इस विधेयक में बहुत ही अधिक स्वतन्त्रता दी गई है। वित्त मंत्री जी ने विमुक्ति के दसों मामलों का विस्तार देकर यह बतलाया कि १६५०० रुपये की सीमा रहेगी। मैं समझता हूं कि उन्होंने उन माता पिताओं से बहुत ही अधिक उदारता बरती जिनकी कोई लड़कियां नहीं थी। यदि आप दो कथाओं के लिये व्यवस्था निर्धारित करें, तो अबिकाऊ पुस्तकों, पहनने के कपड़ों तथा सरकार को दिये गये सम्पदा शुल्क के बीमे, आदि को छोड़ कर लगभग २१,००० रुपये तक की विमुक्ति राशि बन सकेगी। अतः एक बहुत बड़ी मात्रा में विमुक्ति हुई है। यदि आप विमुक्तियों के उदाहरण देना शुरू करें तो आप विधेयक के इस खण्ड का खण्डन करेंगे जिसमें मिताक्षर परिवार के लिये ५०,००० रुपये तथा दायभाग परिवार के लिये ७५,००० रुपये की विमुक्ति सीमा रखी गई है। तो यदि आप विमुक्ति-सीमा के अन्तर्गत राशि को बढ़ाना चाहते हों तो खण्ड ३४ के अन्तर्गत मांग कीजिये। किन्तु लोग इस बात के लिये भी तयार नहीं थे क्योंकि वे व्यक्तिगत वस्तुओं, घरेलू मेज़-कुर्सी, धनधान्य, निर्धन नौकरों या सम्बन्धियों को दान, आदि के सम्बन्ध में लोगों की भावनाओं को सान्त्वना देना चाहते थे। आप दोनों स्थितियों से लाभ नहीं उठा सकते, हां, जब तक आप यह नहीं कहते कि यह विधेयक इतना बेकार बनाया जाना चाहिये कि ५ लाख रुपये से अधिक सम्पत्ति के लोगों से ही कर प्राप्त किया जाना चाहिये, तब तक आप विमुक्ति-सीमा बढ़ा नहीं सकते।

खण्ड ३२ पर बोलते समय मैं इस एक और विषय पर बोलना चाहता हूं कि लोगों के उद्गारों को इस तरह उकसाया जा रहा है कि रहने का मकान दायकर से विमुक्त होना चाहिये। यह निवास का मकान ५०० रुपये से ५ या ५० लाख रुपये तक का हो सकता है। और बड़े बड़े राजकुमारों के मकान तो करोड़ों रुपयों के हो सकते हैं। और यदि आप यह कहें कि रहने के मकानों को विमक्त किया जाना चाहिये तो उस का यह अभिप्राय होगा कि आप सब से अधिक धनी वर्ग को विमुक्ति दिला रहे हैं। इस तरह आप उस वर्ग को शान्त कर रहे हैं जिन्हें इस विधेयक में फंसाये जाने का हमारा अभिप्राय है। लेकिन इस में कोई भी तर्क नहीं दीखता। आप खण्ड ३४ में विमुक्ति सीमा को कम कर सकते हैं—यानी ३५,००० रुपये पर निर्धारित करके, मकान का मूल्य १०,००० रुपये तक का रख सकते हैं। किन्तु खण्ड ३४ में आप ५०,००० रुपये की सीमा बांध कर खण्ड ३२ के अन्तर्गत रहने के मकानों पर शुल्क-विमुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक सदन ऐसी बात नहीं कहता तब तक मैं इस से सहमत नहीं हूं कि इस तरह की विमुक्ति दी जानी चाहिये। यह तो कर देने से बच जाने का एक छलमात्र है।

अब मैं, इस के कुल जोड़ पर पहुंचा। जहां तक करों के कुल जोड़ का प्रश्न है हमें यह एक हित कर नियम के रूप में मिलता है कि खण्ड ३२ के अन्तर्गत हम सभी विमुक्तियों को कर की दर का अनुमान लगाने के लिये जोड़ा जायेगा किन्तु कर लगाने के समय उसे अलग रखा जायेगा। यह एक अच्छा सिद्धान्त है जिसे और जगहों में भी स्वीकार किया गया है। श्री वल्लातरास ने बतलाया कि ४९,९९९ रुपये की सम्पत्ति पर कर तो नहीं लगता किन्तु ५०,००१ रुपये की सम्पत्ति पर कर लगता है। मुझे सन्देह है कि उन्होंने इस विधेयक को नहीं समझा है। विधेयक में बताया गया है कि कर की गणना करते समय ५०,००० रुपये की यह विमुक्त राशि बिल्कुल छोड़ दी जायेगी, और बाद में १ रुपये पर कर लगाया जायेगा। स्लैब (अतिरिक्त

[श्री वेंकटारमन्]

राशि) प्रणाली तथा स्टैप (क्रमबद्ध) प्रणाली के बीच का अन्तर समझना होगा । यदि हम क्रमबद्ध प्रणाली से चलते तो हमें ५०,००१ रुपये पर कर देना पड़ता, किन्तु हम ने स्लैब प्रणाली अपनाई है अतः विमुक्ति-सीमा के अतिरिक्त राशि पर कर देना होगा । यह तो एक हितकर सिद्धान्त है ।

हां, कृषि-सम्पत्ति के सम्बन्ध में एक भिन्न ढंग से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि बाज़ार की कठिनाई तथा भारत के कृषिप्रधान देश होने के कारण हम इसे बेच नहीं सकते ।

इसके लिये यह सुझाव दिया गया था कि जहां तक कृषि-सम्पत्ति का सम्बन्ध है, विमुक्ति की सीमा बढ़ा दी जाय । इस समस्या को हल करने के दो ही ढंग हैं: एक तो यह कि विमुक्ति की सीमा बढ़ा दी जाय और या कृषि-सम्पत्ति पर शुल्क की दर अन्य प्रकार की सम्पत्ति पर शुल्क की दर से कम कर दी जाय । मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि कर लगाने का विधेयक रखते समय कृषि सम्पत्ति पर कर की दर कम रखें ।

इस का कारण यह है कि अधिकतर व्यक्तियों का निर्वाह कृषि पर है ।

डा० एम० एम० दास : इतनी अधिक भूमि वाले किसानों की संख्या कितने प्रतिशत है जिन पर कर लगाना पड़ेगा ?

श्री वेंकटारमन् : भिन्न भिन्न स्थानों में यह संख्या अलग अलग है । मेरे ज़िले में ऐसे किसानों की संख्या बहुत है ।

श्री सी० डी० पांडे: इसीलिए आप उनके विरुद्ध हैं ।

श्री वेंकटारमन् : विधेयक के मुख्य उपबन्ध यही हैं जिन से साधारण नागरिकों का सम्बन्ध है । आप यह पूछ सकते हैं कि इसमें ६२ खण्ड क्यों हैं जो बड़े उलझावपूर्ण वाक्यों से भरे पड़े हैं ? इस का उत्तर यह है कि ये खण्ड इसलिए रखे गए हैं कि कोई इस शुल्क से बच न सके । कोई व्यक्ति यदि ऐसा करना चाहे तो वह अपनी सम्पत्ति का बड़ा भाग किसी को भेंट के रूप में दे सकता है, कोई प्रन्यास बना सकता है या कोई व्यक्तिगत या सार्वजनिक कम्पनी खोल सकता है । ऐसे तरीकों से शुल्क से बचने को रोकने के लिये ही इतने जटिल खण्ड रखे गए हैं, जहां तक भेंट का सम्बन्ध है, किसी ऐसी भेंट पर कर नहीं छोड़ा जायगा जो मृत्यु से दो वर्ष से कम पहले दी गई हो । इस प्रकार कोई बनावटी भेंट नहीं दे सकेगा । यही बात कम्पनी बनाए जाने के सम्बन्ध में है । खण्ड १० से ३० तक इसीलिए रखे गए हैं कि कोई यह शुल्क देने से बच न सके ।

यह कहा गया है कि बीमे में लगाए गए धन पर यह शुल्क न लिया जाय । प्रवर समिति में भी इसी बात के पक्ष में साक्ष्य दिया गया था । यदि उस ने मृत्यु से दो वर्ष पहले बीमे की पालिसी किसी और के नाम करा दी हो तब तो यह भेंट मानी जायगी और यदि न कराई हो तो उसका रुपया उसी की सम्पत्ति गिना जायगा । यदि आप बीमे की सम्पत्ति को शुल्क से विमुक्त करना चाहते हैं तो इसे भेंटों सम्बन्धी खण्ड के अधीन रखिए; अर्थात् यह मृत्यु से दो वर्ष पहले किसी और के नाम कर दी गई हो ।

इस प्रश्न पर भी मतभेद है कि केन्द्रीय राजस्व बोर्ड को ही अपील न्यायाधिकरण बनाया जाय या इस काम के लिए अलग अपील न्यायाधिकरण हो । मेरा विचार तो

यह है कि केन्द्रीय राजस्व बोर्ड को ही यह काम सौंप देना चाहिए क्योंकि यहां कानून के निर्वचन का उतना काम नहीं होगा जितना कि सम्पत्ति का मूल्य आंकने का। श्री अय्यर ने प्रवर समिति के सामने अपने साक्ष्य में कहा था कि केन्द्रीय राजस्व बोर्ड इतना उदार रहा है कि किसी अपील न्यायाधिकरण से उतनी उदारता दिखाने की आशा नहीं की जा सकती। इस लिए इस कानून की प्रारम्भिक अवस्थाओं में तो केन्द्रीय राजस्व बोर्ड ही रहना चाहिए क्योंकि न्यायाधिकरण को तो कानून के क्षेत्र में ही रहना पड़ेगा। जबकि बोर्ड यह कह सकता है—"कानून का तात्पर्य तो यही है परन्तु इस मामले की परिस्थितियों को देखते हुए करदाता को कुछ अनुतोष देना चाहिए।"

डा० एम० एम० दास : क्या इस से पक्षपात तथा परिवार पोषण नहीं होगा ?

श्री वेंकटारमन : यह तो सभी जगह हो सकता है। मानवीय प्रकृति तो सभी स्थानों में एक जैसी है। अच्छे और बुरे आदमी तो सभी जगह पर हैं परन्तु यदि आप इस पूर्वधारणा को लेकर चलते हैं, जैसा कि आप को करना चाहिए, कि सामान्यतया लोग ईमानदारी से काम करेंगे तो आप को यह देखना होगा कि केन्द्रीय राजस्व बोर्ड तथा अपील न्यायाधिकरण—इन दोनों में से कौन उपयुक्त होगा। इस बात से कई बार भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि कार्यपालिका तथा न्यायपालिका, दोनों अलग अलग होनी चाहिए। परन्तु जहां आप को कर का आरोपन तथा संग्रह जैसा प्रशासन सम्बन्धी कार्य करना हो, वहां इन दोनों को अलग अलग रखना कठिन है, यह काम तो ऐसे व्यक्ति अधिक भली प्रकार कर सकते हैं, जो केवल कानून को ही नहीं देखते बल्कि जो न्यायसंगति तथा वस्तुस्थिति को भी देखते हों। मैं किसी अपील न्यायाधिकरण की निन्दा नहीं कर रहा हूं। आय कर के अपील न्यायाधिकरण को लीजिए। कई मामलों म उस न्यायाधिकरण का मत यह रहा है कि करदाता को कुछ अनुतोष मिलना चाहिए परन्तु यह दिया नहीं जा सकता क्योंकि कानून के उपबन्ध ही ऐसे हैं। इसलिए यही उचित है कि इस शुल्क के लिए केन्द्रीय राजस्व बोर्ड को ही अपील सुनने का प्राधिकार दिया जाय।

इस सम्बन्ध में भी मतभेद है कि किसी व्यक्ति की उत्तराधिकारी बनने के बाद मृत्यु हो जाय तो उस की सम्पत्ति पर यह शुल्क कब लगना चाहिए। कई देशों में ऐसी मृत्यु के केवल पांच वर्ष बाद ही शुल्क लिया जा सकता है परन्तु प्रश्न यह है कि हमारे देश के लिए क्या उचित है ? इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मिताक्षर तथा दाय भाग पद्धतियां के अधीन १८ वर्ष से कम आयु के व्यक्ति से सम्पदा शुल्क नहीं लिया जाता और १८ वर्ष से कम आयु के व्यक्ति सम्पत्ति के वास्तविक स्वामी नहीं हो सकते, मुझे इस बात का कोई कारण नहीं दिखाई देता कि ५ वर्ष की अवधि क्यों रखी जाय।

श्री बर्मन (उत्तर बंगाल—रक्षित-अनुसूचित जातियां) : श्री वेंकटारमन् कहते हैं कि यदि "दायभाग" परिवार में अवयस्क व्यक्ति की मृत्यु हो जाय तो करारोपण खण्ड लागू नहीं होगा। मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि यदि ऐसा व्यक्ति अंशभागी हो और सम्पति का मालिक हो तो उस पर कर लगेगा।

श्री वेंकटारमन् : यही तो बात है। यदि उसे सम्पत्ति के स्वामित्व का अधिकार हो तो कर लगेगा चाहे वह "दायभाग" परिवार का सदस्य हो या "मिताक्षर" परिवार का। बाप बेटों के एक परिवार को लीजिए। प्रत्येक की मृत्यु के बाद सम्पत्ति पर कर नहीं लगेगा बल्कि उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद कर लगेगा।

[श्री वेंकटारमन्]

जो सम्पत्ति का स्वामी हो । इस बात को देखते हुए कि बरसों से इस देश में सम्पत्ति पर कर नहीं लगा है, मेरा विचार है कि और कोई विमुक्ति नहीं दी जानी चाहिए । करारोपण जांच समिति ने १९२६ में ही ऐसे कर की सिफारिश कर दी थी ।

कुछ लोग तो चाहते हैं कि इस विधेयक में इतने संशोधन रखे जायं कि इन का प्रभाव ही समाप्त हो जाय । श्री किलाचन्द ने जो विमति-पत्र लिखा है, उसमें इतनी विमुक्तियों को मांग की गई है कि उन को जोड़ा जाय तो यह विधेयक ही नहीं रहेगा ।

मेरा विचार है कि हमें इस विधेयक का प्रभाव कम नहीं करना चाहिए । विभिन्न दृष्टिकोणों से ऐसे खण्ड तैयार किए गए हैं कि इन से लोग सन्तुष्ट होंगे । मैं इस का पूरा पूरा समर्थन करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : पण्डित ठाकुर दास भार्गव ।

प्रो० डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) : श्रीमान् क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि भाषणों के लिए कोई समय निश्चित है ?

श्री सी० डी० पांडे : ३० मिनट ।

उपाध्यक्ष महोदय : विचार के लिए पांच दिन रखे गए हैं । अब तक १६ सदस्यों ने बोलने की इच्छा प्रकट की है । इनकी संख्या बढ़ेगी ही ।

श्री धुलेकर (ज़िला झांसी दक्षिण) : प्रवर समिति के सदस्य ही सारा समय ले लेंगे तो अन्य लोगों को बोलने का अवसर नहीं मिलेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सहमत हूं ।

श्री सी० आर० इय्युनी (त्रिचूर) : मेरा सुझाव यह है कि प्रवर समिति के सदस्यों को वाद विवाद के अन्त में बोलने का अवसर दिया जाय । पहले उन लोगों को बोलने दिया जाय जिन्होंने इस विधेयक के सम्बन्ध में अभी तक कुछ नहीं कहा है ।

श्री सी० डी० पांडे : श्रीमान्, मैं प्रवर समिति का सदस्य था । इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने से पहले जब इस पर विचार हुआ था तो मुझे प्रवर समिति का सदस्य होने के कारण ही बोलने नहीं दिया गया था । मैंने एक विमति पत्र लिखा था । अब मुझे बोलने का अवसर न मिला तो मैं विमति पत्र का समर्थन नहीं कर सकूंगा ।

श्री नामधारी : श्रीमान्, मेरा भी यही निवेदन है कि पहले उन लोगों को अवसर दिया जाय जो प्रवर समिति के सदस्य नहीं थे ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रकार तो कुछ ही लोग बोल सकेंगे, इसलिए साधारणतया १५ मिनट से अधिक कोई न ले । कोई किसी दल का प्रवक्ता हो तो वह अधिकाधिक २०—२५ मिनट बोल सकता है ।

मेरा विचार है कि प्रवर समिति में विमति पत्र देने वाले सदस्यों को यह बतलाने का अवसर ज़रूर मिलना चाहिए कि वे समिति द्वारा अपनी बात क्यों स्वीकार नहीं करवा सके । अब मैं उन सदस्यों को बोलने का अवसर दूंगा जो प्रवर समिति के सदस्य नहीं थे और जिन्हें पहले बोलने का समय नहीं मिला । परन्तु यह ध्यान रहे कि पांच-सौ के पांच सौ सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं मिल सकता ।

श्री धुलेकर : श्रीमान् मैं प्रार्थना करूंगा कि आप मुझे कुछ समय दीजिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समय को यथा-सम्भव सब में बाटूंगा परन्तु यदि किसी

को समय न मिले और उसे यह महसूस हो कि उसे कोई नई बात कहनी हो, तो वह मुझे बता सकता है। माननीय वित्त मंत्री अवश्य ही विभिन्न दृष्टिकोण जानना चाहेंगे।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : हमें इस सम्बन्ध में कड़ाई नहीं करनी चाहिए। सभी सदस्यों को अवसर मिलना चाहिए। वे प्रवर समिति के सदस्य हों या न हों। इस बात को ठीक ठीक समझना चाहिए कि माननीय सदस्य इस विषय पर कैसा योगदान दे सकते हैं। केवल इसलिए उन से बोलने का अवसर नहीं छीनना चाहिए कि वे प्रवर समिति के सदस्य हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस बात से सहमत हूं। मैं यथा सम्भव सभी सदस्यों को समय दूंगा जिससे कि विभिन्न दृष्टिकोण सदन के सामने रखे जा सकें।

कल सदन स्थगित रहेगा। ढाई दिन अब और ढाई दिन तक बाद में हम इस पर विचार करेंगे।

माननीय सदस्य कृपया समय का ध्यान रखें।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं उन खुश किस्मत आदमियों से नहीं हूं जो कि सेलेक्ट कमेटी में थे और जिन्होंने वहां पर अपना कन्ट्रीब्यूशन किया। लेकिन ताहम मैं ज़रूरी समझता हूं कि इस ऐस्टेट ड्युटी बिल के मुताल्लिक वाकयात पर जो मेरा ख्याल है उसे जाहिर करूं।

जनाब वाला, यह बिल तकरीबन छः साल से लटकता आ रहा है और इस के बनाने में सरकार को बहुत सी दिक्कतें पेश आईं। सब से अव्वल सवाल जो दिक्कत तलब था जिस की वजह से जो पहली टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी बैठी थी, बावजूद उस की इस बात के होने के कि कोई ऐक्ट हिन्दुस्तान बनाया जाय जिस से कि कोई डेथ ड्यूटी लगाई जा सके, उस के रास्ते में जो दिक्कत थी वह यह थी कि जो हिन्दू लॉ के प्रिंसिपल थे वह उस के रास्ते में रुकावट थे। सर्वाइवरशिप का प्रिंसिपल तो ऐसा था जिस की वजह से हिन्दू ज्वाइंट फैमिली में मौत से जायदाद पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ता था। मौत कोई ऐसा सर्कम्स्टेन्स नहीं ख्याल किया जाता था जिस की वजह से जायदाद के एन्डाउमेन्ट में, या जायदाद के डिस्पोज़ल में, या जायदाद की पार्सिंग अवे में कोई फर्क पड़ता हो। यह सब से बड़ी दिक्कत थी और इस की वजह से जब हाउस में पिछली दफा यह बिल आया तब यह इन्तजार किया गया कि जब हिन्दू कोड बिल पास हो जाय उसके बाद इस को लाया जाय। यह दिक्कत हमेशा रही है। अब गवर्नमेंट ने जिस तरह से यह दिक्कत तय की है, पहले भी उसी तरीके से यह तय हो सकती थी। इस दिक्कत के हल करने के उसूल में न कभी कोई फर्क पड़ा है न पहले पड़ सकता था। मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस में कोई शक नहीं है कि जहां तक हिन्दू ला के प्रिंसिपल का सवाल है वहां तक यह दिक्कत आज भी मौजूद है और हमेशा मौजूद रहेगी। मिताक्षर लॉ का जो सब से बड़ा सर्वाइवरशिप का प्रिंसिपल आब्टेन करता है उस में मैं नहीं जाना चाहता। किसी भी वक्त कोई कानून नया बनाया जा सकता है जिस की रू से यह करार दिया जाय कि किसी शख्स के मरने पर उस की जायदाद को डिस्पोज़ किया जा सकता है। इसको आर्बिट्रेरीली नाफ़िज़ किया जा सकता है। मेरी राय में जो लोग यह दुहाई देते हैं कि इस में मिताक्षर फैमिली को फायदा है और दायभाग फैमिली को नुकसान है वह दरअसल गलती करते हैं। अगर हकीकत में हिन्दू लॉ को देखा जाय तो किसी ज्वाइन्ट फैमिली पर मिताक्षर लॉ में एस्टेट ड्यूटी और डैथ ड्यूटी दोनों ही नहीं आयद हो सकतीं।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

पुराने ज़माने में जो हिन्दू ज्वाइंट फैमिली थी उसके क्या फायदे थ और क्या नुकसान थे, आज उन चीज़ों में जाने से कोई फायदा नहीं है। आज हम को इस चीज़ को प्रेक्टिकल पाइंट आफ व्यू से देखना चाहिए और इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। मैं इस नुक्ते ख्याल से निहायत अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि तकरीबन पिछले ८० सालों में ज्वाइंट हिन्दू फैमिली के साथ सख्त बेइंसाफी होती रही है। इनकम टैक्स लॉ को इस तरह से लगाया गया कि ज्वाइंट हिन्दू फैमिली को नुकसान रहा है। उन पर नाजायज़ तौर पर टैक्स लगाया गया है। गवर्नमेंट चाहती थी कि टैक्स वसूल किया जाय इसलिए ऐसा किया गया। जो ऐग्जेम्प्शन लिमिट दूसरे लोगों को हासिल थी वह ज्वाइंट हिन्दू फैमिली को हासिल नहीं थी। लेकिन आज उस उसूल में जाने से कोई फायदा नहीं है। आज हम को एक मामले को देखना चाहिए और वह यह है कि हम यह चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में जो वैलफेयर स्टेट बनने जा रही है उसका खजाना भरा रहे। रोज हम शिकायत करते हैं कि फलां जगह अस्पताल नहीं है, फलां जगह स्कूल नहीं है, फलां जगह फलां चीज़ नहीं है। मैं अदब से अर्ज़ चाहता हूं कि अगर आप ज्वाइंट हिन्दू फैमिली के प्रिंसिपल को देखेंगे तो रुपया कहां से आवेगा। प्रेक्टिकल बात यह है कि आप यह चाहते हैं जो तबके अच्छी तरह से टैक्स दे सकते हैं उन पर दूसरे तबकों के फायदे के वास्ते टैक्स लगाया जाय और उस रुपये को उन तबकों के फायदे के लिए इस्तैमाल किया जाय। तो हम को और सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। मैं तो इस प्रेक्टिकल नुक्ते निगाह से इस बिल के हक में हूं। मैं यह नहीं कहता कि मिताक्षर फैमिली में सरवाइवरशिप आती है या नहीं मैं तो इस उसूल को समझता हूं कि ऐसे लोगों से लिया जाय जो कि देने के काबिल हैं। और यह रुपया देश के वास्ते इस्तेमाल होगा। इस वास्ते इतना ही नहीं है कि मैं इसको सपोर्ट करता हूं बल्कि मैं तो यह कहता हूं कि इसके विना कोई और चारा ही नहीं है। हमें यह मानना पड़ेगा कि यह जो ऐस्टेट ड्यूटी बिल हम लाये हैं इसको हम पास करें और खुशी से पास करें।

इसके अलावा दूसरी शिकायत जो हाउस में की गयी है वह यह है कि इस में मिताक्षर हिन्दू फैमिली को तो फायदा होगा और दायभाग वालों को नुकसान होगा। मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि मैं हिन्दू ज्वाइंट फैमिली के इनकम टैक्स के बारे में बहुत दिनों तक सरकार की खिदमत में बातें पेश करता रहा हूं और लड़ता रहा हूं। लेकिन मैं इस वास्ते नहीं लड़ता रहा हूं कि किसी हिन्दू को या किसी ज्वाइंट हिन्दू फैमिली को फायदा पहुंचे। मैं तो यह चाहता हूं कि मेरे देश की टैक्सेशन पालिसी इतनी जस्ट हो कि वह किसी हिन्दू और गैर हिन्दू में कोई तमीज़ न करे। मैं मिताक्षर और नानमिताक्षर फैमिलीज़ में कोई फ़र्क नहीं करता। मैं तो यह चाहता हूं कि जिस उसूल के मुताबिक मरने पर जो चीज़ पास होती है उस उसूल को अदब के साथ यकसां रखें और जो लाजीकल चीज़ हो उस पर चलें। मेरे दोस्त वेंकटरामन् ने इस बात पर बहस की है कि मिताक्षर और दायभाग फैमिलीज़ में किसको क्या नुकसान होगा और किस को क्या फायदा होगा। मैं इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहता और जान कर नहीं पड़ना चाहता क्योंकि जो उसूल हम ने इस बिल में रखा है वह ठीक है। हमें यह नहीं देखना है कि किस को नुकसान होगा और किसको फायदा होगा। अगर यह जानने के लिए कि किस खानदान में किस तरह से

मौतें होती हैं सेंसस लिया जाय तो यह नामुमकिन हो जायगा। मैं तो अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि जो कुछ हम ने इस बिल में क़ायम किया है वह इस नुक्ते निगाह से दुरुस्त है। लेकिन जो आपने ५० हजार और ७५ हज़ार की अलग अलग लिमिट रखी है यह मुझे पसन्द नहीं है। मैं समझता हूं कि यह जो हम ने ७५ हज़ार की लिमिट रखी है इसको हमें मान लेना चाहिए। अगर कोई शख्स किसी टैक्स से बच जाता है तो उसको और तरह से पूरा कीजिये लेकिन मैं चाहता हूं कि सारे देश में एक ही लिमिट होनी चाहिए और वह लिमिट हर एक शख्स के लिए यकसां होनी चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि हम ५० हजार और ७५ हजार की अलग अलग लिमिट रखें। यह मैं मानता हूं कि अगर किसी को बेजा रियायत मिलती है तो उसको आप किसी दूसरे तरीके से दूर कर सकते हैं। लेकिन यह जो लिमिट है यह सब के साथ यकसां होनी चाहिए। बहुत से लोगों ने यह ऐतराज़ किया है कि यह लिमिट थोड़ी है। मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि अगर हम कोई बिल पास करना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि इससे सरकारी खजाने में रुपया आये तो हम को ७५ हज़ार से ज्यादा लिमिट नहीं रखनी चाहिए हम ने देखा कि जो लोग पंजाब से आये हैं उन की जायदाद का जो तखमीना किया गया उनमें से ९९ फी सदी ३० हजार तक ही रहे। इसलिए इस में शक नहीं है कि अगर यह ७५ हज़ार की लिमिट रखी जायगी तो इसमें दो तीन फी सदी से ज्यादा लोग नहीं आवेंगे। अगर हम इस मद से दर अस्ल टैक्स लेना चाहते हैं तो हम को इस से ज्यादा लिमिट नहीं रखनी चाहिए और अगर इस लिमिट को बढ़ाना है तो बेहतर हो कि इस बिल को ही खत्म कर दिया जाय। यह ७५ हजार की लिमिट भी कुछ कम नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि १६ हजार का और ऐग्ज़ेम्पशन और ७५ हजार का यह ऐग्ज़ेम्पशन मिलाकर करीब ९० हजार हो जाता है। इससे ज्यादा ऐग्ज़ेम्प्शन नहीं होना चाहिए। इसको किसी भी तरह रखा जा सकता है। अगर प्रापर्टी में और ज्यादा ऐग्ज़ेम्प्शन दिया जायगा तो इसका मतलब यह होगा कि कुछ भी टैक्स वसूल नहीं होगा। कुछ लोग चाहते हैं कि एक लाख या डेढ़ लाख की रियायत दी जाय। लेकिन मैं इस को बहुत ज्यादा समझता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि यह जो गिफ्ट्स की ढाई और डेढ़ हजार की लिमिट रखी गयी है इसको बढ़ा दिया जाय। चाहे ऐग्ज़ेम्प्शन की लिमिट को ७५ हज़ार से घटा कर ७० हजार ही कर दिया जाय लेकिन इस लिमिट को कुछ बढ़ा दिया जाय। जिस वक्त आदमी मरता होता है उस वक्त वह कुछ लोगों को फायदा पहुंचाना चाहता है। यह नेचुरल ख्वाहिश है। इसके लिए जो ढाई हजार और डेढ़ हजार की लिमिट है यह थोड़ी है। इसको बढ़ा दीजिये और दूसरी लिमिट को कम कर दीजिये। मैं ओवर आल फिगर को नहीं बढ़ाना चाहता। ऐसा करना तो इंसाफ नहीं होगा। मैं इस बात का हामी नहीं हूं कि मरते वक्त किसी आदमी को अपनी सारी जायदाद दे देने का अख्तियार दे दिया जाय। इससे अच्छा तो यह होगा कि इस बिल को ही खत्म कर दिया जाय। अगर आप चाहते हैं कि इस बिल से देश का फायदा हो तो आप यही लिमिट रखिये लेकिन यह ढाई हजार और डेढ़ हजार की लिमिट कम है। यह लिमिट थोड़ी और ज्यादा होनी चाहिए बशर्ते कि आप उस ओवर आल लिमिट को न बढ़ावें।

इसके अलावा इस ज़िमन में कुछ और चीज़ें हैं। मैं चाहता हूं कि दो तीन चीज़ें इस बिल में ज़रूर हों। एक तो मैं खुश हूं कि फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने जो वायदा किया था कंसीडरेशन स्टेज पर वह पूरा कर

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

दिया और ७५ हजार की लिमिट रख दी। दूसरे मैं यह चाहता हूं कि जो आप इंसीडेंस मुकर्रर करें वह बेजा न हो, इंसाफ के खिलाफ न हो। इस को हर साल न मुकर्रर किया जाय। कम से कम पहले पांच साल के लिए मुकर्रर कर दिया जाय। पहले पांच सालों में इस को ज्यादा न किया जाय। उसके बाद अगर मुनासिब समझा जाय तो उसको आप हर साल रख सकते हैं लेकिन शुरू के पांच सालों में इस को एक सा ही रहने द। वरना मुझे डर है कि जब भी रुपये की ज्यादा जरूरत होगी उस वक्त ज्यादा टैक्स वसूल कर लिया जायगा।

इस जिम्न में मुझे यह भी कहना है कि मैं भी उन लोगों में हूं जिन्होंने पिछली मर्तब यह अर्ज किया था कि रेजीडेंशियल हाउस को ऐग्जेम्प्ट रखा जाय। लेकिन इस बात पर पूरा गौर करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर इस तरह की इजाजत दी गयी तो इसका इंसीडेंस बहुत मुश्किल होगा। किसी के पास बहुत बड़ा मकान होगा और किसी के पास बहुत छोटा। इस में अमीर आदमियों को ज्यादा एग्जम्प्शन मिल जायगा। और किसी के पास मकान होगा ही नहीं। तो ऐसा करने से इनजस्टिस हो जायगी। इसलिए मैं ने अपनी पहली राय को तबदील कर लिया है। लेकिन साथ ही मेरी यह राय है कि आप कुछ ऐसा इन्तजाम करें कि जिस वक्त यह टैक्स वसूल किया जाय तो ऐसी रियायत दी जाय कि किसी का रेजीडेंशियल हाउस बिकवाना न पड़े। रेजीडेंशियल हाउस के बिकने से लोगों को बहुत तकलीफ होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि जहां तक वसूली का सवाल है आप कोई ऐसा उसल कायम करें कि यह लोगों को कम से कम तकलीफ देह हो।

इसी के साथ मैं दो तीन और बातों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। सब से अव्वल बात मशीनरी की है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मैं दैपे सी० वी० आर० के खिलाफ नहीं हूं। इस बारे में जो वेंकटारमन साहब ने और दूसरे साहिबान ने कहा है मैं उसकी कद्र करता हूं। मैं जानता हूं कि डेस्पाटिक रूल और डिमाक्रेटिक रूल इन दोनों में डेस्पाटिक रूल ज्यादा सिम्पेथेटिक होता है। मैं जानता हूं कि सी० वी० आर० ज्यादा सिम्पेथेटिक होगा ताहम मैं अपीलेट कोर्ट को ज्यादा पसन्द करता हूं। मैं समझता हूं कि सी० वी० आर० का ऐडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा सिम्पेथेटिक होगा लेकिन जहां तक जस्टिस का सवाल है अपीलेट ट्रिब्यूनल ज्यादा अच्छा होगा। जैसा कि इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल है उसी तरह का यहां भी होना चाहिए। इस से हर शख्स को इत्मीनान होगा। इसके अलावा कोर्ट को तो सिर्फ जस्टिस करने से वास्ता होगा उसको इससे वास्ता नहीं होगा कि सरकार के खजाने में रुपया जाता है या नहीं, जो चीज कि सी० वी० आर० में नहीं हो सकती। अगर ट्रिब्यूनल कायम किया जायगा तो लोगों को यह उम्मीद होगी कि हमारे साथ इंसाफ होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो इस वक्त जब आप एक नया कानून ला रहे हैं लोगों को बहुत तकलीफ होगी।

इस वास्ते मेरी नाकिस राय में यह जरूरी है कि अपीलैट ट्रिब्यूनल एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल कायम हो। इस में खुद सरकार का फायदा है और पब्लिक का भी फायदा है। पब्लिक साइकालाजिकली इस चीज से ज्यादा मुतमईन है कि उस के साथ हार्ड और फास्ट जस्टिस हो और जो अनरिलैंटिंग जस्टिस होती है उस को पब्लिक ज्यादा पसन्द करती है बमुकाबले इस के कि किसी सूरत में किसी के साथ मुरव्वत जाहिर

कर दी जाय, और इसकी सूरत में सिम्पेथी ज़ाहिर न करे। इसलिये मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि जो अदालतों की जस्टिस है वह ज्यादा फायदेमन्द है बजाय इस के कि उस में कोई और कनसीडरेशन्स हों। इसलिये अपीलैट ट्रिब्यूनल होना ज़रूरी है।

मैं अभी जनाब की खिदमत में एक बात अर्ज़ कर रहा था कि जहां तक घरों का सवाल है हमारे मुल्क में ऐसे आदमी बहुत थोड़े होते हैं जिनके पास हार्ड कैश होता है या जो अमीर होते हैं। हम लोग दूसरे और मुल्कों के मुक़ाबले निहायत ही ग़रीब हैं। तो हम इस क़ानून को पसन्द तो करते हैं लेकिन मैं जानता हूं कि जो बहुत से केसेज होंगे कि कोई शख्स मरेगा तो सरकार का आदमी वहां जायगा और वह इस बिल के मातहत ड्यूटी मांगेगा पर उस के पास देने के लिये रुपया नहीं होगा। तो उस आदमी का मकान नीलाम होगा। मैं इस मकान के नीलाम होने के बहुत बरखिलाफ़ हूं। मैं चाहता हूं कि सरकार एक ऐसा अलग इंस्टीट्यूशन बनाये जो लोगों की जायदाद को इस में ले सके और एक अरसे दराज़ तक इस टैक्स की वसूली करे। जैसा आप को मालूम है आठ साल की मियाद रखी गयी है तो इस में इंस्टालमेंट मुक़र्रर किया जाय। जहां तक हो सके मौक़ा दिया जाय कि रेजीडेंशियल हाउसेज का नीलाम न हो, बल्कि कुछ अरसे तक किराया वग़ैरह पर देकर उन को क़ायम रखा जाय। अगर किसी के पास जायदाद इस क़िस्म की है कि जिस को वह चाहता है कि सरकार ले ले तो सरकार जो क़ीमत मुक़र्रर करती है और जो उस मकान को लेना चाहती है तो सरकार को इस बिल का ऐडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से करना चाहिये कि जिससे लोगों को कम से कम तकलीफ़ हो। तो मैं जनाब की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूं कि एक तो यह होना चाहिये कि रेजीडेंशियल हाउस उसी सूरत में बिकना चाहिये जब उस का बिकना इनएस्केपेबुल हो जाय। मैं नहीं चाहता कि उस का मकान हर सूरत में छूट जाय या सरकार की टैक्स वसूली न हो। लेकिन यह ज़रूर चाहता हूं कि इस तरह से इस ऐक्ट का ऐडमिनिस्ट्रेशन हो कि लोगों को घर से निकलने की तकलीफ़ न बरदाश्त करनी पड़े।

मैं जनाब की इजाज़त से एक और बात की तरफ़ तवज्जह दिलाना चाहता हूं। यह एक अजीब तरह का टैक्स है। इस तरह का टैक्स आज तक हिन्दुस्तान में नहीं लगा था। मैं चाहता हूं कि इस टैक्स को पापुलैराइज करने के वास्ते ज़रूरी है कि हम टैक्स से जो आमदनी हो उस को तालीम के मामले में खर्च करें। इस टैक्स से जो कुछ वसूली हो उस का २५ फी सदी तालीम पर खर्च हो। इस टैक्स से जो कुछ वसूली होगी उसका फायदा स्टेट्स उठावेंगी। तो उन के ऊपर यह पाबन्दी हो कि इसका २५ फी सदी वे प्राइमरी और सैकेंडरी ऐजूकेशन पर खर्च करें। यह जो रोज़ मर्रा की आमदनी होती है और वह जो खर्च की जाती है उस तरह से यह आमदनी खर्च न की जाय। इस में २५ फ़ी सदी प्राइमरी और सैकेंडरी ऐजूकेशन के लिये ईयरमार्क कर दिया जाय। दूसरे इस के अलावा हम रोज़-मर्रा सुनते हैं कि कहत की हालत पैदा हो रही है। रोज़ स्टेट्स की दुहाई सुनते हैं कि फलां जगह फैमीन कंडीशन्स हैं। लोगों को खाने को कुछ नहीं मिलता। तो इस में साढ़े बारह फी सदी अलग रख दिया जाय फैमीन और पावर्टी को दूर करने के लिये और साढ़े बारह फी सदी फिर रखा जाय काऊ प्रोटैक्शन के लिये। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि जब कोई शख्स मरता है तो मुझे सारे हिन्दुस्तान के बारे में तो नहीं मालूम लेकिन हमारे यहां कोई शख्स मरता है तो मरते वक्त वह दस बीस रुपया दान करता है कि जानवरों को कुछ

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

खाने को दो और लोगों को जा कर मुफ्त रोटी तक़सीम करो। इसलिये मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस को इस तरह से खर्च किया जाय और इस टैक्स की वसूली का इस तरह पर ताल्लुक रखा जाय, साढ़े बारह फी सदी कैटल प्रिजर्वेशन पर, खास कर काऊ प्रोटैक्शन पर खर्च होगा तो लोगों को एहसास होगा कि इस में से इतना हिस्सा तो उसी चीज़ के लिये जा रहा है जिस पर कि हम खर्च करना चाहते थे। यह मैं नहीं जानता कि मरने वाला आदमी गौदान करने से वैतरणी को उसकी पूंछ पकड़ कर पार कर जाता है या नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि गौदान की प्रथा हमारे यहां रायज है और हर एक आदमी मरते वक्त गौदान करना चाहता है। तो इस तरह से इस बिल का ऐडमिनिस्ट्रेशन होगा तो यह मेजर निहायत पापूलर होगा और लोग चाहेंगे कि हम सरकार को धोका न दें। वह इस तरह की नीयत नहीं रखेंगे कि सरकार के खज़ाने में रुपया न जाय और कोई आदमी मरेगा तो आप का इस तरह का इन्तज़ाम होगा तो बिना तकलीफ के सरकार को रुपया मिल जायगा। मरने वाले आदमी को इतमीनान होगा कि इतना हिस्सा तो ऐसी ही चीज़ों में खर्च किया जायगा जिन पर कि वह मरने वाला आदमी खुद खर्च करना चाहता था। तो इस के साथ में एक चीज़ यह और बढ़ा देनी चाहिए।

अगर मैंने ज्यादा वक्त नहीं लिया है तो मैं जनाब की खिदमत में दो एक बातें और अर्ज़ करना चाहता हूं और मैं दो तीन मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। एक तो यह है कि आप ने इस में तीन महीने की चीज़ रखी है। दूसरा कोई आदमी फैमिली में अगर तीन महीने के बाद मर जाय तो फिर दुबारा यह टैक्स लगेगा। एक वसूली तो आप की पहली डथ पर हो गई और तीन महीने बाद मरने पर, फैमिली में दूसरी डैथ अगर हो जाय तो यह दुबारा वसूली होगी। एक तो फैमिली में दो दो जान चली गई, यह कितनी तकलीफदेह बात है और दूसरी तरफ सरकार का आदमी अपनी वसूली के लिये दुबारा हाज़िर हो जाय। यह मैं समझता हूं ठीक नहीं है। इस सिलसिले में एक तो पहली वसूली चल ही रही होगी और फिर यह दूसरी वसूली शुरू हो जाय तो यह दो दो वसूली एक साथ होना नामुनासिब होगा। इस से लोगों को बहुत तकलीफ़ होगी। इसलिये यह प्रावीजन किया जाय कि ५ वर्ष तक कोई और वसूली न की जाय। यह फेयर और जस्ट है और इस को मान लेना चाहिये। अगर नहीं माना गया तो आखिर जिस को कफन फाड़ कानून कहा जाता है वैसी हालत होगी और इस से लोगों में यह कानून अनपापूलर भी होगा। अव्वल तो मैं अर्ज़ करता हूं कि टैक्स देना कोई पसन्द नहीं करता। हम यहां टैक्स देना जायज़ कहते हैं, लेकिन लोग हम बाहर जावेंगे तो कहेंगे कि तुमने तो जा कर यह टैक्स और लगवा दिया। तो लोगों को यह पसन्द नहीं आयगा। लेकिन साथ ही हम इस से निकल नहीं सकते, हमारे पास इसके सिवा कोई और चारा नहीं है। रोज़ रोज़ हम देखते हैं कि सरकार के खर्चे बढ़ते जाते हैं। हम रोज़मर्रा सरकार से मांग पेश करते हैं कि इस चीज़ को पूरा नहीं किया। जब हम देखते हैं कि ऐसी सूरत है तो कोई वजह नहीं मालूम होती कि सरकार ऐसे आदमी से यह टैक्स वसूल न करे जो कि इस को आसानी से दे सकता है। फिर इस के अन्दर जो स्लैब सिस्टम रखा गया है कि ज्यादा मालदार आदमी ज्यादा टैक्स देगा तो यह ठीक ही है। लेकिन इसके साथ ही सक्सैशन ड्यूटी का जो प्वाइंट है वह भी साथ में देखना चाहिये था। सक्सैशन ड्यूटी का जो इनसीडैंस

पड़ता है वह एक तरह से सहल, ईक्विटेबुल और जस्ट होता है। इस के अन्दर एक आदमी अगर पांच छः वारिस छोड़ गया तो यह भी आप को देखना था कि उनके हिस्से में क्या आवेगा। अगर दस दस या पांच पांच हज़ार एक एक के हिस्से में आये और सरकार ने भी दो दो तीन तीन हज़ार ले लिये तो जो सक्सैसर्स हैं वह बहुत तक़लीफ़ महसूस करेंगे। तो इस तरह से इस को देखा जाय तो यह हार्ड है। लेकिन हाउस ने ऐस्टेट ड्यूटी बिल का फ़ैसला कर लिया है तो मैं समझता हूं कि अब इस में ज्यादा कुछ अर्ज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि सक्सैशन ड्यूटी हो जाय या ऐस्टेट ड्यूटी रहे।

इस बिल के और बहुत से प्रावीजन्स हैं, मैं उन की डिटेल में नहीं जाना चाहता। लेकिन जनाब की इजाज़त से एक चीज़ ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूं। आज इनकम टैक्स बिल में एक चीज़ है कि जिस के लिये ऐग्जेम्प्शन रखा गया उस पर इनकम टैक्स नहीं लिया जायगा लेकिन रेट्स के लिये जो ऐग्जेम्प्शन की चीज़ होगी वह शामिल की जायगी। यही चीज़ इस में भी रखी गयी है। मैं जानता हूं कि यह चीज़ इनकम टैक्स ऐक्ट में रखी हुई है और बहुत दिनों से चली आ रही है, लेकिन यह लाजिकल तो है नहीं। जब किसी चीज़ पर टैक्स नहीं लगता तो उस को रेट के वास्ते शामिल करना दुरुस्त नहीं है, गो कि आमदनी के लिहाज़ से वह दुरुस्त हो। इनकम टैक्स में यह चीज़ है और यहां भी अब इस को शामिल किया गया है। लेकिन मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हू कि आप इस पर फिर ग़ौर करें। अगर उस को आप ऐग्जेम्प्शन देते हैं तो उस को रेट्स के लिये शामिल करना मुनासिब नहीं है। इस को इनकम टैक्स के लिये भी नहीं रखना चाहिये।

तो बाक़ी जो और बातें हैं उन के ऊपर जब उन के प्रावीजन्स आवेंगे तब बोलूंगा। लेकिन इस वक्त तो मैं इस बिल का ख़ैर मक़दम करता हूं और इस को बहुत ज़ोर से सप्पोर्ट करता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस के बिना कोई और चारा नहीं है।

अब मैं इसके डिटेल में जो प्रावीजन्स हैं उन पर उस समय कहूंगा जब इस के प्रावीजन्स वग़ैरह विचार के लिये आवेंगे। इस वक्त तो मैं यही अर्ज़ करना चाहता हूं कि मैं इस बिल को सप्पोर्ट करता हूं। हमारे सामने दो ही सवाल हैं कि जब तक हमारी वैलफेयर स्टेट के खज़ाने पूरा न हो जायं कि जिससे वह अपनी रिसपांसिबिलीटीज़ को पूरी तरह अंजाम दे सके जो कि उस पर आयद हैं और जिन के बारे में हम रोज़ उस को याद दिलाते हैं तब तक काम नहीं चल सकता। तो या तो हम इस के खजाने को पूरा करें या यह कहना छोड़ दें कि वह अपनी जिम्मेवारी को पूरा करे। इस वास्ते मैं इस टैक्स को तो सप्पोर्ट करता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि जिन बातों पर मैंने अर्ज़ किया है उन पर ग़ौर कर लिया जाय।

श्री धुलेकर : मैं विधेयक की केवल दो या तीन बातों पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि जब तक कि करारोपण की न्यूनतम सीमा कम है, तब तक कर-अपवंचन के अधिक मामले होंगे। मेरा कहना है कि सामान्य व्यक्ति का, विशेषकर मध्यम श्रेणी के व्यक्ति का, ईमानदार होना बहुत आवश्यक है। भारत सरकार का प्रत्येक अफसर जो १ या २ हज़ार रुपये मासिक कमा रहा है, प्रत्येक वकील या डाक्टर जोकि १ या २ हज़ार रुपये मासिक कमा रहा है उस से ७५,००० रु० छोड़ जाने की आशा है। यदि आप सीमा ७५,००० रु० रख देंगे तो आप इन सामान्यत: ईमान-

[श्री धुलेकर]

दार व्यक्तियों को बेईमान बना देंगे क्योंकि फिर वे यह हिसाब लगाने लगेंगे कि क्या उन के लड़कों के लिये पर्याप्त रुपया बच रहेगा, क्या उन की लड़कियों का अच्छे घरों में विवाह हो सकेगा, क्या वह मकान जो उस ने अपने परिवार के लिये बनाया है, करारोपण के लिए उस की सम्पत्ति का अंग माना जाएगा इत्यादि । इसलिए मैं पूरा ज़ोर दे कर कहता हूं कि यदि आप लोगों में बेईमानी नहीं भरना चाहते तो आप को इस पर एक भिन्न दृष्टिकोण से विचार करना होगा । यह आय-कर की भांति नहीं है जिस में कि लोग अपनी आय कम दिखलाने का प्रयत्न कर सकते हैं । सम्पदा शुल्क की तलवार तो लोगों के सर पर सदा लटकी रहेगी । क्या लोग मकान नहीं बनवाएं ? दिल्ली में एक मामूली बंगला भी एक लाख रुपये से कम नहीं बैठता । मान लीजिये वह बंगला बेचे जाने को है । हर आदमी डरता है । यदि वह एक मकान बनवाए या मोटर कार खरीदे या अपनी लड़कियों के विवाह के लिये दो-चार हजार रुपये इकट्ठे करे, तो वह तो खतम हो गया । आप कहते हैं कि यह सब सम्पदा शुल्क के अन्तर्गत राज्य का हो जाएगा । इसलिये हमें कृपया करा-रोपण के अनवरत भय के अन्तर्गत मत रखिए । मैं माननीय मंत्री जी से पूरे ज़ोर के साथ निवेदन करूंगा कि न्यूनतम सीमा को बढ़ा दें जिस से कि सामान्य व्यक्ति जो लाखों रुपये नहीं कमा सकता डर से मुक्त हो जाए । आप २ लाख या ३ लाख कुछ भी रख दीजिये । किन्तु इसे बढ़ा दीजिये ।

दूसरी बात यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे कानून पास कर के हम हिन्दू विधि में हस्तक्षेप कर रहे हैं, उसे बदल रहे हैं । मैं कहता हूं कि ऐसी बात नहीं है । हमारा कानून इतनी स्मृतियों द्वारा बदला जाता रहा है और स्मृतियां किसी संसद द्वारा नहीं लिखी गईं । महान व्यक्ति आए और उन्हों ने स्मृतियां लिखीं तथा करोड़ों लोगों ने उन का अनुसरण किया और सहस्रों वर्षों से वे उन का अनुसरण करते चले आ रहे हैं । यदि केवल एक व्यक्ति, याग्यवल्क्य अथवा नारद, हिन्दू विधि में परिवर्तन कर सका तो देश के ५०० निर्वाचित प्रतिनिधि यह परिवर्तन क्यों नहीं कर सकते हैं? हिन्दू विधि को छेड़ने सम्बन्धी समस्त आलोचनाएं निराधार हैं । मैं राम राज्य परिषद के अपने मित्रों को बतला दूं कि महाभारत में दिया हुआ है कि एक काल ऐसा भी था जब कि विवाह नहीं होते थे और लोग स्वतंत्र जीवन व्यतीत करते थे ।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि नगर के ऐसे लोगों की सूची होनी चाहिये कि इन-इन को सम्पदा शुल्क देना है । यदि सूची मौजूद हो तो फिर उन्हीं लोगों को छुआ जाए । इससे मुकदमेबाजी भी कम होगी, लोगों को भी कम परेशानी होगी और सरकार को भी सुविधा रहेगी ।

एक और बात विचार करने योग्य उन लोगों की है जिन की कि आकस्मिक दुर्घटना से मत्यु हो जाती है । कितने ही लोग हवाई जहाज से एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं और दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिन के बारे में पहले से नहीं मालूम होता । तो ऐसे लोगों के मामले में सार्वजनिक दान अथवा रिश्तेदारों को दिये गये उपहार सद्भावनापूर्ण समझने चाहिएं । इन आकस्मिक मत्युओं को अधिनियम में एक उपबन्ध बना कर मुक्त कर देना चाहिये और एक अथवा दो वर्ष वाला उपबन्ध उन पर लागू

वहीं होना चाहिए । मुझे ये ही निवेदन सदन से करने थे ।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी पूर्व वक्ता के हिन्दू शास्त्रों के ज्ञान को देख कर तो मैं चकित हो गया हूं । अंकगणित और तर्क शास्त्र इन दो शास्त्रों के कांग्रेस के सदस्य साधारणतया विरुद्ध होते हैं । मेरी समझ में पांच सौ पार्लियामेंट के सदस्य या पांच सौ धुलेकर मिल कर एक याज्ञवल्क्य या मनु नहीं बन सकते । मुझे याद है कि महाराष्ट्र के एक बोरो नेता थे उन से किसी ने कहा कि एक लड़की की शादी करना है और उन को एक २४ साल का वर लाने के लिये भेजा । उन महाशय ने क्या किया कि १२–१२ साल के दो लड़के ले आये उस लड़की के साथ शादी करने के लिये । इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि याज्ञवल्क्य और मनु के जो नियम हैं उन को बदलने के लिये यहां पांच सौ सदस्य बैठे हैं लेकिन "वन जीनिअस कैन नाट बी कम्पेन्सेटेड बाई १०० मीडिओकर्स"। मैं पार्लियामेंट के सदस्यों का अपमान करने के विचार से यह नहीं कह रहा हूं, वह प्रतिभाशाली सदस्य हैं लेकिन इसलिये हम पांच सौ सदस्य हिन्दुओं के कानून को बदलना चाहें, इस के मैं विरुद्ध हूं ।

पहली बात यह है कि जब यह विधेयक सदन के सामने रक्खा गया था उस समय हम को बतलाया गया था कि इस देश में सम्पत्ति का केन्द्रीयकरण हो रहा है, सम्पत्ति एक जगह बहुत आ रही है, इस लिए उस सम्पत्ति का विकेन्द्रीयकरण करने के लिये यह विधेयक लाया जा रहा है । इस के पश्चात् प्रवर समिति में ३०, ३५ सदस्य एकत्र हुए । बहुत दिन यहां बैठने के बाद यह विधेयक आया है, और मैं बहुत सूक्ष्मता से अध्ययन कर रहा था कि किस तरह से सम्पत्ति का विकेन्द्रीयकरण किया जा रहा है । यहां बताया गया था कि "This Bill is an all out frontal attack on the private property." यानी व्यक्तिगत सम्पत्ति के विरोध में यह बड़ी लड़ाई यहां हो रही है । मैं भी देखने लगा कि इस लड़ाई में, इस कुश्ती में कौन हारता है, कौन जीतता है । लेकिन उसी वक्त कुछ कांग्रेस के सदस्य कहने लगे कि इस में कम से कम एक लाख की सीमा रक्खी जानी चाहिए । एक मिताक्षर ला के मानने वाले के पास चार पांच लाख की जायदाद है । उस के पुत्र हैं, चार लड़कियां हैं, एक एक लड़की को पांच पांच हजार की डावरी देनी है । तो इस प्रकार से लाख डेढ़ लाख रुपया तो यों ही निकल जायेगा । उस के बाद जो सम्पत्ति थोड़ी बहुत कायम रही उस का बहुत महत्व तो होता नहीं । यहां हम देखते हैं कि सम्पत्ति के खिलाफ लड़ाई चल रही है । हमारे देश में असमानता बढ़ रही है यह कह कर सम्पत्ति के खिलाफ यहां लड़ाई शुरू हुई । मैं पहले से ही जानता था कि इस में पचास हजार की छूट है क्योंकि कांग्रेस तो पूंजीपतियों के बल पर इस देश में चल रही है । वह भी सम्पत्ति के विरोध में लड़ाई करेगी यह मैं नहीं समझता था । कहा जाता है कि पचास हजार की मियाद तो रख दी, उस के ऊपर जो कुछ आयेगा उस पर टैक्स लिया जायेगा । यहां यह प्रोपेगैन्डा चल रहा है । फिर पूछा गया कि इतना ले कर के कितना टैक्स आप को मिलने वाला है । कहा गया कि पांच छः करोड़ रुपये मिलेंगे । ऐग्रीकल्चरल प्रापर्टी जो देश में बड़ी विशाल है उस के लिये आठ राज्यों ने सम्मत्ति दी है कि ऐग्रीकल्चरल प्रापर्टी पर टैक्स लगाया जाय । बाकी राज्यों ने कभी सम्मत्ति नहीं दी । जहां

[श्री वी०जी० देशपांडे]

जहां बड़े ज़मींदार हैं वह राज्य इस में शामिल हुए नहीं। इस प्रकार से यह सब कुछ होने के बाद पांच या छः करोड़ रुपये आप को मिलेंगे। उस से आप क्या करने वाले हैं यह अभी तक मेरी समझ में ठीक से नहीं आया और प्रवर समिति की रिपोर्ट पढ़ने के पश्चात् भी मैं देखता हूं और मुझे शक है कि यह उन के ही हित में बुरी चीज है। हमारी सरकार पचास हजार की सीमा तक तो कर नहीं लेती है, लेकिन जब मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य की विवाह संस्था का सवाल आता है तो हम को विवाह के खिलाफ सबूत देते हैं व्यास मुनि का, जिन का जन्म ही विवाह संस्था से नहीं हुआ था। व्यास मुनि का प्रमाण दे कर क्या क्या बातें यहां कही गईं यह मेरी समझ में नहीं आता। बात यह है कि आज कल कुछ फशन बन गया है हिन्दू धर्म पर आघात करने का। आज उन को हमारे धर्म और संस्कृति के खिलाफ बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती है। वह यह सोचते नहीं कि वह क्या कह रहे हैं। मेरा तो यह विरोध है। म तो कहता हूं कि अगर आप के सामने सम्पत्ति के विकेन्द्रीयकरण का उद्देश्य होता तो आप इस प्रकार से काम न करते। मेरी समझ में तो आप को इस डेथ ड्यूटी के बजाय सक्सेशन ड्यूटी लगानी चाहिये थी। तभी इस विकेन्द्रीयकरण का प्रश्न हल हो सकता था। आप यहां पर हिन्दू शास्त्रों के विरुद्ध रोज बोलते हैं। मैं तो कहता हूं कि हमारे मिताक्षर लॉ ने इस देश में सम्पत्ति को विकेन्द्रीयकरण किया है। यहां बड़े बड़े उदाहरण दिये गये। वह कहते हैं कि तीन पीढ़ियों में सम्पत्ति खत्म हो जायेगी। लेकिन हमारे मिताक्षर लॉ म तो तीन पीढ़ियों तक जाने की भी जरूरत नहीं है। जैसे ही पुत्र होता है उसी समय से विभाजन हो सकता है। तीन पीढ़ियों तक तो सम्पत्ति रहेगी ही नहीं।

इस बिल में, जैसा कि यह सिलेक्ट कमेटी से आया है इस में हमारे देशमुख साहब ने भी बहुत अच्छे शब्दों में कहा था, बहुत धीरे से कहा है, लेकिन मान लिया है कि "इट इज़ गुड गाड्स गिफ्ट टु लायर्स"। यानी जो वकील लोग हैं उन के लिये भगवान बड़ा अच्छा है। उन को तो भगवान को इस चीज़ के लिये दुआ देना चाहिये उस ने वकील लोगों को इस देश में अच्छी तरह रक्खा है। पहली बात तो यह है कि मिताक्षर लॉ को छोड़ कर बाकी जो भी लॉ बनाये गये हैं वह बिल्कुल वकीलों के लिये बनाये गये हैं।

जो कोई हिन्दू ज्वाइंट फैमिली में मरेगा तो उस के मरने के बाद यह झगड़ा शुरू होगा कि जो प्रापर्टी फैमिली में है वह मिताक्षर से नियंत्रित है या सेल्फ एक्वायर्ड सम्पत्ति है क्योंकि इन दोनों में बड़ा फर्क पड़ता है। अगर किसी आदमी की दो लाख की सम्पत्ति हुई तो वह यह कह सकता है कि यह मिताक्षर की सम्पत्ति है। यह किसी भी सम्पत्ति के लिये कहा जा सकता है क्योंकि उस के लिये एवीडेंस क्रियेट किया जा सकता है। इस तरह से पैसा तो ज्यादा आने वाला नहीं है परन्तु आप हिन्दू पद्धति पर आघात कर रहे हैं। मेरी तो यह समझ में आता है कि इस से बहुत सी उलझनें पैदा हो जायेंगी। बात यह है कि मरने के पूर्व हर एक आदमी का अपनी सम्पत्ति पर अधिकार होता है। किसी के पास से सम्पत्ति दूसरे के पास जाती नहीं। अगर आप सक्सेशन ड्यूटी लगाते तो आप उस पर लगा सकते थे जिस को सम्पत्ति आती। ऐसा भी हो सकता है कि किसी परिवार में आठ दस आदमी हों और उन के पास थोड़ी थोड़ी सम्पत्ति आती हो तो आप इस पर भी कर लगा रहे हैं। अगर किसी की सम्पत्ति

डेढ़ लाख की है और दस आदमियों को मिली तो एक एक को पन्द्रह पन्द्रह हजार मिलेगी। तो आप इस कानून द्वारा इस छोटी सी सम्पत्ति पर भी टक्स लगाते हैं। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार यह बिल प्रवर समिति से आया है यह प्रचार के लिये है। इससे सम्पत्ति का कोई विशष विकेन्द्रीयकरण नहीं होता जैसा कि आप प्रचार करना चाहते हैं। आप ने ५० हजार और ७५ हजार की लिमिट रखी है और मिताक्षर को भी इस में डाल दिया है। मैं समझता हूं कि ऐसा कर के आप कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं पर अपने देश में आप उलझनें पैदा कर रहे हैं। जो चालाक आदमी हैं वह मिताक्षर के नाम पर कोई न कोई तरकीब कर के इस से निकल जायेंगे और इससे वकीलों की सम्पत्ति बढ़ती रहेगी। जो लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं उन के पास सम्पत्ति का केन्द्रीयकरण होता चला जायगा। आप बड़ी बड़ी सम्पत्तियों पर कर लगाने की सोच रहे हैं और उस का विकेन्द्रीयकरण करने की सोच रहे हैं लेकिन इस के बजाय देश में उलझनें पैदा होंगी, अनसरटेन्टी और वैगनैस पैदा होगी और मरने वाले को भी शान्ति नहीं मिल पायेगी। वह सोचेगा कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों की क्या हालत होगी। यही चीज़ आप इस के द्वारा पैदा कर रहे हैं। आगे चल कर मैं यह बताना चाहता हूं कि आप हर एक चीज़ में इस प्रकार से कम्प्लीकेशन पैदा कर रहे हैं और मध्यम वर्ग की .....

श्री बोगावत (अहमदनगर-दक्षिण) : सुधार आप करें।

श्री वी० जी० देशपांडे : यदि आप की सुधार करने ही की इच्छा होती तो आप इस प्रकार का बिल न लाते। विकेन्द्रीयकरण का पक्ष ले कर के आप इस बिल को मध्यम वर्ग को तकलीफ देने को और धर्म पर लेक्चर-बाजी करने को लाये हैं। बात यह है कि इस बिल से तरह तरह के कम्प्लीकेशन पैदा होने वाले हैं। इस में कहा गया है कि अठारह साल का लड़का मर गया तो टैक्स लगेगा तो उस दुःख के समय उस के पिता को डैथ ड्यूटी देने की और फिक्र पड़ेगी।

आगे चल कर बहुत से लोगों ने कहा कि घरों को आप ऐग्जेम्प्ट करें। मैं जानता हूं कि घरों को इस में से निकालने से बहुत सा नुकसान हो सकता है। बड़े बड़े शहरों में रहने वाले पूंजीपतियों के घरों को निकाल देने से शायद इस बिल में कुछ मिलेगा ही नहीं। मेरी तो राय में इस टैक्स में कुछ आने वाला नहीं है। कहा जाता है कि इस के साढ़े बारह फी सदी से गोरक्षा की जायगी और दूसरे काम किये जायेंगे। लेकिन मैं तो समझता हूं कि इस से कुछ मिलने वाला नहीं और जो लोग सीधे साधे हैं उन के रास्ते में इससे अड़चनें पैदा हो जायगी। आप इस में कुछ ऐसा कर दें कि जो छोटे छोटे लोगों के रहने के घर हैं या जिन के पास घर छोड़ कर और कोई सम्पत्ति नहीं है उन को छोड़ दिया जाय और जो पूंजीपतियों के मकान हैं उन को इस में ले लिया जाय। तो आप रेजीडेंशियल हाउस में और दूसरे मकानों में फर्क कर सकते हैं। आप जितनी बुद्धिमत्ता मनु और याज्ञवल्क्य के विरुद्ध इस्तैमाल करते हैं अगर उस को इधर इस्तैमाल करें और उसका इधर उपयोग करें तो लोगों के रहने के घर, ऐसे लोगों के जिन के और ज्यादा सम्पत्ति नहीं है, ऐग्जेम्प्ट किये जा सकते हैं।

[श्री पाटसकर अध्यक्ष-पद पर आसीन थे**]**

अभी ज्यादा समय नहीं गया है। आप इसमें परिवर्तन कर सकते हैं।

किसी ने ऐग्रीकल्चरल प्रापर्टी के बारे में कुछ नहीं कहा है। कृषि भूमि की प्राइसेज़

[श्री वी० जी० देशपांडे]

बहुत बढ़ गई हैं। एक एक एकड़ ज़मीन का दाम एक एक हजार दो दो हजार हो गया है। अगर किसी के पास २५ एकड़ भूमि है तो उस का मूल्य पचास हजार हो जाता है। इस के बाद उस पर भी यह कर लगेगा और वह इस से बच नहीं सकेगा। मैं समझता हूं कि विधेयक के इकानमिक होल्डिंग्स को भी इस से ऐग्जेम्प्ट कर देना चाहिए। मैं समझता हूं कि आज भी कोई बहुत वक्त नहीं गया है। इस पर सिलेक्ट कमेटी दुबारा बैठ सकती है। अगर इस बिल को इसी प्रकार से चलाया जायगा तो इस प्रकार की प्रापर्टी को बहुत नुकसान होगा। जो बड़े बड़े ज़मींदार और पूंजीपति हैं वह अपनी प्रापर्टी को बचा लेंगे और छोटे लोगों को नुकसान होगा। मैं समझता हूं कि हम को इंगलैंड और अमरीका के पीछे नहीं चलना चाहिये यह सोच कर कि हम भी आधुनिक हो जायेंगे। अगर हम यहां की परिस्थिति को बिना देखे उन के पीछे चलेंगे तो अपने देश की हानि करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं और यह कह कर अपना भाषण समाप्त करता हूं कि यह जो बिल प्रवर समिति से आया है इस से देश का भला होने वाला नहीं है, इस से सम्पत्ति का विकेन्द्रीयकरण होने वाला नहीं है। इस से देश में बहुत अन्धाधुन्धी होगी और जो धर्मशास्त्र के अनुसार उत्तराधिकार की पद्धति है उस के लिए यह हानिकर होगा। इसलिये अभी आप इस पर फिर से सोच लें इतना ही मुझे कहना है।

श्री टेकचन्द (अम्बाला—शिमला): मृत्यु-करों का नैतिक आधार, चाहे वे सम्पदा शुल्क के रूप में हों अथवा उत्तराधिकार शुल्क के रूप में, यह है कि धन की असंतुलित असमानता कम हो। इस नैतिक आधार पर किसी लोक कल्याणकारी राज्य के सदस्य को आपत्ति नहीं हो सकती। विवाद केवल इस बात पर उठ सकता है कि असमानता कम करने का तरीका ठीक है या नहीं।

मृत्यु-कर पर विचार करते समय सम्पदा-शुल्क तथा उत्तराधिकार शुल्क के मध्य का अंतर समझना अत्यन्त आवश्यक है। सम्पदा शुल्क के अनुसार "मृतक की सम्पत्ति को एक एकक मान कर तदनुसार उस पर कर लगाया जाय।" उत्तराधिकार शुल्क के अनुसार "मृतक की सम्पत्ति पर उस के वितरण के हिस्सों के आधार पर करारोपण कर के, शेष को उत्तराधिकारियों को दे दिया जाए।" उत्तराधिकार शुल्क की मुख्य बात यह है कि यह इस बात का ध्यान रखता है कि सम्पत्ति पाने वाले को उसका कितना भाग मिल रहा है। इस में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि मृतक का प्रत्येक उत्तराधिकारी से क्या सम्बन्ध है—यदि वह उसका निकटतम सम्बन्धी है तो करारोपण उस पर सब से कम होगा और जितनी दूर का सम्बन्धी होगा उतना ही करारोपण बढ़ता जाएगा। यदि यह सिद्धान्त स्वीकार कर लिया जाए तो यह समानता तथा औचित्य की कसौटी पर बिल्कुल न्यायपूर्ण उतरेगा। सन् १९१६ में अमरीका में ४२ राज्यों में उत्तराधिकार शुल्क था और केवल एक राज्य में ही सम्पदा शुल्क था। इसलिये यदि हमारे विधेयक में उत्तराधिकार शुल्क के कुछ सिद्धान्त सम्मिलित कर लिए जाएं तो इस विधेयक के स्वरूप में कोई आमूल परिवर्तन नहीं आ जाएगा वरन् न्याय और औचित्य के सिद्धान्तों का जुड़ जाना इस को और मजबूत बना देगा।

इस के पश्चात् मैं सदन का ध्यान जल्दी जल्दी एक के बाद एक होने वाली मृत्युओं के सम्बन्ध में विधेयक की कुछ विरोधाभासी बातों की ओर आकर्षित

करना चाहता हूं। ऐसे अनेक कारण हो सकते हैं कि परिवार में मृत्युएं जल्दी-जल्दी होती चली जाएं। इस का कारण कोई महामारी हो सकता है, अथवा रेलवे दुर्घटना हो सकती है अथवा अन्य कोई कारण हो सकता है। हो सकता है कि दादा की मृत्यु हो जाए और उस के बाद पिता की मृत्यु हो जाए और उस के शीघ्र पश्चात् लड़के की मृत्यु हो जाए। तो यदि इस विधेयक का प्रस्तुत रूप रहा आए तो २४ घंटे के अन्दर तीन बार करा-रोपण हो जायेगा। कुछ उदारता दिखा कर तीन मास का समय निर्धारित किया गया है जिस के अन्दर यदि तेज़ी से मृत्युएं हों तो छूट होगी। किन्तु यह समय बहुत ही कम है। दूसरे देशों को लीजिये। दक्षिण अमरीका तथा चाइल के कानून के अनुसार दो शुल्क-आरोपणों में दस वर्ष का अन्तर होना चाहिए, बीच के काल में चाहे जितनी भी मृत्युएं हो जाएं। संयुक्त राज्य अमरीका और जापान में यह काल पांच वर्ष है। किन्तु यहां केवल तीन मास रखे गये हैं। क्या यह काल पर्याप्त है ? निश्चय ही नहीं।

जहां तक अपवादों का प्रश्न है, यह कहा गया है कि अपवादों की लम्बी सूची है, इसे और क्यों बढ़ाया जाय ? इस सम्बन्ध में दो बातें मैं सदन के सम्मुख रखना चाहूंगा। दैविक आपदा से और स्वाभाविक रूप से होने वाली मृत्युओं में अन्तर करना चाहिये। उदाहरणार्थ आपने युद्ध क्षेत्र में मरने वाले सिपाहियों को ठीक ही छूट दे दी है। किन्तु अपना कर्त्तव्य पालन करते हुए मरने वाले पुलिस के सिपाही को आप ने मुक्त नहीं किया है। शत्रु की गोली वर्षा से मरने वाले नागरिकों को आप ने मुक्त नहीं किया है।

मैं एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिये कोई डाका पड़ता है। परिवार के कमाऊ सदस्य की हत्या कर दी जाती है। जो कुछ गहना, नकदी आदि उन के पास थे वह भी डाकू ले जाते हैं। अगली सुबह सरकार का आदमी उस मुसीबतजदा परिवार के पास आ कर मृत्यु शुल्क मांगता है। क्या यह निर्दयता नहीं है। इसी प्रकार रेल या वायु दुर्घटनाओं में मृत्युएं हो सकती हैं। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि दैविक मृत्यु तथा स्वाभाविक मृत्यु में अन्तर करना चाहिए।

अन्य अपवादों के विषय में मुझे कुछ नहीं कहना। किन्तु पैतृक मकान के साथ विश्व पर्यन्त और हमारे देश में विशेष रूप से, एक भावनात्मक विचार जुड़ा रहता है। यदि पैतृक मकान को इस शुल्क से बचाया जा सके तो निश्चय ही सरकार को कोई विशेष हानि नहीं होगी। अतएव मेरा निवेदन है कि अपवादों में ये दो अपवाद विचारणीय हैं।

फिर, उपहारों के मामले में मुझे एक बात कहनी है। आपका कहना है कि उपहार निर्व्याज होने चाहिएं और मृत्यु से दो वर्ष पूर्व दिए गए होने चाहिए। उपहार तथा उसे देने वाले की मृत्यु के बीच में दो वर्ष के अंतर की बात तो समझ में आती है किन्तु निर्व्याज तथा दो वर्ष का अन्तर दोनों बातें साथ रखने की चीज़ समझ में नहीं आती। इस का तो यह अर्थ होगा कि ३० या ४० या ५० वर्ष पूर्व दिए गए उपहारों को जिन के बारे में अब कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है आप निराकृत कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि उस उपहार के निर्व्याज होने का कोई सबूत मौजूद नहीं है। इसलिये यदि आप शब्द 'निर्व्याज' को हटा दें तो कोई हानि नहीं होगी।

उपहार के सम्बन्ध में मुझे एक बात और कहनी है। मान लीजिए 'क' पूर्ण सद्भाव के साथ किसी को उपहार देता है। अगले सप्ताह वह आप के हवाई जहाज से यात्रा

[श्री टेकचन्द]

करता है और दुर्घटना में मर जाता है। तो यह दुर्घटना हवाई चालकों की गलती से हुई है। ऐसे मामलों में यह दो वर्ष वाला उपबन्ध नहीं रखना चाहिये।

विधेयक के खंड ४२ में मैं एक उल्लेखनीय चूक देखता हूं। ऋण तथा अन्य भार को सम्पत्ति पर करारोपण करते समय उस के मूल्यांकन में से घटा दिया जाएगा। यह बिलकुल उचित ही है। किन्तु एक चीज़ छोड़ दी गई है। मृतक पर जो कर-भार हो उस को भी घटा दिया जाना चाहिए।

फिर, जहां तक अन्य मामलों का सम्बन्ध है, सम्पत्ति के कम मूल्यांकन से राज्य को हानि होगी। इसलिये आप को बहुत सतर्क रहना है कि न तो राज्य को धोका हो और न सम्पत्ति पाने वालों से घूस आदि ली जाय। इसलिए मूल्यांकिकों की नियुक्ति में आप को सावधानी बरतनी होगी। उन के द्वारा किए गए मूल्यांकन में सब से अच्छी सावधानी जो आप बरत सकते हैं वह यह है कि यदि राज्य को नुकसान हुआ हो तो राज्य को मामला एक स्वतंत्र अधिकरण को सौंपने का अधिकार होना चाहिये और यदि सम्पत्ति का अधिक मूल्यांकन हुआ हो तो भी वह एक स्वतंत्र अधिकरण की जांच के लिए उपलब्ध हो।

अन्त में मुझे यही कहना है कि इस कर का उपयोग ऐसी सामाजिक सुविधाएं प्रदान करने में होना चाहिए जो कि इस देश में उपलब्ध नहीं हैं किन्तु अन्य देशों में पाई जाती हैं। इस कर का कुछ भाग आवश्यकता-ग्रस्त लोगों को जाना चाहिए, शिक्षा के रूप म या चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं के रूप म अथवा वृद्धावस्था पेंशन के रूप में।

श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर) : माननीय सभापति महोदय, धर्म के द्वारा जिस राष्ट्र का शासन होता है और धर्म शब्द का अर्थ रिलीजन के अर्थ जिन लोगों ने किया है वह भारतीय भाषा विज्ञान के विरुद्ध है। रिलीजन का अर्थ धर्म शब्द से सर्वथा विपरीत है।

जो मनुष्य को बन्धन में डालता है उस का नाम है रिलीजन। धर्म का अर्थ है : जो बन्धन को काटता है, खत्म करता है उस का नाम है धर्म। एतावता धर्म का अर्थ रिलीजन से सर्वथा विपरीत है। उस धर्म के द्वारा जिस को आप ड्यूटी कह सकते हैं और मारल लाज, जिन को आप विशेष धर्म के रूप से, जाति धर्म के नाम से कह सकते हैं, इन धर्म तत्वों के द्वारा जिस राष्ट्र का नियंत्रण होता है वही राष्ट्र आगे उन्नति कर सकता है और यही कारण है कि :

रामराज्य में आदि व्याधि, मानसिक चिन्ता और शारीरिक रोग नहीं होता।

अब मैं इस प्रस्तुत विषय पर आता हूं। यह विधेयक प्रवर समिति से लौट कर आ गया और इस में बहुत कुछ सुधार भी कर दिया गया। परन्तु मेरा विश्वास है कि कोयले के धोने की तरह अभी तक यह धुल नहीं पाया। इस की कालिमा जा नहीं सकी है।

एक माननीय सदस्य : जा भी नहीं सकती।

श्री नन्द लाल शर्मा : कारण यह है कि सम्पत्ति से इसका सम्बन्ध है और सम्पत्ति इतनी काली है कि उस की कालिमा को धोने की सामर्थ्य संसार में कोई व्यक्ति नहीं रखता। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं जैसा कि मैं ने पहले भी कहा था और उस का सम्बन्ध हमारे माननीय सदस्य श्री गाडगिल के उन शब्दों से है जिस में उन्होंने कहा था कि सम्पत्ति जो एक स्थान पर

स्थित है उस को हम पूरा पूरा मिटा दें। सम्पत्ति के राष्ट्रीयकरण का जो सिद्धान्त है उस को स्वीकार कर लें। जहां तक मैं समझता हूं यह साम्यवादी दृष्टिकोण है। इस से भिन्न नहीं हो सकता। और हम पूरे पूरे उसी मार्ग पर चले जा रहे हैं जिस का अन्तिम परिणाम व्यक्ति को सर्वथा शक्तिहीन, अशक्त, लुंज पुंज बना देना है जिस से यदि दूध की धोई सरकार न रहे, जैसी कि आज की सरकार कही जा सकती है। यदि सरकार के अन्दर लोगों में स्वार्थपरता आ गई, हमारी दूध की धोई हुई सरकार के बदले कोई दुष्ट विदेशी सरकार हो गई, प्रजा के हाथ में कोई बल न रहा, तो अन्ततः प्रजा का सर्व-नाश निश्चित है। इस लिये इस सिद्धान्त को चला कर के, अमरीका, चिली, जापान और दूसरे देशों का अनुकरण मात्र कर के हम समझ लें कि हम सारी सम्पत्ति को मिटा कर के अन्त में संसार को सुखी कर सकेंगे, तो गलत है। प्रजा को सुखी करने का शासन के पास एक ही उपाय है और वह यह है कि शासन अपनी अभिलाषाओं को कम कर दे। यदि शासन का खर्च, शासन का भार प्रजा के ऊपर कम पड़े तभी प्रजा सुखी हो सकती है।

जैसे अंगारे बनाने वाला व्यक्ति पेड़ की जड़ को आग लगा कर पेड़ को जलाता है और अन्त में कोयला बेचने के लिये जाता है, कोई पूछता है कि तुम्हारे हाथ क्यों काले हैं, तो उत्तर देता है, कि जंगल में जा कर देखो। लौट कर जंगल में जाता है वहां कोयला नहीं मिलता है। इस लिये अंगारे की तरह कभी भी टैक्स नहीं लगाना चाहिये। टैक्स किस प्रकार लगाना चाहिये ? जैसे कि पिछली बार हमारे वित्त मंत्री ने कहा था :

पुष्पं पुष्पं विचिन्वीते .....

जैसे माली बागीचे के अन्दर एक एक फूल बीनता है, फुलवारी को नहीं नष्ट करता है उसी प्रकार से टैक्सेशन भी होना चाहिये। आज इस में क्या क्या दोष हैं मैं इस का जिक्र नहीं करना चाहता।

हिन्दू धर्म शास्त्र और भी बाकी जितनी हिन्दू संस्कृति है वह व्यक्ति के पास पैसा रखने के सर्वथा विरुद्ध है। जिस के पास तीन वर्ष के भोजन के ऊपर धन हो उस के लिए शास्त्र की आज्ञा है कि वह तत्काल अपने धन को सब जगह बांट दे। इसी प्रकार राजाओं के लिये राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ कर के अपने धन को दान करने की आज्ञा है। मैं चाहता हूं कि डैथ ड्यूटी के बदले आप लाइफ ड्यूटी बनाते।

आदमी अपनी भलाई के लिए, अपन परलोक के लिए पांच प्रकार से अपनी सम्पत्ति को बांट दे। तभी मनुष्य सुखी रह सकता है। इस प्रकार का दान न कर के हम दूसरे देशों का अन्धानुकरण कर रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस देश में वह दान होने लगे। मेरे एक शब्द से धुलेकर जी को कष्ट हुआ। मैं किसी के प्रति अनुचित प्रकार का आक्षेप नहीं करना चाहता। मैं शास्त्र का अन्तिम विद्वान् नहीं हूं। मैं ने गुरूजनों के चरणों में बैठ कर जो कुछ प्राप्त किया है उस को मैं रुपये में एक पैसा भी नहीं समझता हूं। मुझ से बढ़ कर विद्वान् हो सकते हैं। आप कहते हैं कि क्या मैं सारे भारतवर्ष के पंडितों को चैलेंज दे सकता हूं। मेरे सामने कोई खड़ा हो। मैं केवल यही कह सकता हूं कि मैं यह समझता हूं। इसलिये शंकर के कंठ की गर्जना करना ठीक नहीं है। कारण सदा इस कंठ में रहना नहीं है। बरसात की नदी बरसात के पानी से भरी उछलती कूदती जा रही थी और अपने किनारों को ढहाती चली जा रही थी। उस को देख कर एक मस्ताने ने कह दिया कि ये वर्षा के दिन

[श्री नन्द लाल शर्मा]

बीत जायगे । तेरे हवाई जहाज और मोटर गायब हो जायगे । उस वक्त हे तरिणो जिस ने तेरे तट की शरण ली थी उस वृक्ष को उखाड़ देने का कलंक तेरे ऊपर लगा रहेगा ।

श्री गाडगिल (पूना मध्य) : पेड़ तो और हो सकते हैं ।

श्री नन्द लाल शर्मा : हां पेड़ हो तो सकते हैं । अगर कोई गधा घास को चर जाये तो घास फिर पैदा हो सकती है । जब सावन आवेगा तो घास फिर पैदा हो जायगी और गधा बचारा हड्डी हड्डी रह जायगा । तो यह मेरा निवेदन है । मैं किसी के प्रति कोई आक्षप नहीं करता । न मेरे अन्दर किसी व्यक्ति के प्रति दुर्भाव ही है । मैं तो रामराज्य की भावना ले कर इस संसद में आया हूं और ईश्वर से प्रार्थना है कि यहां रामराज्य हो जाय । आप ने रामराज्य शब्द को छोड़ कर वैलफेयर स्टेट कर दिया है । लेकिन वलफेयर शब्द की कोई कीमत नहीं है । जैसे कि कम्युनिस्ट भाइयों के कामरेड शब्द की कोई कीमत नहीं है । एक समय हिटलर और स्टालिन ने एक दूसरे को कामरेड कहा था पर उस समय बाद वह एक दूसरे का गला काटने को तैयार हो गये । कारण यह था कि उन के बीच म धर्म नहीं था । सुग्रीव ने अग्नि को साक्षी दे कर रामचन्द्र जी से मित्रता की थी लेकिन उस को कभी नहीं त्यागा क्योंकि उस के बीच में धर्म था । इसलिये अगर कामरेड और वेलफेयर स्टेट इन शब्दों को हटा दिया जाय तो अच्छा हो ।

एक बात और है जो कि मैं ने पिछली बार भी कही थी । इस बिल को मिताक्षर के सिद्धांत से सिद्धाततः विरोध है । कारण हिन्दू मिताक्षर के अनुसार ओनर आफ दी प्रापर्टी कभी मरता नहीं है । इसलिये पुत्र का नाम है सन्तान । सन्तान काअर्थ होता है कंटीन्यूएशन । इस तरह ओनर बराबर चलता चला जायगा । वह पिता के मरने पर सम्पत्ति को इनहैरिट नहीं करता है । पिता की मृत्यु पर इस प्रकार का कोई प्रश्न उठता ही नहीं है । यह तो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है । मिताक्षर के सिद्धान्त के अनुसार उस को जन्म से ही यह अधिकार प्राप्त होता है । इसलिये मृत्यु के पश्चात कर लगने का प्रश्न ही नहीं उठता । इसी लिये मैं कह रहा हूं कि आप जो इस टैक्स को लगा रहे हैं इस के बजाय जो पांच प्रकार का वित्त बंधन है...

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : तो क्या आप का यह मतलब है कि जब बच्चा पैदा हो उसी वक्त उस से ड्यूटी ले ली जाय ?

श्री नन्द लाल शर्मा : खेद है कि आप उस समय थे नहीं जब मैं ने यह कहा था कि जो पांच प्रकार का वित्तीय वन्धन है उस को स्टेट को एनफोर्स कराना चाहिये । वह आपने सुना नहीं । कम्युनिस्ट बेचारे आज हम को समझाते हैं कैपीटलिज्म के बारे में । हम कहते हैं कि हमारे यहां जो धन का परित्याग बताया गया है वैसा और कहीं आप को मिलेगा नहीं । जितने में पेट भर जाय उतना पैसा मनुष्य को रखने का अधिकार है उस से जो अधिक पैसा रखता है वह चोर है और दंड का अधिकारी है ।

श्री गाडगिल : यह बिल्कुल ठीक है ।

श्री नन्द लाल शर्मा : लेकिन यह आप के व्यवहार में नहीं है । जो एक एक लाख का ऐग्जम्प्शन कराने को फिर रहे हैं । हमारे यहां यह था कि जिस समय राम ने यज्ञ किया तो वैदेही माता के हाथ में एक लाल तागा रह गया था । बाकी सब कुछ दान दे दिया गया था ।

श्री गाडगिल : अब कोई ऐसा यज्ञ नहीं करता ।

श्री नन्द लाल शर्मा : यज्ञ करवाना स्टंट का काम है । आप धर्म का तो समूलोन्मूलन कर रहे हैं और फिर चाहते हैं कि सुख और शान्ति मिले । हरिश्चन्द्र ने सब कुछ दान कर के श्मशान में नौकरी की । क्या हम इस प्रकार के यज्ञ करवा रहे हैं । मरने पर आप दूसरे के कन्धे पर चढ़ कर कर लेने के लिये कहते हैं ।

अब मैं दो एक शब्द गिफ्ट के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । सब बातों को तो कह नहीं सकता ।

Mr. Chairman : The hon. Member has got only two minutes more.

श्री नन्द लाल शर्मा : गिफ्ट के सम्बन्ध में आप ने दो वर्ष का और ६ मास का बन्धन रखा है । दुर्भाग्य है कि इन महापंडितों ने जो शास्त्रों के सम्बन्ध में सारे संसार के पंडितों को चैलेंज देने को तैयार हैं, इस बात का ध्यान नहीं रखा कि हमारे यहां दान की विशेष महिमा है आतुर काल में । पिता की मृत्यु के समय पुत्र का यह कर्तव्य है कि वह धन के मोह को छोड़ कर सारी सम्पत्ति पिता के आगे रख दे कि दान दे दीजिये यह आप की सम्पत्ति है । पुत्र पिता से पूछता है :

नचकेता अपने पिता से जा कर पूछता है जो कि यज्ञ कर रहे हैं कि, 'हे पिता मैं भी तो आप की सम्पत्ति हूं आप मुझे किस के लिए दान करते हैं ।' पिता पुत्र के लिए अपनी सम्पत्ति को स्वार्थवश रख लेना चाहते थे । उस समय उन्होंने क्रोध में आ कर कहा कि, 'मैं तुझे मृत्यु के लिए देता हूं ।' पुत्र मृत्यु के पास चला जाता है । आज भी अन्त समय में दान करवाने की परम्परा है । आखिरी समय में गरीब से गरीब बेटा भी अपने पिता से कुछ न कुछ दान करवाना चाहता है । उसी दान को आप ने इस में रख दिया है ।

श्री गाडगिल : दान पर प्रतिबन्ध नहीं है । दान के साथ कर दे दो जैसे कि बड़ी दक्षिणा के साथ भोजन भी दिया जाता है ।

श्री नन्द लाल शर्मा : I hope the time of the interruption will be deducted. मैं दान के सम्बन्ध में यह शुद्ध भावना से निवेदन कर रहा हूं । हां आप उस के बोनाफायडिज का ध्यान रखें ।

मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं और मैं बिल्कुल शुद्ध भावना से निवेदन कर रहा हूं कि दान के सम्बन्ध में सरकार केवल एक बात को ध्यान में रखे कि वह बोनाफाइडी है । मैं बोनाफाइडी के लिये तो नहीं कहूंगा कि बोना फाइडी का परित्याग कर दिया जाय । लेकिन यदि उन ने शुद्ध भावना से, सत्य भावना से दान किया है तो उस का ज़रूर ध्यान रखा जाय । और आप ने स्वयं इस को स्वीकार किया है और कहा है "गॉड्स गिफ्ट फार लायर्स" (God's gift for lawyers) अगर वकीलों के लिये कृपा हो तो फिर दान के लिये कृपा क्यों न हो । दान करने वाला तो मर गया, उस का तो कोई ऐफीडेविट होने वाला नहीं है और जो पीछे बच गये उन के लिये सारा प्रपंच होगा । तो जो प्रपंच है उस के लिये बोना फाइडी को छोड़ कर और कोई बन्धन न डाला जाय, समय का बन्धन न डाला जाय, और किसी प्रकार का बन्धन न रखा जाय । यहां विशेष कर चैरिटेबुल गिफ्ट्स के लिये कहा गया तो उस का ध्यान रखा जाय ।

एक शब्द मुझे वैल्युएशन के लिये कहना है । आप ने मारकेट वैल्यू कहा है, लेकिन

[श्री नन्द लाल शर्मा]

आप समझिये कि जिस व्यक्ति की सारी प्रापर्टी मारकेट पर लगी तो मारकेट वैल्यू उस को प्राप्त नहीं होती है, उस का तो दिवाला निकल जाता है और कीमत बिल्कुल बहुत गिर जाती है। इसलिये इस का भी विशेष ध्यान रखा जाय। अब बाद में फिर मुझे अवसर मिलेगा तो मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा।

श्री एल० एन० मिश्र (दरभंगा व भागलपुर) : मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। इस के द्वारा हम उन बातों में से एक पूरी करेंगे जिन को पूरा करने का हम ने निर्वाचन के समय जनता को वचन दिया था।

हमारे देश में जो धन की विषमता है उस को दूर करने के जो उपाय किये जा सकते हैं उन में से यह एक है। इस सम्पदा शुल्क विधेयक का सत्ताइस साल का इतिहास है। गत सात वर्षों से यह विधेयक के रूप में हमारे सामने है।

हम लोक कल्याण राज्य बनाने के लिये बचनबद्ध हैं। इस के कारण राज्य की बढ़ती हुई कार्यवाइयों के लिये अधिक से अधिक राजस्व की आवश्यकता है। यह राजस्व या तो राष्ट्रीय सम्पदा से प्राप्त किया जा सकता है या राष्ट्रीय आय से। राष्ट्रीय सम्पदा का कौन सा भाग राजस्व के रूप में लिया जाय यह ध्यानपूर्वक सोचने का विषय है। संसार के उन्नतिशील देशों में, प्रमुख अर्थ शास्त्रियों के मत के अनुसार यह अनुपात २५ प्रतिशत है। परन्तु भारत में, संघ तथा प्रान्तीय वित्त को मिला कर यह केवल १० प्रतिशत है। यद्यपि भारत के अविकसित आर्थिक ढांचे को तथा कम आय के समूहों के देखते हुए २५ प्रतिशत का अनुपात बहुत अधिक है फिर भी इस अनुपात को कुछ न कुछ बढ़ाया जा सकता है।

जब मैं कर निर्धारण में वृद्धि करने की बात करता हूं तो मेरा आशय प्रत्यक्ष कर निर्धारण से है। हमारे देश का कर निर्धारण अधिकतर अप्रत्यक्ष कर निर्धारण पर निर्भर करता है जिसका प्रभाव जनता के लिये अत्यन्त कष्टदायक है। इस दृष्टिकोण से सम्पदा शुल्क विधेयक सराहनीय है क्योंकि इस के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से पूंजी का एक भाग लिया जाता है।

संसार के सभी प्रमुख देशों में सम्पदा शुल्क लिया जाता है यही एक ऐसा उचित उपाय है जिसके द्वारा अर्जित आय का एक भाग लेकर समाज में धन की विषमता को कम किया जा सकता है। यही कारण है कि धन की समानता लाने के लिये तथा देश के उत्पादन संसधानों का प्रचालन करने के लिये योजना आयोग ने इस कर के निर्धारण का सुझाव दिया है। जैसा सदन को ज्ञात है देश के आर्थिक विकास की जितनी योजनायें बनाई गई हैं—जैसे बम्बई योजना, जनयोजना तथा कोलम्बो योजना—सब में सम्पदा शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का हिसाब लगाया गया है।

सम्पदा शुल्क का विरोध इस आधार पर किया जाता है कि इसका प्रभाव यह होगा कि लोग धन बचाना कम कर देंगे तथा देश में पूंजी के निर्माण पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। जिन देशों में यह शुल्क बहुत समय से लगा हुआ है उनका अनुभव इसे असत्य साबित करता है। वर्तमान व्यवसायों की विशेषता यही है सम्पदा शुल्क जैसे करों कर बचत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इंग्लैण्ड का भी यही अनुभव है। जे० एम० कीन्स जैसे महान् अर्थ शास्त्रियों का कहना है कि बचत हर स्थिति में लाभदायक नहीं होती है। जब पूर्ण रूप से लोग काम में लगे हों तब तो बचत का यह लाभ होता है कि इस से मुद्रा प्रसार रुक जाता है अन्यथा केवल बचत से कोई लाभ नहीं होता है।

आचार नीति शास्त्र की दृष्टि से भी इस विधयक म कोई दोष नहीं हैं। व्यक्तियों की सम्पदा पर कर लगाना राज्य का विशेषाधिकार है। सर विलियम हरकोर्ट नें १८९४ में अपने आय व्ययक व्याख्यान में कहा था कि प्रकृति मनुष्य को उसकी जगत्-सम्बन्धी सम्पत्ति पर उसी समय तक अधिकार रखनें का अवसर देती है जब तक कि वह जीवित रहता है। उसकी मृत्यु के पश्चात् भी उसकी सम्पत्ति का उपभोग उसकी इच्छाओं के अनुसार हो यह तो विधि की उपज है तथा राज्य को अधिकार है कि इस प्रकार के अधिकार पर प्रतिबन्ध लगावे।

प्रवर समिति ने बहुत से सुधार किये हैं विशेषकर विमुक्ति की सीमा के सम्बन्ध में। परन्तु मेरे विचार से विमुक्ति की सीमा, थोड़ी ऊंची जान पड़ती है, विशेषकर हमारे देश को देखते हुए। कुछ माननीय सदस्यों ने साधारण व्यक्ति का उल्लेख किया है। मैं नहीं समझता हूं कौन सा साधारण व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसके पास ५०,०००) रुपये से लेकर ७५,०००) रुपये तक की जायदाद हो सकती है। करदाता के दृष्टिकोण से विधेयक में विमुक्ति की जो अनुसूची दी गई है वह स्वागत करने योग्य है।

अपना व्याख्यान समाप्त करने के पूर्व मैं कृषि जीवियों को एक सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूं। भूमि का कोई संगठित बाज़ार नहीं है तथा भूमि का मूल्य बहुत जल्दी जल्दी बदला करता है। हमारे देश में ऐसे बहुत कृषि जीवी हो सकते हैं जिनके पास दो तीन लाख रुपये के मल्य की भौमिक सम्पत्ति हो सकती है परन्तु वे २५ लाख रुपये नक़द का प्रवन्ध नहीं कर सकते हैं। इस लिये मेरा सुझाव है कि यदि वह नक़द रुपये में कर न दे सके तो उसे कर की अदायगी में अपनी सम्पत्ति के कुल या थोड़े भाग को हस्तान्तरित करने की सुविधा दी जावे। इंग्लैण्ड के १९१० के वित्त अधिनियम में ऐसा प्रावधान है जिससे कृषिजीवियों को बड़ी सहायता मिली है विशेषकर जब हम अपने देश के भौमिक संगठन के सम्बन्ध में महान् परिवर्तन करने जा रहे हैं तो राज्य को भूमि अर्जित करने में तथा सरकारी फ़ारम खोलने में कोई संकोच नहीं होना चाहिये।

अतः दो कारण ऐसे हैं जिन से सम्पदा शुल्क लोक-कल्याण राज्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है। पहली बात तो यह है कि यह राजस्व प्राप्त करने का एक साधन है। पंचवर्षीय योजना की अनेक योजनाओं के लिये वित्त इसी के द्वारा मिलेगा। दूसरी वात यह है कि इस प्रकार धीरे धीरे तथा शान्तिपूर्वक धन का समान वितरण हो जायगा जो उद्देश्य आयकर निर्धारिण द्वारा प्राप्त नहीं हो सका है। उत्तराधिकार को सीमित कर यह किराया खोरी करने वालों को श्रम के द्वारा जीवन निर्वाह करने पर विवश करेगा तथा देश की उन्नति में सहायक होगा। मैं आशा करता हूं कि सम्पदा शुल्क से वित्त मंत्री को बड़ी सहायता मिलेगी।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री रघुवीर सहाय (ज़िला एटा-उत्तर पूर्व व ज़िला बदायूं-पूर्व) : प्रवर समिति से लौटने पर मैं इस विधेयक का दिल से स्वागत करता हूं। इस विधेयक के सम्बन्ध में मेरी सब से बड़ी आपत्ति यह थी कि इसमें कोई न्यूनतम विमुक्ति सीमा नहीं निर्धारित की गई है जिस के कारण यह मध्यवर्ग के व्यक्तियों में बहुत से सन्देह उत्पन्न करेगा। परन्तु मैं इस बात के लिये वित्त मंत्री तथा प्रवर समिति के अन्य सदस्यों को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने विमुक्ति सीमा नियुक्त कर दी है तथा उन्होंने

[श्री रघुवीर सहाय]

ऐसे पद निर्धारित कर दिये हैं जिन पर सम्पदा शुल्क लागू नहीं किया जायगा।

इस विधेयक के सम्बन्ध में सब से पहले मैं दान के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। प्रावधान यह किया गया है कि २५,०००) रुपये के मूल्य तक का दान जो सार्वजनिक लाभ के लिय किया गया हो तथा किसी व्यक्ति की मृत्यु के छः मास पूर्व की अवधि सीमा के अन्दर किया गया हो तो उस पर सम्पदा शुल्क नहीं लिया जायगा। जहां तक इस विमुक्ति का सम्बन्ध है इस के औचित्य के सम्बन्ध में कोई दो मत नहीं हो सकते हैं परन्तु मेरी समझ म इसके लिये कोई मूल्य की सीमा तथा कोई अवधि सीमा निर्धारित नहीं करना चाहिये। कोई नहीं जानता कि वह कब मरने वाला है तथा प्रत्येक भारतवासी, विशेषकर एक हिन्दू, दान देने का अभ्यस्त होता है तथा अपनी सम्पदा का कुछ भाग दान के लिये देना चाहेगा। फिर दान के लिये वह कितना दे सकता है इस पर प्रतिबन्ध लगाना उसकी दान करने की इच्छा को रोकना है। आपका कार्य केवल यह देखना है कि जो धन इस प्रकार हस्तान्तरित हो रहा है वह वास्तव में दान ही के कार्य के लिय ह। मेरा विचार है कि संयुक्त राज्य तथा आस्ट्रेलिया में दान के लिये न तो कोई अवधि सीमा निश्चित है और न कोई मूल्य सीमा।

इंग्लैण्ड में राष्ट्रीय न्यासों को दिये जाने वाले दान के सम्बन्ध में यह प्रावधान है कि न तो उस की कोई मूल्य सीमा होगा और न ही उस के लिये कोई समय का प्रतिबन्ध होगा। मुझे भय है कि यदि आप इस विधेयक में ऐसा प्रावधान बना देंगे तो ऐसे दान नहीं दिये जा सकेंगे जैसे पंडित मोतीलाल नेहरू ने अपने निवास स्थान आनन्द भवन का दान कर दिया। उसका तो मूल्य बहुत अधिक था। क्या सदन का या सदन के किसी माननीय सदस्य का विचार है कि अब इस प्रकार के दानवीर जन्म नहीं लेंगे। ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो अपनी सारी सम्पत्ति दान में देना चाहें परन्तु आप उनकी दान की इच्छा को बांध कर रखना चाहते हैं।

दूसरी विमुक्ति उस दान के सम्बन्ध में है जो कोई मृतक अपने स्त्री नातेदारों के विवाह के सम्बन्ध में देना चाहे। यह प्रावधान भी बहुत आवश्यक तथा सराहनीय है विशेषकर यह जानते हुए कि आजकल लड़कियों की शादी करना एक बड़ी समस्या है तथा इससे एक बहुत बड़ी संख्या में व्यक्तियों को सुविधा हो जावेगी। परन्तु विचार करने का विषय है कि जब आप लड़कियों के विवाह के लिये दिये जाने वाले दान को कर मुक्त कर रहे हैं तो उसी प्रकार लड़कों की शिक्षा के लिये किये जाने वाले प्रबन्ध को कर मुक्ति क्यों नहीं करते हैं। अभी दो ही दिन पूर्व एक वायुयान दुर्घटना घटित हुई है। इस सदन का एक सदस्य भी उस दुर्घटना में काम आया है। कौन जानता है यदि उसने अल्पवयस्क बालक छोड़े हों जिनकी शिक्षा का प्रबन्ध किया हो। आपके इस विधेयक के अनुसार उस दान पर शुल्क नहीं लिया जायगा जो लड़कियों के विवाह के लिये किया गया है परन्तु उस पर लिया जायगा जो लड़कों की शिक्षा के लिये किया गया है।

इस प्रतिवेदन के साथ जो विमति टिप्पण संलग्न है उसमें कहा गया है कि इस शुल्क को परिधि से उस मकान को बाहर रखना चाहिये जिसमें मृतक निवास करता था मेरे विचार से इस बात में काफ़ी तथ्य है। परन्तु इस के दूसरे पक्ष की ओर भी देखना चाहिये। क्योंकि जहां पर ५,०००) रुपये, १०,०००) रुपये तथा २५,०००) रुपये के मकान हो सकते हैं वहां

५ लाख तथा १० लाख रुपये के मूल्य के भी मकान हो सकते हैं। कहा गया है कि यदि मकानों को शुल्क से मुक्त किया गया तो युवराजों के बड़े बड़े महल भी शुल्क से बच जायेंगे। हमें इस संकुचित दृष्टिकोण से विचार नहीं करना चाहिये। आम तौर से लोगों में यह भावना होती है कि उनके निवास स्थान उनके मरने के बाद भी उनके उत्तराधिकारियों के पास रहे और यह भावना आदर के योग्य है। परन्तु इस लिय कि इस विधेयक का सार ही लुप्त न हो जाय हमें इस के लिये कुछ प्रतिबन्ध लगा देना चाहिये। मेरा सुझाव है कि खण्ड ३४ के अन्तर्गत ५०,०००) रुपये के बजाय एक लाख रुपये की सीमा निर्धारित की जावे जिसम २५,०००) रुपये से ३०,०००) रुपये तक के मूल्य के मकान उस में आ जावें।

एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण इसी से निकल आती है वह यह है कि क्या सम्पदा शुल्क का आगणन करने के लिये समष्टि सम्पदा में विमुक्त पद भी सम्मिलित किये जायं। इससे सम्बन्धित खण्ड ३३ को मैंने पढ़ा है परन्तु मैं उसके तर्क को समझने में असमर्थ हूं। यदि आप चाहते हैं कि यह पद शुल्क से विमुक्त रहे जैसा आपने ३२ में कहा है तो उनको सारी सम्पत्ति पर एक विशेष दर से शुल्क लगाने के लिय समष्टि सम्पत्ति में नहीं सम्मिलित करना चाहिये। इस का तो अर्थ यह हुआ कि वही आप एक हाथ से देते हैं तथा दूसरे से ले लेते हैं।

ऐसा ही नियम संयुक्त राज्य में भी है। कुछ व्यक्तियों का कहना है कि इतने पदों को विमुक्त करना है तो यह अधिनियम बनाना ही व्यर्थ है। उन से मुझे इतना ही कहना है कि इस प्रकार का शुल्क या कर उन से बहुत भिन्न है जिन के हम अभ्यस्त हैं। इसका आशय यह कभी नहीं था कि बिना किसी अपवाद के तथा बिना उत्तराधिकारियों की प्रकृति के किसी विचार के हर एक सम्पदा से शुल्क वसूल किया जाय।

श्री गाडगिल ने मरण शुल्क पर जो सुन्दर पुस्तक लिखी है मैंने उसका अध्ययन किया है। उस में एक स्थान पर कहा गया है कि यदि विधवा तथा छोटे छोटे बच्चों का कोई जीविका देने वाला न हो और उन के लिये उत्तराधिकार में मिलने वाली सम्पत्ति ही जीविका का एकमात्र साधन हो तो उन की सम्पत्ति के लिये उचित रूप से विमुक्ति का प्रावधान करना आवश्यक है। उसी पुस्तक में आगे चल कर कहा गया है कि प्रशासन के दृष्टिकोण से न्यूनतम विमुक्तियां होनी चाहियें ताकि छोटी छोटी सम्पत्तियों के मूल्य के आगणन करने तथा उन की आय पर कर निर्धारित करने में व्यर्थ ही इतना व्यय न करना पड़े कि जितना शुल्क भी प्राप्त न हो। यही अन्य देशों का भी अनुभव है। जब हम संयुक्त राज्य के उदाहरण को देखते हैं तो हम पाते हैं कि हालां कि विमुक्ति सीमा को बहुत ऊंचा कर दिया गया है फिर इस शुल्क से होने वाली आय लगातार बढ़ती जा रही है।

अन्त में मैं इतना ही कहूंगा कि इस अधिनियम के प्रशासन में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है ताकि कम से कम शुल्क अपवंचनायें हो पावे। अधिनियम की सफलता इसी पर निर्भर करती है।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : १२·४५ बजे आध घंटे का वाद विवाद है। अतः अब २० मिनट शेष हैं। यदि दो माननीय सदस्य दस दस मिनट लेवें तो मैं दो वक्ताओं को अवसर दे सकता हूं।

चौधरी रणवीर सिंह (रोहतक) खड़े हुए—

सभापति महोदय : श्री एस० एन० दास।

श्री एस० एन० दास (दरभंगा मध्य) : सभापति जी, इस सभा में कई सदस्यों के भाषण सुन कर मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। स्वराज्य मिलने के कई वर्ष बाद सरकार यही तो एक ऐसा कानून लायी है कि जो उन सिद्धान्तों और आदर्शों के अनुकूल है जिनको कि हमने अपने सामने रखा है कि हम अपने समाज के अन्दर समानता लायेंगे। उन सिद्धान्तों के अनुसार सरकार बड़े परिश्रम के बाद, सन् १९४६ से लेकर सन् १९५३ तक परिश्रम, गवेषणा और विचार विमर्श करने के बाद, अनेक बाधाओं और विघ्नों को पार करके इस विधेयक को लायी है और इसको हमारे वित मंत्री जी को यहां रखने का मौका मिला है। इस समय भी हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने धर्म के नाम पर, परम्परा के नाम पर या संस्कृति के नाम पर इस विधेयक के सम्बन्ध में आपत्तियां उठाने का साहस किया है। मैं उनके साहस की प्रशंसा करता हूं। आज के ज़माने में जब कि बहुत सी शताब्दियों से संचित की हुई जनता के परिश्रम से उपार्जित जो कुछ सम्पत्ति लोगों के हाथ में जमा है उस पर थोड़ा सा आघात करने के लिये यह विधेयक लाया गया है तो हमारे बहुत से भाई न मालूम सहानुभूति में या स्वयं आघात पाकर छटपटा उठे हैं। मैं समझता हूं कि जिस जनता की तरफ से वे प्रतिनिधि हो कर आये हैं उसका प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। अगर कोई भी संसद् का सदस्य आज सन् १९५३ में इस साधारण विधेयक का या तो विरोध करे या विरोध का आभास प्रदर्शन करे तो मैं समझता हूं कि उस को उस रोगी की तरह समझा जाना चाहिये कि जिसके शरीर पर एक छोटा सा आपरेशन किया जाता है या एक साधारण सा इंजेक्शन दिया जाता है और वह छटपटा उठता है। आज हमारा समाज पुराने समाज से बदल कर एक नये समाज का रूप धारण कर रहा है हो सकता है कि यह प्रसव की वेदना हो। इस नये समाज के जन्म लेते समय हमारे कुछ भाइयों को जो वेदना अनुभव हो रही है मैं समझता हूं कि यह उनकी असली वेदना नहीं है बनावटी वेदना है। मैं समझता हूं कि अब समाज का कल्याण होने वाला है। सभापति जी, मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा बिल है जिससे सरकार हमारी प्रशंसा की भाजन बन सकती है। यद्यपि मैं यह समझता हूं कि जिस रूप में हम इस विल को इस हाउस में देखना चाहते थे उस रूप में यह हमारे सामने नहीं आया है। फिर भी यह बहुत सही है। हमारे बहुत से कांग्रेस के सदस्यों ने कहा है कि हमको साधारण आदमी की तरफ, मध्यम श्रेणी के आदमी की तरफ भी देखना चाहिए, हमारा ध्यान उस तरफ भी जाना चाहिए। हिन्दुस्तान की ८० प्रतिशत जनता ऐसी है जिसको खाने का ठिकाना नहीं है, रहने का ठिकाना नहीं है, पहनने का ठिकाना नहीं है। उन के मुकाबले में आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनके परिश्रम से उपार्जित धन को अनेक प्रकार से उपभोग करते हैं। और तब साधारण जनता के नाम पर यह कहते हैं कि यह विधेयक ठीक नहीं है, इसमें यह संशोधन होना चाहिए और वह संशोधन होना चाहिये। मैं समझता हूं कि यह प्रतिनिधित्व का उपहास करना है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार जितना ही विलम्ब कर रही थी, इस बिल को लाने में और जितना हम विलम्ब करते हैं इस बिल को पास करने में, मैं समझता हूं कि जिस जनता की तरफ से हम यहां आये हैं उतना ही हम उसके प्रति विश्वासघात कर रहे हैं। जो कुछ भी धन हमारे देश में है वह सब समाज का धन है। किसी मनुष्य के मरने पर समाज को उसके धन पर पहले अधिकार होना चाहिये और उसके स्त्री और बच्चों को उसके बाद में अधिकार होना चाहिये। खासकर आज के

राज्य में जब कि राज्य ने जनता की भलाई का हर तरह का काम अपने ज़िम्मे लिया हुआ है। पढ़ाई का इन्तिज़ाम करना, रक्षा का इन्तिज़ाम करना, अस्पताल खोलना आदि जितने भी समाज के उपकार के काम हैं उनको राज्य कर रहा है। माता पिता के जो काम हैं जैसे शिक्षा का इन्तिजाम करना आदि उनको राज्य कर रहा है। आज समाज शिक्षा का इंतिजाम करता है, चिकित्सा का इन्तिज़ाम करता है, बच्चे की रक्षा का काम करता है। ऐसी अवस्था में यदि राज्य आज संचित धन में से थोड़ा सा हिस्सा मांगते हैं तो आज यह छटपटाहट नज़र आती है। मैं समझता हूं कि जब भी हम कोई सुधार का कानून लायेंगे तो इसी प्रकार की छटपटाहट होगी। उस पर हमें विचार नहीं करना चाहिये। यह तो छोटा आपरेशन है। मैं समझता हूं कि हम को तो आगे बड़े बड़े मेजर आपरेशन करने पड़ेंगे। इसलिए जो हम को तकलीफ़ यहां और बाहर दिखलाई पड़ती है उसकी हमको परवाह नहीं करनी चाहिए। आज संसद् के अधिकांश सदस्य यह समझते हैं कि आज वक्त आ गया है कि जब हम समाज के धन में से अधिक से अधिक हिस्सा लेकर राष्ट्र के कोष में लाये और उसे उस तरह काम में लायें जिससे कि गरीब से गरीब के लिये पूर्ण व्यवस्था की जा सके; उसके पढ़ने लिखने का, और उसके स्वस्थ रहने का इन्तिजाम किया जा सके।

सभापति जी, सब से पहली बात मैं यह कहना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि जिस धन को मरने वाला मरने के पहले दान कर दे उस धन को इस कर से मुक्त कर देना चाहिए। मैं समझता हूं कि आज जब समाज ने इतना काम अपने ऊपर ले लिया है, राष्ट्र ने जब इतना काम अपने ऊपर ले लिया है, तो किसी व्यक्ति को दान करने की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। अगर समाज में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसकी रक्षा का, शिक्षा का, देखरेख का, रहने का राज्य इन्तिज़ाम न कर सके तो उस राज्य को कल्याणकारी राज्य कहलाने का हक नहीं है। उस राज्य को हट जाना चाहिए। इसीलिए जब हम ऐसा दावा लेकर चलते हैं कि हम एक कल्याणकारी राज्य हैं और हिन्दुस्तान के हर बच्चे की, चाहे वह किसी धर्म या मजहब का हो, चाहे वह गरीब हो या धनी परिवार का हो, सब की शिक्षा दीक्षा का प्रबन्ध करेंगे तब मरने के वक्त दान देने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। मैं समझता हूं कि जितना दान हो वह सब राष्ट्र के कोष में होना चाहिए और उसका व्यवस्थित रूप में खर्च हो। इससे बढ़ कर समाज का कल्याण दूसरा नहीं होगा। मैं समझता हूं कि जब हमारा राज्य एक पुलिस राज्य था उस समय व्यक्ति को दान करने की आवश्यकता थी।

व्यक्ति को मरते वक्त ख्याल होता है उस के मन में इस प्रकार की भावनाएं होती हैं। वह अपने सामने देखता है कि लोग पीड़ित हैं, दुःख में हैं, उनके लिये शिक्षा का इन्तज़ाम नहीं है तो वह सोचता है कि उस को इस के लिये दान करना चाहिये। लेकिन यह उस समय की बात है जबकि सरकार का काम केवल पुलिस रखने का या फौज रखने का था। किन्तु आज सरकार का काम फौज या पुलिस रखने का ही नहीं है। अगर सरकार का, कल्याणकारी सरकार का काम आज यह सरकार नहीं कर सकती तो यह सरकार यहां ठहर भी नहीं सकेगी। दूसरी सरकार इस के स्थान पर आवेगी। यदि कोई सरकार शिक्षा दीक्षा, खाने पीने का इन्तज़ाम नहीं कर सकेगी तो वह इस देश में क़ायम नहीं रह सकती है। इसी दावे पर मैं कहता हूं कि जो धनी लोग हैं उन को आज उदारतापूर्वक, महात्मा जी के आदेशानुसार ट्रस्टी के रूप में ही धन रखना चाहिये। जितने धन की उन को आवश्यकता

[श्री एस० एन० दास]

हो उस को ही वे रखें और बाकी धन सरकार के कोष में रखा जाय। लेकिन दुःख के साथ मैं मानता हूं कि यह भावना अभी लोगों में नहीं है। किन्तु धीरे धीरे यह भावना मध्यम श्रेणी के लोगों में, उच्च मध्यम श्रेणी और नीचे की मध्यम श्रेणी के लोगों में आ जायगी कि अब राष्ट्र से बढ़ कर कोई दूसरी संस्था ऐसी नहीं है कि जिस संस्था को अपने धन का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा दान में उनको देना चाहिये जिससे कि शिक्षा का इन्तजाम हो सके, लोगों के रहने का इन्तजाम हो सके।

इसलिये व्यक्तिगत रूप से तो मैं इस का विरोध करता हूं कि जो छूट दी गयी है वह छूट दी जाय। लेकिन हमें तो समाज की हालत को देखना है। यह एक रोगी की तरह है और रोगी का आपरेशन करना है तो ऐसा आपरेशन न करें कि रोगी की पीड़ा बढ़ जाय। इसलिये रोगी की हालत को देख कर आपरेशन जरा सा ढीला करना पड़ता है। तो सम्पत्ति के विषय में जो यह बिल हमारे पास रखा गया है इस हाउस में, उसका मैं विरोध तो नहीं करता हूं, लेकिन मैं यह अवश्य चाहता हूं कि कम से कम छूट दी जाय।

फिर जो नीचे की सीमा की गयी है, अपि वर्तमान अवस्था में मैं उसे ठीक समझता हूं, लेकिन अच्छा होता कि उस सीमा को घटा कर और नीचा कर दिया जाता। जितना धन, एकत्रित धन, समाज के कतिपय लोगों के पास है, अच्छा है कि वह जो एक तरह से मवाद सा है, उस को हम निकाल लें। यदि हम थोड़ा थोड़ा कर के उस को हटायेंगे तो भय है कि समाज रूपी शरीर सड़ न जाय। इसलिये यह मवाद रूपी जो एकत्रित धन रोग के रूप में हमारे समाज में है, यह जहां कहीं इकट्ठा हो गया है, इस को हम हटा दें ताकि समाज का हर अंग समान रूप से स्वस्थ रहे।

सभापति जी, आप जानते हैं कि कितना बड़ा कार्यक्रम पंचवर्षीय योजना में हम ने विकास का लिया है। कोई भी माननीय सदस्य यहां ऐसे उपस्थित नहीं है जो कि समय समय पर अर्थ मन्त्री के सामने नहीं कहते हैं कि केन्द्र से हमको कोष मिलना चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि काम बढ़ा हुआ है प्रान्त की सरकार का, उसके पास बहुत काम है, तो प्रान्त की सरकार को यह काम करना चाहिये। फिर भी हम बार बार कहते हैं कि केन्द्र से सहायता मिलनी चाहिये। यह धन केन्द्र में तो आने वाला है नहीं। लेकिन मैं इस सम्बन्ध में कहूंगा कि सभी माननीय सदस्य यही आग्रह करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा काम राष्ट्र के विकास का, जनता की भलाई का हो। लेकिन जब धन का वक्त आता है तो कहते हैं कि कम से कम सरकार के खजाने में पैसा जाय। यह दोनों काम एक साथ होने वाले नहीं हैं। आप यदि जनता की भलाई का काम करना चाहते हैं तो दूसरी तरफ़ जहां समाज में अर्जित धन एकत्रित धन पड़ा है वह सरकार के कोष में लाने की कोशिश करेंगे तभी तो समाज को कल्याणकारी राज्य में बदल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि समाज को इस तरह बनायें तो हमारे लिये जरूरी है कि हम जहां से भी हो सके धन को सरकारी कोष में एकत्रित करें। फूल फूल से धन तो मधु मक्खी लाती है। हमारा काम है कि जहां फूल हो वहां से मधु लेना चाहिये। लेकिन यह फूल नहीं है। यह तो एक रोग है, एक मवाद रूपी धन है जो बड़े बड़े धनियों के पास पड़ा हुआ है। उस को मवाद की तरह रोग समझ कर निकालना चाहिये। यही उद्देश्य इस बिल का है। इसलिये मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में एक बात यह कही गयी है कि इस बिल का जो

शासन होगा वह ठीक से नहीं होगा। इनकम टैक्स विभाग के चलाने का जो हमारा तजुर्बा है वह भी इस बात को महसूस कराता है। जिस प्रकार समाज के लिये हम आज यह बोल रहे हैं कि हर जगह से हमारा फर्ज है कि रुपया लायें, उसी तरह से इस राष्ट्र का जो प्रशासिक अंग है उस के लिये आवश्यक है वह अंग शुद्ध और पवित्र हो जिस प्रकार यह सही है कि जनता में जो धनी लोग रहते हैं वह सभी के सभी ऐसे नहीं हैं कि अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करें, उसी तरह से यह भी मानना पड़ेगा कि मंत्री से लेकर नीचे चौकीदार तक जो सरकारी शासन करते हैं वे भी जो आदर्श उनको रखना चाहिये वह आदर्श नहीं रखते हैं। यह चाहे किसी व्यक्ति विशेष की कमी हो या समाज की कमी हो, लेकिन जब हम कोई कानून बनाते हैं तो उस का शासन जनता के हित में ठीक तौर पर न हो कर बहुत से मामलों में व्यक्तिगत पक्षपात, व्यक्तिगत कमज़ोरी और व्यक्तिगत दूसरी दूसरी तरह की बातों के आने से वह काम उचित रूप से नहीं होता। इनकम टैक्स का अनुभव हम को बताता है कि इनकम असैस (assess) करने वाले जो अफसर हैं उन को जैसा सिद्धान्तवादी होना चाहिये, व्यवहार में और अपने काम में, वे वैसे सिद्धान्तवादी नहीं होते हैं। वे प्रलोभन में आ जाते हैं। और जब कहा जाता है कि प्रलोभन में आ कर कोई काम करते हैं तो उस की सज़ा के लिये तरह तरह के क़ानून यहां बनाए जाते हैं। हमारे कांस्टीट्यूशन में भी कहा है कि जब तक रीजनेबुल अपाच्यूनिटी (reason able opportunity) नहीं दी जायगी, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट तक में उन को अपनी निर्दोषिता साबित करने का मौक़ा दिया गया है, तो बहुत से ऐसे पब्लिक के काम करने वाले जो सरकारी कर्मचारी हैं, मैं किसी सरकारी कर्मचारी पर किसी तरह का आरोप नहीं लगाता, लेकिन मैं कहता हूं कि हमारा शासन जो चलता है, उस में जब हम एक आदर्श को मानते हैं कि जहां धन इकट्ठा है वहां से वह आ जाय, तो सचाई के साथ उस का उपयोग करें, इस क़ानून को ठीक से व्यवहार में लावें, यह भी सरकार का फर्ज़ हो जाता है। मैं अपने मंत्री महोदय से कहूंगा कि जहां आज आप यह आपरेशन समाज पर करने जा रहे हैं तो वहां यह भी उचित है कि आप को यह महसूस होना चाहिए कि जितने क़ानून यहां बनते हैं उन को ठीक ढंग से चलाने के लिये जिस तरह के कर्मचारियों की ज़रूरत है वैसे ही कर्मचारी रखे जायं। अभी जो कर्मचारी हैं उन के अन्दर यह भावना नहीं है। कुछ कर्मचारी अवश्य हैं जो अपने कर्त्तव्य का पालन राष्ट्र के हित में करते हैं, देश भक्ति को सामने रख कर करते हैं। लेकिन बहुत से कर्मचारी, और कर्मचारी में मैं सिर्फ सरकारी नौकरों को नहीं रखता हूं, मैं मंत्री से लेकर चौकीदार तक जितने हैं उनको रखता हूं, तो जब वे शासन की गद्दी पर बैठते हैं तो उनको उस समय केवल न्याय करना चाहिये, बगैर किसी तरह का पक्षपात किये हुए, निर्मम हो कर एक सा बर्ताव उन को करना चाहिये। यह ऊपर से लेकर नीचे तक, और सदस्य भी उस में शामिल हैं, सब में यह भाव होना चाहिये। आज दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस कल्याणकारी राज्य के चलाने के लिये जैसे शासक, जैसे व्यक्ति चाहियें, मंत्री चाहियें, मैम्बर चाहियें और चौकीदार चाहियें, वैसे नहीं मिलते। इसलिये बहुत से भाइयों को यह कहने का मौक़ा मिल जाता है कि क़ानून तो सरकार ऐसे बड़े बड़े बनाती है, लेकिन उन क़ानूनों के बरतने में गरीबों का ख्याल नहीं रखा जाता।

सभापति महोदय, मैं अपना समय ख़त्म होने से पहले एक बात यह अवश्य कहूंगा कि

[श्री एस० एन० दास]

आज इस कल्याणकारी राज्य के अन्दर एक निर्धन व्यक्ति का जैसा स्वागत किसी सरकारी आफिस में होना चाहिये वह उस सरकारी आफिस में नहीं होता है । मोटर पर बैठने वाला सरकारी आफिस में जाय तो उस को कुर्सियां मिल जाती हैं, लेकिन एक गरीब बेचारा जिसके पास मोटर नहीं है, वह काम से जाता है तो उस के स्वागत करने की बात तो क्या उस के काम करने की भी कई दिनों तक नौबत नहीं आती। इसलिये हम अपने माननीय उपमंत्री से कहेंगे कि जहां आज इस क़ानून के ज़रिए से आप हिन्दुस्तान के संचित धन का बहुत बड़ा नहीं तो काफी हिस्सा लेने जा रहे हैं वहां आप को इस बात का पूरा ख्याल रखना होगा कि जो मैशीनरी इस क़ानून को लागू करने के लिये और टैक्स इकट्ठा करने के लिये आप बनावें उस के चुनाव में बहुत बड़ी सावधानी बरतनी चाहिये । केवल पब्लिक सरविस कमीशन से नियुक्त होने से ही ईमानदारी का परिचय नहीं होता । यूनीवर्सिटीयों से लम्बी चौड़ी डिग्रियां हासिल कर के सरकारी नौकरी में प्रवेश पा जाना ही कोई ईमानदारी का लक्षण नहीं होता है । इस तरह के क़ानून को लागू करने के लिये मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों की एक विशिष्ट कमेटी बनानी चाहिये कि जो शिक्षा का ख्याल रखे और दूसरी ओर नये ठाट बाट का भी ख्याल रखे, लेकिन यह ख्याल पहले रखे कि वह एक ईमानदार व्यक्ति होना चाहिये । और बातों में नम्बर दो भी हो तो कोई बात नहीं लेकिन ईमानदारी में नम्बर एक होना चाहिये । हमारे देश में ईमानदारी की जो क़ीमत है वह कुछ आज कम है और दूसरे गुणों की जो क़ीमत है वह कुछ ज्यादा है । इस को कम करना होगा और ईमानदारी की क़ीमत को बढ़ाना होगा ।

बीड़ी उद्योग पर चर्चा

श्री जसानी (भंडारा) : सभापति महोदय, मैं आज इस सदन के सदस्यों के सामने इस देश के एक बहुत बड़े गृह उद्योग बीड़ी व्यवसाय के सम्बन्ध में कुछ बातें रखना चाहता हूं । शायद हमारे में से कुछ भाइयों को यह ख्याल न होगा कि इस बीड़ी के गृह उद्योग का आज के दिन हमारी आर्थिक व्यवस्था के अन्दर कितना बड़ा और महत्वपूर्ण स्थान है । यह बीड़ी व्यवसाय हमारे देश के एक कोने से दूसरे कोने तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक हमारे देश के हर एक गांव के अन्दर फैला हुआ है और इस बीड़ी उद्योग में हमारे ६ लाख भाई काम कर रहे हैं और आज इस गृह उद्योग के ज़रिए जो कुछ भी उत्पादन होता है, शायद हमारे में से कुछ भाइयों को यह ख्याल नहीं होगा कि हम सौ करोड़ रुपये की बीड़ी साल भर में बनाते हैं । परन्तु आज जिन पूंजीपति भाइयों के हाथ में यह गृह उद्योग है, वह भाई अब इस गृह उद्योग का यन्त्रीकरण करना चाहते हैं और बीड़ी बनाने के यन्त्र हमारे इस देश में तैयार हुए हैं, एक तो बम्बई में तैयार हुआ है और दूसरा बनारस में तैयार हुआ है । मैं आपको बतलाऊं कि इस बीड़ी उद्योग के ज़रिए सरकार को आज क़रीब ११ करोड़ रुपये की एक्साइज़ ड्यूटी (उत्पाद शुल्क) मिलती है अब हमें यह देखना है कि इस यन्त्रीकरण का हमारे इस देश की अर्थ व्यवस्था के ऊपर क्या असर होता है ? आप यह जानते हैं कि अभी फाइव ईयर प्लान के अन्दर जो हम नये उद्योग खोलने जा रहे हैं और जिन उद्योगों में हमारा ७०० करोड़ रुपया लगने के बाद पांच साल के अन्त में हम केवल ४ लाख आदमियों को काम दे सकेंगे, परन्तु अगर इस बीड़ी व्यवसाय का यन्त्रीकरण हुआ, और वह यन्त्र जो बारह

आदमी का काम करता है वह इस बीड़ी व्यवसाय में दाखिल हुआ, तो क़रीब करीब पांच लाख आदमी उसमें से बाहर निकल जायेंगे। आज हमारे देश में अनइम्पलायमेंट का क्वेश्चन (बेकारी का प्रश्न) बड़ा एक्यूट (गम्भीर) होता जा रहा है और हम देखते हैं कि हमारी बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उन में कुछ लोगों को काम मिलता है और कुछ को नहीं मिल रहा है, अगर हम तमाम इंडस्ट्रीज़ के सम्बन्ध में हिसाब लगायें, तो हम पायेंगे कि हमारे देश की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज म ५७ लाख आदमी काम करते हैं, सबसे बड़ी इंडस्ट्री आज हमारी टेक्सटाईल की है जिसमें करीब दस लाख आदमी काम करते हैं, उसके बाद रेलवे का नम्बर आता है जिसमें क़रीब आठ लाख आदमी काम करते हैं, और इस गृह उद्योग में ६ लाख आदमी काम करते हैं, और मैं बतलाऊं कि प्रश्न केवल ६ लाख आदमियों का ही नहीं है, क्योंकि इन ६ लाख काम करने वालों के साथ में जो उनके डिपेंडेंट्स हैं, अगर हम उनकी भी गिनती करें, तो आज बारह लाख से अधिक आदमियों की रोटी का सवाल हमारे सामने है और मेरा निवेदन है कि अगर इस यन्त्रीकरण द्वारा बारह लाख आदमियों की रोटी का प्रश्न उपस्थित होता है, तो शासन का यह काम हो जाता है कि उस पर गम्भीरता पूर्वक सोचे कि उसके बारे में वह क्या करे! मैं समझता हूं कि हमारे यहां जो इंडस्ट्रियल ऐक्ट है उस में इस तरह का एक क्लाज़ है जिसके ज़रिए जो नयी इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें मशीन के ऊपर हम रोक डाल सकते हैं इसके अतिरिक्त मैं आपको याद दिलाऊं कि हमारे भारतीय संविधान की जो तेतालीसवीं धारा है उस में हम लोगों ने यह तय किया है कि हम कौटेज इंडस्ट्रीज़ की रक्षा करेंगे और कौटेज इंडस्ट्रीज़ को जहां तक सम्भव हो, हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो सभापति महोदय, आज यह जो प्रश्न हमारे सामने पेश है, हमें सोचना चाहिए कि हम इसके सम्बन्ध में क्या करें? कोई भाई अगर यह तर्क करें कि यन्त्रीकरण करने से बीड़ी का उत्पादन बढ़ सकता है तो उसको करने में क्या हर्ज है, तो मैं अपने उन भाई से यह कहना चाहूंगा कि हमारे सामने केवल उत्पादन बढ़ाने का ही सवाल नहीं है, हमारे सामने एक हियूमन फैक्टर भी है कि हमारा उद्योगीकरण ऐसा होना चाहिए, हमारी इंडस्ट्रीज इस प्रकार की हों जिनमें हम ज्यादा से ज्यादा आदमियों को रोटी दे सकें। इसलिए मैं यह कहता हूं कि इसके सम्बन्ध में शासन को तुरन्त विचार करना चाहिये।

श्री जी० एच० देशपांडे (नासिक मध्य): श्रीमान्, हमारे देश में बेकारी पहले ही दिनों दिन बढ़ रही है तथा यदि पांच लाख व्यक्ति और बेकार हो जायेंगे तो यह सारे देश के लिए एक गम्भीर समस्या होगी। इसका निवारण केवल इस तरह से हो सकता है कि इस उद्योग का यन्त्रीकरण रोक दिया जाये। शुरू-शुरू में इसे रोकना आसान होगा किन्तु बाद में जबकि इसकी जड़ें मज़बूत हुई होंगी, इसे रोकना एक कठिन काम होगा, इस समय यह उद्योग सैकड़ों ग्रामों तथा कस्बों में फैला हुआ है और कुछ इने गिने नगरों तक ही सीमित नहीं है। इस से हज़ारों कृषकों को अतिरिक्त कारबार मिलता है, इससे यहऔर भी आवश्यक हो जाता है कि इस उद्योग में यंत्रीकरण को रोकने के लिए कोई तरीका निकाला जाये। सरकार हाल ही के एक अधिनियम के अन्तर्गत स्थानीय कारखानों को यह मशीनें खरीदने से रोक सकती है इसके अलावा इन मशीनों के आयात पर भी रोक लगाई जा सकती है। यदि यह दो पग उठाये जायें तो बड़ी हद तक स्थिति को बिगड़ने से रोका जा सकता है।

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : बीडी उद्योग अधिकांश रूप से एक ग्रामीण उद्योग माना गया है, सैकड़ों विधवाएं, अपंग व्यक्ति तथा अन्य लोग बीड़ियां तैयार करके इन्हें कारखानों में भेज देते हैं। यंत्रीकरण के परिणाम स्वरूप लगभग ५ लाख व्यक्ति बकार हो जायेंगे तथा इनका एक निर्वाह साधन छूट जायगा। पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हम पांच वर्ष के अन्दर केवल चार लाख व्यक्तियों को काम दिलाने का प्रयत्न कर रहे ह। यदि पांच लाख व्यक्ति और बेकार हो जायेंगे तो सारा कार्यक्रम ही बिगड़ जायगा।

संविधान के अनुच्छद ४३ के अन्तर्गत ग्रामीण कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना हमारा कतव्य है,मैं न केवल वाणिज्य मत्री से अपितु श्रम मंत्री से तथा योजना आयोग से भी प्रार्थना करता हूं कि इस सम्बन्ध में अविलम्ब कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्रीमती मायदेव (पूना-दक्षिण) : पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हम कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। इन में बीड़ी उद्योग भी शामिल है, इस के लिए आपको किसी विशष पूंजी की आवश्यकता नहीं। पांच पये की पूंजी से कोई भी व्यक्ति लगभग एक रुपया प्रतिदिन कमा सकता है। इसमें शारीरिक परिश्रम भी कम करना पड़ता है; यही कारण है कि इस उद्योग में जितने भी लोग लगे हुये हैं, उन में से अधिकांश महिलायें हैं। इस उद्योग के लिये मशीनें आयात करने की बात सोचना भी अपराध है। मैं सरकार से प्रार्थना करती हूं कि इस प्रकार की मशीनों के आयात पर रोक लगा दी जाय।

श्री ए० एम० टामस (एरणाकुलम्) : मैं एक ऐसे राज्य से आया हूं जहां बीड़ी बनाने का कुटीर उद्योग विस्तृत पैमाने पर चलाया जा रहा है। यदि इस उद्योग में कोई हेरा फेरी हुई तो उस राज्य में बेकारी एक भीषण रूप धारण करेगी। वहां नारियल की जटा से सम्बन्धित उद्योग तथा हस्थकर्घा उद्योग में मन्दी आने से स्थिति पहले ही बिगड़ गई है। यन्त्रीकरण की एक निरन्तर समस्या है तथा सरकार को इसका मुकाबला करना होगा। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि स्थिति काबू से बाहर होने से पहले ही वह इस विषय की ओर विशेष ध्यान दे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने उन लोगों के सम्बन्ध में कोई अनुज्ञापन प्रणाली प्रस्तुत की है जो इस उद्योग का यन्त्रीकरण करना चाहते हैं तथा क्या सरकार इस सम्बन्ध में मशीनों के प्रयोग पर पूरी पाबन्दी लगाने का इरादा रखती है।

श्री नम्बियार (मयूरम) : यन्त्रीकरण से होने वाली छांटी को एक ओर रख के क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि दक्षिण भारत में कच्चे माल जैसे कि पत्र, तम्बाकू आदि की प्रदाय के लिये रेल डिब्बों की कमी के कारण बीड़ी उद्योग को नुकसान पहुंचा है तथा क्या यह भी एक तथ्य है कि हाल ही में बीड़ी कमकरों का महंगाई भत्ता कम किया गया है जिससे कि उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ? क्या उनकी इन कठिनाइयों का निवारण करने के लिये सरकार कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री बी० एस० मूर्त्ति : यन्त्रीकरण पुरः स्थापित करने के पश्चात् क्या सरकार छांटी किये गये व्यक्तियों को वैकल्पिक काम दिलाने के लिए यथा-सम्भव हर कोई प्रयत्न करेगी ?

श्री एन० बी० चौधरी : बढ़ी हुई लाइसेंस फीस जो सरकार ने कुछ समय पहले वसूल की थी, की वापसी के सम्बन्ध में स्थिति क्या है ? क्या यह वापस की गई है ?

श्री राघवय्या (ओंगोल) : हमारी तरफ यह उद्योग सहकारिता के आधार पर चलाया जा रहा है। कई कमकरों ने इस सम्बन्ध में अपनी अंश-पूंजी दी है, बिक्री कर आदि लगाने के परिणामस्वरूप यह उद्योग नहीं पनप सका है तथा कमकरों को उचित मुनाफा नहीं मिल रहा है। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि इस उद्योग पर इतने बड़े पैमाने पर कर न लगाये जायं कि यह हतोत्साह हो जाये।

श्री धुलेकर (ज़िला झांसी—दक्षिण): क्या सरकार को यह मालूम है कि बुंदेलखंड और रीवां स्टेट जो हैं जिस को आप विन्ध्य प्रदेश कहते हैं उस में लाखों दरख्त तेंदू के हैं और उन की पत्ती अहमदाबाद, बम्बई वगैरह भेजी जाती है। वहां पर इस समय लकड़ी और लकड़ी का कोयला महंगा होने के कारण हजारों वृक्ष प्रतिवर्ष काटे जाते हैं और इसलिये सरकार का ध्यान इस ओर भी होना चाहिये। यह जो हजारों दरख्त हर वर्ष काटे जाते हैं इस की वजह से कुछ दिनों में बीड़ी इंडस्ट्री खत्म हो जायेगी और हजारों आदमी जो वहां काम कर रहे हैं उनका नुकसान होगा। इस लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि बुंदेलखंड, मध्य भारत और विंध्य प्रदेश के जो खित्ते हैं उन में जरूर कोई कानून ऐसा लागू होना चाहिये जिस में कि बीड़ी के उद्योग में काम आने वाली जो पत्ती है उस के दरख्त के काटने की मनाही हो।

श्री जांगड़े (बिलासपुर—सुरक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही नहीं है कि मशीनों के प्रयोग से अभी जो सम्पत्ति का विकेन्द्रीकरण मजदूरी के रूप में हजारों मजदूरों के पास जा कर होता है, वह कुछ व्यापारियों के पास में करोड़ों रुपये के इकट्ठे होने से रुक जायेगा। यानी इस प्रकार से धनवानों को और भी धनवान् और गरीबों को और भी गरीब नहीं बनाया जा रहा है?

दूसरी बात जो मैं जानना चाहता हूं वह यह है कि अभी लाखों मजदूरों को काम नहीं मिलता क्योंकि वह शारीरिक कमजोरी के कारण कोई और काम नहीं कर सकते। वह केवल दो हाथों के सहारे बीड़ी बनाते हैं। अगर बीड़ी का धंधा उन को नहीं मिलेगा तो क्या उन को कोई दूसरा धंधा मिल सकेगा? नहीं मिलेगा? आखिर सरकार उन को कौन सा दूसरा धंधा दे सकेगी?

श्री टी० के० चौधरी: बीड़ी उद्योग, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अनुसूचित उद्योगों में शामिल नहीं है। क्या इसे इन उद्योगों में शामिल करने की सम्भावनाओं पर विचार किया जायगा। यदि इस में बड़े पैमाने पर यंत्रीकरण हो?

सभापति महोदय: माननीय मंत्री अब उत्तर दें।

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): सरकार इस बात की सराहना करती है कि बीड़ी उद्योग से सम्बन्धित यह प्रश्न सदन में उठाया गया है। यह उत्पादन की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि यह सेवायुक्त की दृष्टि से है। जिस किसी वर्तमान उद्योग में यन्त्रीकरण किया जाता है वहां छोटे पैमाने पर काम करने वाले लोग बेकार हो जाते हैं। हस्तकर्घा उद्योग के सम्बन्ध में भी आंशिक रूप से ऐसा ही हुआ।

हो सकता है कि हम ने उत्पादन दृष्टिकोण से पहले इस पर विचार किया होता। परन्तु बीड़ी जैसे उद्योग के सम्बन्ध में जहां कि बहुत से लोग काम करके अपना निर्वाह करते हैं, इस बात पर गम्भीरता से विचार करना आवश्यक बन जाता है कि इस उद्योग में यन्त्रीकरण की अनुमति कहां तक दी जा सकती है। कानून की दृष्टि से हम इस समय इस उद्योग में हस्तक्षेप करके यह नहीं कह सकते हैं कि मशीनों का प्रयोग

[श्री करमरकर]

न करो। फिर भी मैं सदन को सूचना देना चाहता हूं कि सरकार इस समस्या पर विचार कर रही है तथा उसने इस बात की ओर संकेत किया है कि वह इस क्षेत्र में मशीनों के प्रयोग को पसन्द नहीं करती है। मुख्यतया यह प्रश्न बम्बई तथा उत्तर प्रदेश के दो राज्यों में उत्पन्न हुआ है। बताया जाता है कि बम्बई में इस सम्बन्ध में एक मशीन तैयार करने की कोशिश की गई थी। यह एक जटिल प्रकार की मशीन थी। बम्बई सरकार को भी इस मामले का ज्ञान था। परन्तु ऐसी कोई मशीन अभी बाजार में नहीं आई है। यह मशीन तैयार की भी जा सकती है क्योंकि इस में चमत्कार की कोई बात नहीं। हम माननीय सदस्यों के आभारी हैं कि उन्होंने हमें इस सम्बन्ध में समय पर चेतावनी दी है। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, हम इस समस्या पर ध्यानपूर्वक विचार देंगे। हम उद्योग के विशिष्ट क्षेत्र में ऐसे यन्त्रीकरण के सिद्धांततः विरुद्ध हैं जिससे कि बेकारी बढ़ जायेगी। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य हमें इस समस्या पर विचार करने का अवसर देंगे। इसमें जल्दबाजी करने की भी कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि इस प्रकार की कोई मशीन अभी बाजार में नहीं आई है। इस बारे में इस समय कोई अधिक सूचना भी नहीं दी जा सकती है। इसका कोई ऐसा पहलू भी नहीं है जिस पर कि मैं इस समय विशेष रूप से प्रकाश डाल सकूंगा।

श्री नम्बियार : श्रीमान्, हमने और भी सवाल उठाये थे।

श्री करमरकर : जी हां, श्रीमान्। परन्तु मुख्य प्रश्न तो यन्त्रीकरण से उत्पन्न होने वाली बेकारी का था। अन्य प्रश्नों का उत्तर देने के लिये मैं इस समय तैयार नहीं हूं। यदि कुछ समय पहले हमें इसकी सूचना मिलती तथा यदि हमारे पास कुछ अधिक समय होता तो मैं माननीय सदस्यों को उन बातों के सम्बन्ध में भी सूचना दे देता।

सभापति महोदय : सदन की बैठक अब कल सवा आठ बजे तक स्थगित होगी।

इसके पश्चात सदन की बैठक शुक्रवार, १५ मई, १९५३ के सवा आठ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।